कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास
को समर्पित

वर्ष 52 अंक : 1 नवंबर 2005 मूल्य : सात रुपये

किशोर न्याय अधिनियम 2000

विश्व समस्याः बाल वेश्यावृत्ति

राष्ट्रीय सम-विकास योजना

ग्रामीण विकास में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

भ्रूण हत्याः एक सामाजिक अभिशाप

राजस्थान में पंचायती राज सशक्तिकरण

ग्रामीण विकास योजनाओं की सफलता के लिए समुचित निगरानी जरूरी

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों से आग्रह किया है कि उन्हें परिवर्तन के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने चुनौती भरे दायित्वों को समझना चाहिए और विधिवत मूल्यांकन और प्रभावी निगरानी के जरिए इन योजनाओं की कमजोरियों के दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। श्री सिंह ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के योजना निदेशकों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उदघाटन समारोह में जिला ग्रमीण विकास एजेंसियों और अन्य पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित की जाए। मंत्री महोदय ने आगे कहा कि देश में गरीबी और बेरोज़गारी दो बड़े अभिशाप हैं और अब समय आ गया है कि समयबद्ध तरीकों से इस अभिशाप को दूर करने की कोशिशें की जाएं। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम और भारत निर्माण, इसी दिशा में किए गए प्रयास हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक ग्रामीण इलाकों से गरीबी को पूरी तरह हटाये जाने के प्रति कृतसंकल्प है।

मंत्रालय का उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करना तथा सर्वांगीण विकास की गति मे तेजी लाना।

मंत्रालय की व्यूहरचना

मजदूरी रोजगार, स्वरोजगार, पीने का पानी, आवास, सड़क आदि उपलब्ध कराना तथा भूमि संसाधनों का विकास करना।

महत्वपूर्ण पहल

ग्रामीण गरीबों को रोजगार गारन्टी के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

कार्यान्वयक एवं उत्प्रेरक

पंचायती राज संस्थायें एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण।

डी.आर.डी.ए. सम्मेलन का उद्देश्य कार्यक्रमों के प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं ग्रामीण गरीबों को पहुंचने वाले लाभ को सुनिश्चित करना है

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम

देश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि हर गांव में मूलभूत व आधारभूत सुविधाएं विकसित हों एवं हर घर की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। देश के सामने गरीबी एवं बेरोजगारी दो अत्यंत जटिल समस्याएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देश की 74 करोड़ जनसंख्या लगभग 6 लाख गांवों में रहती है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विविध विषमताएं हैं।

देश के सभी गांवों के विकास और हर परिवार की समृद्धि के लिए सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने एवं गरीबी हटाने के लिए कड़ा प्रयास कर रही है। गरीब मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा देश के सभी जिलों में "सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना" कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में "काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय" योजना कार्यान्वित की गयी है। सभी ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देने के लिए सरकार ने अभी हाल ही में ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संसद में पास कराया है जिससे सरकार की गरीबों के प्रति कृतसंकल्पना उजागर होती है।

गरीबों की क्षमता का विकास करने एवं उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु "स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना" कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें इच्छुक परिवारों को ऋण एवं अनुदान प्रदान कराया जाता है। "महिला सशक्तिकरण" कार्यक्रम के अंतर्गत स्व–सहायता समूहों के गठन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब तक कुल 22 लाख स्व–सहायता समूह बनाये गये हैं जिनमें 2 करोड़ 20 लाख परिवारों को सम्बद्ध किया गया है।

देश में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने क लिए "त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम" चलाया जा रहा है जिसे अंतर्गत प्रतिव्यक्ति 40 लीटर प्रतिदिन की दर से शुद्ध जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। ग्रामीण स्वच्छता के लिए सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देश में 33 प्रतिशत घरों में शौचालय की उपलब्धता हो सकी है। अवशेष घरों को वर्ष 2012 तक शत–प्रतिशत आच्छादन करना है। बंजरभूमि विकास, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास एवं मरूस्थलीय क्षेत्र के विकास के लिए हरियाली कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें जल सरंक्षण, भूमि संरक्षण एवं वनसंरक्षण आदि महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं।

स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम कपार्ट के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। विकास कार्यों में लगे हुए लोगों की क्षमता के विकास के लिए उन्हें एन.आई. आर.डी. द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है और अनुसंधान के माध्यम से नए प्रावधान किये जाते हैं।

इस वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट 24500 करोड़ रूपए निर्धारित किया गया है जो स्वतंत्र भारत का किसी वर्ष का सर्वाधिक 53 प्रतिशत अधिक है जो वर्तमान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। ❑

गांवों के समग्र विकास के लिए कृतसंकल्प सरकार

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 52 ● अंक : 1 ● पृष्ठ : 48

कार्तिक–मार्गशीर्ष 1927

नवंबर 2005

संपादक
स्नेह राय

उप संपादक
जयसिंह

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक, कुरुक्षेत्र
कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014
तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@pub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मजुमदार

व्यापार प्रबंधक
जगदीश प्रसाद
दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

आवरण
राहुल शर्मा

सज्जा
संतोष कुमार सिंह

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

■ किशोर न्याय अधिनियम – 2000 बच्चों के सरंक्षण हेतु कानूनी प्रयास	उमेश चन्द्र अग्रवाल	4
■ दुनिया बदलेंगे बाल मजदूर	एल.सी. जैन	10
■ बच्चे भी चाहें एक भरा–पूरा दैनिक अखबार	कादम्बरी	11
■ विश्व समस्या : बाल वेश्यावृत्ति	सुप्रिया	12
■ बालश्रम और शिक्षा पर द्वितीय विश्व कांग्रेस	साजिया आफरीन	14
■ राष्ट्रीय सम–विकास योजना	सौमित्र मोहन	16
■ राजस्थान में महिला पंचायती राज दशा और दिशा	नीलिमा अग्रवाल	19
■ पंचायती राज में ग्राम सभा की भूमिका हरियाणा : एक अध्ययन	मोहिन्द्र सिंह और आत्मा राम जगाणियां	22
■ राजस्थान में पंचायती राज सशक्तिकरण कल, आज और कल	सुरेन्द्र कटारिया	26
■ ग्रामीण विकास और पंचायती राज	सूर्य भान सिंह	29
■ गांवों के सर्वांगीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका	अखिलेश कुमार	32
■ मुफ्त में क्यों काम करें महिलाएं?	बृंदा करात	34
■ अंधेरे से आगे रोशनी के धागे	प्रशांत कानस्कर	35
■ सूचना प्रौद्योगिकी शक्ति संपन्न होती पंचायतें	अवनीश सोमकुंवर	36
■ भ्रूण हत्या : एक सामाजिक अभिशाप	रवि जमुआर व खालिद अहमद	38
■ लिंग निर्धारण : गुम होती कन्याएं	मनीषा	42
■ अब ऑन लाइन से भ्रूण हत्याओं पर नियंत्रण	अरुण आनंद	44
■ ग्रामीण विकास में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका और दायित्व	बलकार सिंह पूनिया	46

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मत-सम्मत

कुरुक्षेत्र के अगस्त, 05 अंक में 'कोयला क्षेत्रों में समस्याग्रस्त जीवन' के बारे में पढ़ा। जानकर कष्ट हुआ कि जो कोयला हमारी ऊर्जा संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वही न सिर्फ कुछ लोगों की जिन्दगी को अस्वास्थ्यकर बल्कि असुरक्षित भी बनाता है।

प्रदेश सरकार को चाहिए कि रॉयल्टी के रूप में प्राप्त धन का एक निश्चित हिस्सा खनन कर्मियों व खनन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर खर्च करें। जिससे कि ऊर्जा (कोयला) को उत्खनित करने वाला भी स्वयं को ऊर्जान्वित महसूस कर सकें।

संदीप गुप्ता, फतेहपुर, (उ.प्र.)

•••

कुरुक्षेत्र का अगस्त, 2005 अंक पढ़ा। सच में यह पत्रिका ग्रामीण विकास के प्रति समग्र अंर्थों में समर्पित है। ग्रामीणों, गरीबों व निर्बलों से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं देकर आपने प्रशंसनीय कार्य किया है। मध्य प्रदेश में संचालित हो रही दीनदयाल गोकुल – ग्राम योजना का खुलासा भी सराहनीय है।

शरद नारायण खरे, मंडला, (म.प्र.)

•••

कुरुक्षेत्र मासिक अगस्त, 05 का पढ़ा। इसमें सभी लेख पठनीय व संग्रहणीय हैं। इस पत्रिका के माध्यम से – ग्रामीण विकास योजना, संबंधी काफी जानकारी मिलती है। इस अंक में महिलाओं ने भी लड़ी – आजादी की लड़ाई। पर्यटन उद्योग के नये आयाम। विदेश व्यापार नीति, ग्रामीण सचिवालय, तथा कल्याणकारी योजनाएं काफी प्रभावकारी लेख हैं।

हीरालाल सहनी, दरभंगा, (बिहार)

•••

आजादी की स्वर्णिम यादों को ताजा करता कुरुक्षेत्र का आजादी अंक पढ़ने का इस बार मौका मिला पत्रिका में यूं तो इस बार प्रस्तुत सभी लेख सराहनीय है सशक्त और अमलयोग्य हैं। लेकिन इस बार पत्रिका के शुरुआती आलेख 'ग्रामीणों गरीबों निर्बलों के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं : एक समीक्षा' ने मुझे विशेष प्रभावित किया। कोई भी सरकार क्यों न हो वह हर पांच वर्षों में देश की गरीबी, अशिक्षा, बेकारी, स्वास्थ्य आदि के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है अगर उनका सही क्रियान्वयन हो जाए तो गुलामी और समस्या कहां ठहरेगी। ऐसी योजनाओं का लाभ तब ही मिल सकता है। जब उसके पास लोगों को जानकारी होने के पुख्ता इंतजाम हों, योजनाएं चलें, उनका क्रियावन्यन सख्ती से हो और उनको परिणामों की समीक्षा हो तो ही सरकार का गरीबी मिशन/अभियान सार्थक सिद्ध हो सकेगा। कुरुक्षेत्र परिवार को हमारी ओर से आजादी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।

छैल बिहारी शर्मा 'इन्द्र', छाता, (उ.प्र.)

•••

अगस्त, 2005 का **कुरुक्षेत्र** का अंक अत्यन्त ही लाभदायी रहा। इसमें डा. उमेश चन्द्र अग्रवालजी के लेख से केन्द्र तथा राज्य सरकार, द्वारा चलायी जा रही अनेक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। डा. रामनिवास के तम्बाकू पर लेख ने भी काफी प्रभावित किया। सरकार द्वारा चलायी जा रही इन योजनाओं का लाभ आंशिक रूप से जनता को प्राप्त हो रहा है। पहले शासन व्यवस्था में से भ्रष्टाचार को हटाया जाय तो देश का कल्याण तो स्वतः ही हो जायेगा।

सचिन मित्तल, आगरा, (उ.प्र.)

•••

ग्रामीण विकास की प्रमुख मासिक पत्रिका 'कुरुक्षेत्र' का अगस्त 2005 अंक पढ़ा। इस पत्रिका में सभी लेख ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, ज्ञानवर्धक हैं। विभिन्न वर्गों के कल्याण, कृषि विकास के मुद्दे , स्वरोजगार, आजादी की लड़ाई में महिलायें, तथा पर्यावरण मुद्दों को बड़े ही रोचक एवं विकास का मार्ग, प्रशस्त करने का माध्यम कुरुक्षेत्र है। यह पत्रिका ग्रामीणों के लिए मंत्र बनी है। अंक के लिए हार्दिक बधाई स्वीकार करें। पत्रिका स्वैच्छिक संस्थानों को उपलब्ध होती तब यह मार्गदर्शन पत्रिका होगी।

सत्येन्द्र कुमार पाठक, अरवल, (बिहार)

•••

कुरुक्षेत्र का अगस्त अंक पढ़ा। पूर्व अंकों की भांति ही अगस्त माह का अंक भी अपने आप में समस्त समसामयिक जानकारियों एवं ज्ञान–वर्धक लेखों को समेटे हुए था। लेख 'ग्रामीणों, गरीबों और निर्बल वर्गों के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं – एक समीक्षा बहुत ही जानकारी परक रहा। 'स्व–रोजगार का सुनहरा अवसर एग्री क्लीनिक एवं एग्री बिजनेस लेख लाभप्रद हैं वही लेख "नशीले पदार्थों का कसता शिकंजा" एक प्रबल एवं चिंतनीय तथा गम्भीर समस्या की तरफ संकेत करते हुए उसके दुष्परिणामों से हमें अवगत कराता है। इन सभी लेखों के साथ–साथ पत्रिका में प्रकाशित अन्य लेख भी अच्छे एवं जानकारी परक लगे! पत्रिका परिवार को धन्यवाद! एवं अगले अंक के इंतजार में आपका पाठक।

अजीत कुमार ओझा 'आदित्य', महाराजगंज, (उ.प्र.)

•••

कुरुक्षेत्र का अगस्त, 2005 अंक पढ़ा। इस अंक में ग्रामीणों गरीबों के लिए भारत सरकार की नई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिली। इससे ग्रामीण वर्गों तक पहुंचाने में काफी सहयोग मिला इसके लिए मैं 'कुरुक्षेत्र' परिवार को बधाई देना चाहूंगा। इस अंक में मुझे एक और नया लेख पढ़ने को मिला एग्री क्लीनिक एवं एग्री बिजनेस और रोजगार सृजन में सब्सिडी की भूमिका ये दोनों लेख खासकर बेरोजगार युवकों को काफी पसंद आया होगा। ऐसा लगता है कि यह पत्रिका जानकारी के साथ–साथ हमारे देश में रोजगार देने का भी काम करता है। आप सचमुच बधाई के पात्र हैं।

कौशल किशोर मंडल, अरवल, (बिहार)

•••

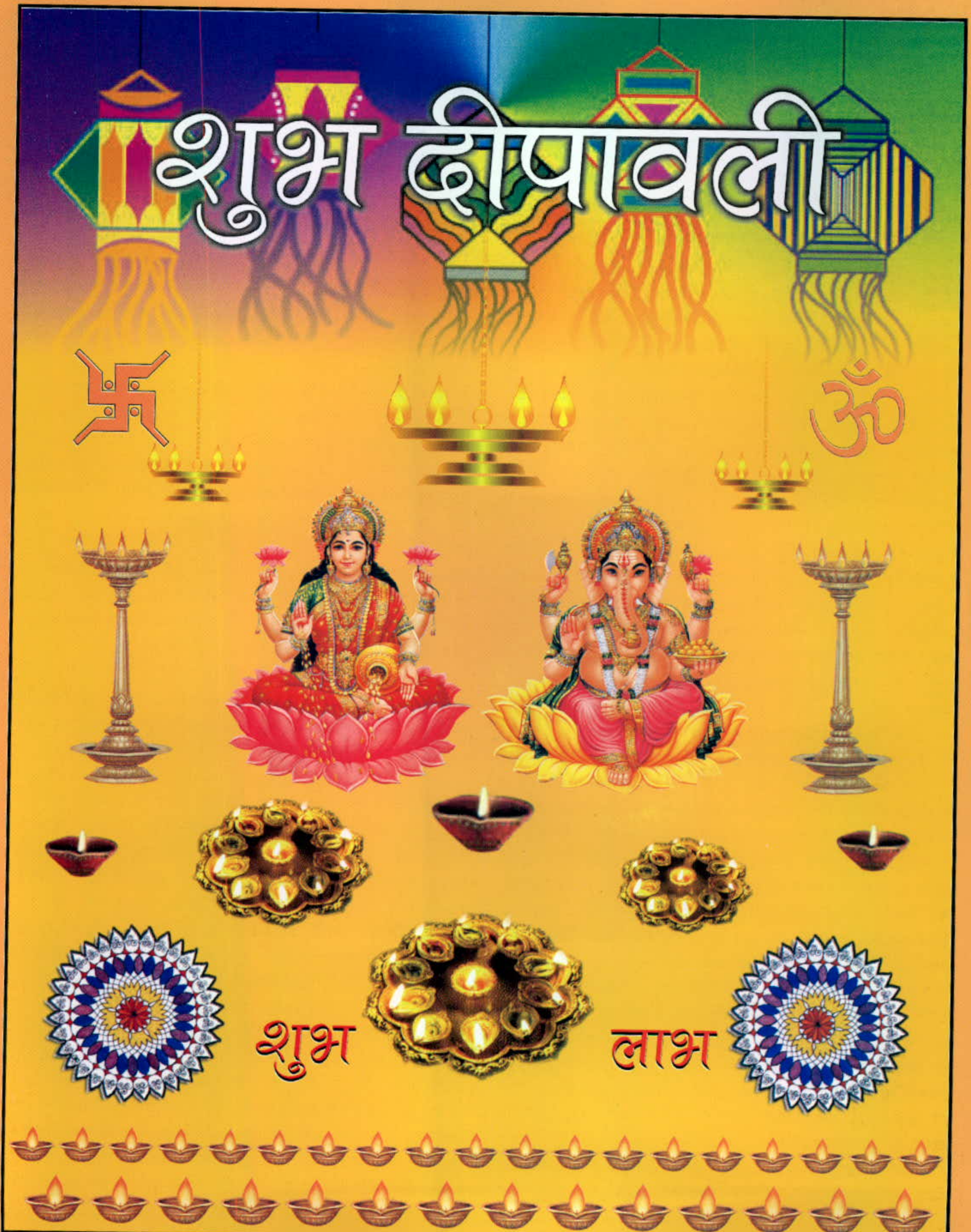
शुभ दीपावली
शुभ
लाभ

किशोर न्याय अधिनियम - 2000

बच्चों के सरंक्षण हेतु कानूनी प्रयास

उमेश चन्द्र अग्रवाल

हमारे देश एवं समाज का भविष्य बहुत कुछ देश के बच्चों के समुचित संरक्षण और विकास पर निर्भर करता है। बच्चे न केवल राष्ट्र की धरोहर है बल्कि भविष्य में उन्हीं के कन्धों पर देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व रहेगा। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास और उन्हें देश का उपयोगी नागरिक बनाने के लिए सदैव से ही प्रयास किए जाते रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमारे देश में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से विशेष प्रयास प्रारम्भ किए गए। आजादी से पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में "सुधार विद्यालय अधिनियम, 1876" जिसे बाद में सन् 1897 में संशोधित किया गया था, इस दिशा में पहला ठोस प्रयास था। बाद में "भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898" की धारा–562 में विशेष रूप से बच्चों एवं युवा अपराधियों को सद्व्यवहार बनाए रखने के लिए परिवीक्षा पर रिहा करने का प्रावधान किया गया था। इस सम्बन्ध में "इण्डियन जेल कमेटी 1919–20" की रिपोर्ट के अनुसार युवा अपराधियों के लिए अलग से उपचार की आवश्यकता पर बल दिया गया था और तद्नुसार 1920, 1922 एवं 1924 के वर्ष में क्रमशः मद्रास, बंगाल और बम्बई की सरकारों द्वारा बाल अधिनियम बनाए गए थे जिनका मुख्य उद्देश्य बच्चों की अभिरक्षा, सरंक्षण एवं युवा अपराधियों का उचित उपचार प्रदान करना था। देश के स्वतन्त्र होने पर इस क्षेत्र में और भी अधिक तेजी से अनेकानेक प्रयास किए गए हैं।

वर्ष 1960 में भारत सरकार द्वारा बाल अधिनियम, 1960 केन्द्र प्रशासित क्षेत्र के लिए बनाकर उपेक्षित बच्चों के लिए बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई जो केन्द्र शासित क्षेत्रों से सम्बन्धित थी। वर्ष 1974 में भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय नीति घोषित करते हुए बच्चों के जन्म से पूर्व एवं जन्म के पश्चात उनके सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए समुचित संसाधनों को उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया। बच्चों को शिक्षा, पुनर्वास एवं प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें देश का उपयोगी नागरिक बनाने हेतु यह एक महान संकल्प था। बच्चों को क्रूरता, उपेक्षा अथवा शोषण से बचाना एवं समस्त विवाद चाहे माता–पिता के बीच हो अथवा संस्थाओं के बीच हों, इसमें बच्चों के हितों की रक्षा करने का मुख्य उद्देश्य था। इस राष्ट्रीय नीति में किशोर अपराधियों को सामाजिक उपचार की दृष्टि को ध्यान में रखने के साथ–साथ उन्हें दण्डित करने के बजाय सुधार कर पुनर्वासित करने पर बल दिया गया है।

बच्चों को राष्ट्र की धरोहर और सुखद भविष्य के रूप में पल्लवित किए जाने हेतु भारतीय संविधान एवं कई अधिनियमों द्वारा बच्चों, उनके कल्याण एवं अधिकारों की रक्षा और उन्हें अधिक से अधिक सेवाएं प्रदान करने हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य उनके हितों की अधिकाधिक रक्षा सुनिश्चित करना है। बच्चों के सम्बन्ध में यदि संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालें तो पता चलता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने या किसी भी खतरनाक व्यवसाय में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है संविधान के अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति–निर्देशक तत्व किसी स्त्री या पुरूष या विशेष रूप से वे बालक जो कम उम्र के हैं, आर्थिक कारणों से ऐसे व्यवसाय में नियोजित किए जाने पर प्रतिबन्ध लगाते हैं जो उनके जीवन या शक्ति के उपयुक्त न हो। इस अनुच्छेद में यह भावना निहित है कि विशेषकर बच्चों को ऐसी सुविधाएं और अवसर प्रदान किए जाएं जिससे उनकी स्वतंत्रता और उनके सम्मान का किसी प्रकार शोषण न हो सके। संविधान के अनुच्छेद 45 में इस बात का लक्ष्य रखा गया कि संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।

संवैधानिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा–82 के अनुसार सात वर्ष या उससे कम आयु के बालकों को किसी भी अपराध में दण्डित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ऐसा बालक जो सात वर्ष से अधिक एवं 12 वर्ष से कम आयु का है और जिसे पर्याप्त समझ नहीं हुई है, उसके द्वारा किया गया कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1976 की धारा–125 के अनुसार सन्तान अथवा माता–पिता भरण–पोषण के भत्ते के हकदार हैं और साथ में बालक चाहे वैध अथवा अवैध सन्तान हो, यदि वह किसी शारीरिक या मानसिक अशक्तता या क्षति के कारण अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ हैं तो उसे 5000/– रुपये से अनाधिक की धनराशि प्रदान करने के प्रावधान है। इसी धारा के खण्ड–ख के प्रविधानों के अनुसार अवयस्क पुत्री के पिता का अपनी पुत्री के भरण–पोषण के लिए वांछित धनराशि देने का दायित्व है, जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती अथवा यदि विवाहित हो तो उसे पति के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार सरंक्षक एवं परिपाल्य अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय की संतुष्टि पर अवयस्क के हित को ध्यान में रखते हुए उसकी सम्पत्ति अथवा दोनों के बारे में संरक्षक नियुक्त किए जाने की व्यवस्था है। यह सभी कानूनी व्यवस्थाएं अवयस्क बालक के हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान एवं कुछ अधिनियमों द्वारा सुनिश्चित की गई है जिनसे उसका हित और संरक्षण हो सके और उसके भरण–पोषण या विकास

में कोई बाधा उपस्थित न हो सके। इन कानूनी विशेष व्यवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण तालिका–1 में दिया गया है।

बच्चों के सम्बन्ध में देश में लागू विभिन्न व्यवस्थाओं एवं अधिनियमों में एकरूपता और बाल कल्याण एवं विकास हेतु प्रभावकारी ढंग से कानूनों को लागू करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1986 में दिया गया एक अहम् निर्णय भी विशेष स्थान रखता है। इस निर्णय में न्यायालय द्वारा भारत सरकार को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे जिनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भारतीय सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश के बच्चों के हित के लिए और उपेक्षित एवं अपचारी बच्चों की देखभाल, विकास तथा पुनर्वास के साथ–साथ बच्चों के लिए न्याय व्यवस्था के समुचित संचालन हेतु किशोर न्याय अधिनियम, 1986 संसद द्वारा पारित कराया गया। यह अधिनियम बच्चों की सुरक्षा और देखभाल की जरूरत वाले बच्चों के लिए प्राथमिक कानून है। इस अधिनियम में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए समुचित न्याय प्रणाली हेतु एक विधिक व्यवस्था को निर्धारित किया गया है। इस अधिनियम में उपेक्षित और अपचारी बच्चों के लिए किए गए विविध प्रावधानों को अधिक व्यवस्थित रूप प्रदान करने तथा उपेक्षित एवं अपचारी बच्चों में स्पष्ट रूप से फर्क करके उनकी जरूरतों के मुताबिक सुरक्षात्मक तथा पुनर्वास की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में संशोधन भी किया गया है। संशोधित अधिनियम को किशोर न्याय (बच्चों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 कहा गया है। इस संशोधन के माध्यम से किशोर न्याय प्रणाली को और अधिक उपयोगी बनाया गया है। इस विधेयक के अन्तर्गत किशोर अपराधियों की देखभाल और संरक्षण के लिए विशेष किशोर अपराध पुलिस यूनिट के गठन का भी प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त बच्चों के खिलाफ किसी भी किस्म के अपराध को अब संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपेक्षित और अपचारी बच्चों के लिए किशोर गृहों, विशेष गृहों, प्रेक्षण गृहों तथा अनुरक्षण संस्थानों के निर्माण और रखरखाव के लिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है।

किशोर न्याय अधिनियम के प्रमुख अन्तर्निहित उद्देश्य निम्नवत् हैं–

- किशोर न्याय के लिए एक समान कानूनी ढाँचे की स्थापना करना। किसी भी बच्चे को किसी भी परिस्थिति में जेल या पुलिस हिरासत

तालिका – 1

बच्चों के लिए संवैधानिक एवं विशेष कानूनी प्रावधान

1	संविधान का अनुच्छेद–24	14 वर्ष की आयु से कम के बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक व्यवसाय में लगाने पर प्रतिबन्ध।
2	संविधान का अनुच्छेद–39(ड़)	सरकार द्वारा अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करना कि सुनिश्चित रूप से बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर उन्हें ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हों।
3	संविधान का अनुच्छेद–39(च)	सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करना कि बालकों को स्वतन्त्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं उपलब्ध हों तथा बालकों की शोषण से रक्षा हो।
4	संविधान का अनुच्छेद–45	14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।
5	संविधान का अनुच्छेद–21(क)	संविधान के 86वें संशोधन, 2002 के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है।
6	भारतीय दण्ड संहिता धारा–82	7 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों को किसी भी अपराध में दण्डित करना वर्जित।
7	दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा–125	सन्तान और साथ में बच्चे, चाहे वे वैध अथवा अवैध सन्तान हो, भरण–पोषण के भत्ते के हकदार।
8	सरंक्षक एवं परिपाल्य अधिनियम,	न्यायालय की संस्तुति पर अवयस्क के हित को ध्यान में रखते हुए उसकी या उसकी सम्पति 1890 अथवा दोनों के बारे में संरक्षक नियुक्त करने की व्यवस्था।
9	कारखाना अधिनियम, 1948	बच्चों को अस्वस्थकर परिस्थितियों में श्रम पर लगाना प्रतिबन्धित।
10	शिशु अधिनियम, 1961 (यथा–संशोधित–1978)	बच्चों को श्रम साध्य या खतरनाक कार्यो में सेवायोजन पर प्रतिबन्ध।
11	किशोर न्याय अधिनियम, 1986	बच्चों के हित के लिए तथा उपेक्षित एवं अपचारी बच्चों की देखभाल, विकास तथा पुनर्वास के (यथा संशोधित–2000) साथ–साथ समुचित न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक कानून।
12	राष्ट्रीय बाल आयोग (प्रस्तावित)	बच्चों के विकास और उनसे सम्बन्धित समस्याओं के सभी पहलुओं का अध्ययन और समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाना।

में न रखे जाने की व्यवस्था, जब ऐसा करना अपरिहार्य हो तो बच्चे को किसी "स्पेशल होम" में रखने की व्यवस्था करना।

- किशोर अपचारिता की रोकथाम एवं उपचार हेतु बच्चों के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण और उनके विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- किशोर न्याय व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले बच्चों की देख–रेख सुरक्षा, उपचार एवं उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में अपेक्षित संगठन एवं संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सम्प्रेक्षण गृह, किशोर गृह तथा किशोर अपराधों के लिए विशिष्ट गृहों की स्थापना।
- किशोर न्याय से सम्बन्धित मुकदमों के अन्वेषण एवं अभियोजन और न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में आवश्यक मानक एवं सिद्धान्त के प्रावधान करना।
- किशोर न्याय प्रणाली एवं स्वेच्छिक संस्थाएं, जो उपेक्षित किशोरों के सम्बन्ध में कार्य कर रही हैं उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना।
- किशोर अपराधों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अपराध और उनके लिए अपेक्षित दण्ड आदि के प्रावधानों का निरूपण करना।
- किशोर न्याय प्रशासन हेतु संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित मानक नियमों के अनुरूप देश में किशोर न्याय व्यवस्था के संगठन का स्वरूप निर्धारित करना। उपेक्षित और अपचारी किशोर के सम्बन्ध में आवश्यक संरक्षण, उपचार, विकास एवं उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में वांछित प्रावधानों की व्यवस्था करना।

किशोर अधिनियम और इसके अन्तर्गत प्रमुख प्रावधान

उल्लेखनीय है कि किशोर अपराध अन्य अपराधों की भांति किसी एक कारण के फलस्वरूप नहीं होते और न इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा ही दी जा सकती है। किशोर अपराध आसानी से धन प्राप्त करने और उनकी स्वयं की अपेक्षा, घर की भावनात्मक समस्या, माता–पिता का बच्चों को अनुशासित रखने या उनके सहानुभूति के अभाव के फलस्वरूप बरती गई उपेक्षा और विशेष रूप से कुसंगत के कारण होता है। माता–पिता का अत्याधिक नियन्त्रण या ढिलाई, नैतिक शिक्षा का अभाव, मनोरंजन की सुविधा का अभाव, गन्दी बस्तियां माता–पिता के विशेष आधुनिकीकरण से, बच्चों को असुविधा आदि से अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है और उन्हें अपराध के संसार में, न चाहते हुए भी ढकेल दिया जाता है। उनका स्वयं का जीवन को कष्टमय होता ही है साथ ही समाज के लिए उनकी कोई उपयोगिता नहीं रहती और वे भार स्वरूप बन जाते हैं। किशोरों की समस्याओं का निदान उन कारणों और बाधाओं को दूर करके ही किया जा सकता है और इसके लिए कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त एक सामाजिक व्यवस्था और विशेष रूप से नैतिक शिक्षा ज्यादा से ज्यादा प्रदान करते हुए एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था के साथ–साथ विधिक आधार पर मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए न्याय व्यवस्था से सम्भव है। इसी भावना से देश में किशोर न्याय अधिनियम को लागू किया गया है।

भारत सरकार का यह अधिनियम बच्चों को समुचित न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावली तथा निहित प्रावधानों का विवरण निम्नवत् है–

किशोर से तात्पर्य

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं सरंक्षण) अधिनियम, 2000 में वर्णित किशोर का आशय उस बालक या व्यक्ति से है जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो। इस अधिनियम में बच्चों की देख–रेख और सरंक्षण की आवश्यकता के लिए निम्नांकित शर्ते निर्धारित की गई है–

- ऐसा बालक जिसका कोई स्थाई निवास व उसका दृश्यमान जीविका का कोई साधन नहीं है।
- जो किसी व्यक्ति के साथ निवास करता है, जो बालक को मारने या चोटिल करने की धमकी देता हो तथा धमकी को कार्यान्वित किए जाने की पर्याप्त सम्भावना हो अथवा वह किसी अन्य बालक या बालकों को मार चुका हो, दुरूपयोग कर चुका हो या उपेक्षा कर चुका हो और उस व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत बालक को मारे जाने या उपेक्षा किए जाने की पर्याप्त सम्भावना हो।
- वह बालक जो मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार या घातक या असाध्य बीमारियों से प्रभावित है जिसकी देखरेख या समर्थन करने के लिए कोई नहीं है।
- वह बालक जिसके माता–पिता या संरक्षक हैं किन्तु वे बालक पर नियन्त्रण रखने में अरोग्य या असक्षम है।
- वह बालक जिनके माता–पिता नहीं है तथा जिनकी देखरेख करने हेतु कोई भी इच्छुक नहीं है या जिसके माता–पिता ने त्याग दिया हो या जो गुम हो गया है और बालक को छोड़ कर चला गया है और जिनके माता–पिता को पर्याप्त जांच के पश्चात नहीं पाया जा सके।
- वह बालक जिसका लैंगिग दुरूपयोग या अविधिक कार्यों के प्रयोजन के लिए घोर दुर्व्यवहार प्रताड़ना या शोषण किया जा रहा हो या किए जाने की सम्भावना है।
- वह बालक जो असुरक्षित पाया जाता है या मादक द्रव्यों के गलत प्रयोग या उनके व्यापार में शामिल किए जाने की सम्भावना है।
- वह बालक जिनका अनुचित लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या किए जाने की सम्भावना है।
- वह बालक जो किसी सशक्त निरोध, सिविल अशान्ति या प्राकृतिक विपदा का आहत है।

किशोर न्यायालयों की व्यवस्था

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र के लिए एक या एक से अधिक न्यायालयों के गठन की व्यवस्था रखी गई है और इस हेतु प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा और जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा इसकी सहायता हेतु दो अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें कम से कम एक महिला हो, राज्य सरकार द्वारा पैनल में रखे जाने की व्यवस्था की गई है। किशोर न्यायालयों के कार्य के सम्बन्ध में यह प्रावधान किए गए हैं कि न्यायालय का निर्णय बहुमत के आधार पर होगा और जहां बहुमत न हो वहां प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मामले का निस्तारण किया जाएगा।

अभिरक्षण और जमानत के प्रावधान

अपचारी किशोर द्वारा किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में चाहे वह जमानती हो या गैर–जमानती, यदि वह किशोर अपराधी मात्र देखने से किशोर प्रतीत हो तो किशोर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 या तत्समय किसी अन्य विधि के होते हुए भी उसे तुरन्त प्रतिभूति सहित या रहित, जमानत पर छोड़ देने की व्यवस्था रखी गई है। जमानत पर उसे तब नहीं छोड़ा जाएगा यदि उसके छोड़े जाने से इस बात की सम्भावना हो कि वह किसी ज्ञात अपराधी के साथ शामिल होगा या किसी नैतिक खतरे की सम्भावना उसके छोड़े जाने पर है। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर पुलिस अधिकारी किशोर को किसी पुलिस स्टेशन या जेल में निरूद्ध नहीं करेगा बल्कि उसे किसी सम्प्रेक्षण गृह या किसी सुरक्षित स्थान में उस समय तक रखेगा जब तक उसे सक्षम किशोर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न किया जाए। किशोर न्यायालय के आदेश से ऐसे किशोर को किसी जेल में न रखकर सम्प्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान में रखा जाएगा। किशोर के गिरफ्तार किए जाने पर पुलिस शीघ्रअतिशीघ्र उसके माता–पिता या संरक्षक को उसके गिरफ्तार होने की सूचना देगी जिससे वे किशोर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सके। परिवीक्षा अधिकारी भी बच्चे की गिरफ्तारी की सूचना उसके माता–पिता को देंगे जिससे किशोर के सम्बन्ध में उसके पूर्व के इतिहास एवं पारिवारिक इतिहास या अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी दे सकें और उसे किशोर न्यायालय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सके।

संयुक्त विचारण पर प्रतिबन्ध की व्यवस्था

अधिनियम की धारा–24 के अन्तर्गत किशोर और किशोर से भिन्न व्यक्तियों के संयुक्त विचारण के सम्बन्ध में विशेष रूप से प्रावधान है। किशोर का विचारण अन्य अभियुक्तों के साथ नहीं किया जाएगा। कोई किशोर किसी अन्य व्यक्ति के साथ यदि अभियुक्त है तो सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अपचारी किशोर के अलग से विचारण हेतु आदेश पारित किए जाएंगे और उसको विचारण सक्षम किशोर न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाएगा।

अपराध की जांच एवं सजा की व्यवस्था

किशोर न्यायालय अधिनियम की धारा–21 के प्रावधानों के अन्तर्गत तथ्यों की जांच करने के उपरान्त जिस प्रकार के आदेश दिए जा सकते हैं उनमें उपदेश या भर्त्सना के उपरान्त किशोरों को उसके घर भेज दिया जाना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त नेक चलनी के आश्वासन पर बालक को उसके पिता/संरक्षक एवं किसी अन्य उपयुक्त के सरंक्षण में दिया जा सकता है और ऐसे संरक्षक आदि व्यक्ति से बाण्ड भरा लिया जाना आवश्यक किया गया है। बच्चे के अच्छे चाल–चलन की शर्तों पर परिवीक्षा पर छोड़ने के साथ उसे किसी उपयुक्त संस्था के नियन्त्रण में रखे जाने का आदेश दिया जा सकता है जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं हो समती। साथ ही बच्चों को वयस्क होने के तक उसे स्पेशल होम में रखे जाने का भी प्रावधान है। यदि किसी किशोर की आयु 17 वर्ष से अधिक 18 वर्ष से कम हो तो उसे न्यूनतम दो वर्ष के लिए स्पेशल होम में रखा जा सकता है। अपराधों की प्रकृति तथा परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय द्वारा निरूद्ध अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है किन्तु ऐसी अवधि किसी भी स्थिति में किशोर की आयु 18 वर्ष प्राप्त करने से अधिक नहीं हो सकती।

दोष सिद्ध होने पर दण्ड के प्रावधान

किशोर न्यायालय द्वारा जांच के उपरान्त यदि किसी किशोर को दोषी पाया जाता है तो इस सम्बन्ध में किसी अन्य विधिक प्रावधानों के होते हुए भी उसे मृत्युदण्ड या कारावास या अर्थदण्ड न दिए जाने पर या प्रतिभूति न दिए जाने पर भी उसे कारागर के सुपुर्द नहीं किया जा सकता। यदि कोई किशोर जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और न्यायालय के विचार से उसके द्वारा किया गया अपराध और उसका व्यवहार ऐसा है कि वह किसी विशेष गृह में अन्य किशोरों के हित को देखते हुए उसे उनके साथ रखा जाना हित में नहीं है तो उस अधिनियम के अन्तर्गत किसी विशेष स्थान में सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के बारे में आदेश किए जाने की व्यवस्था रखी गई है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपेक्षित आदेश पारित करने के लिए मामलों की सन्दर्भित करने पर राज्य सरकार इस सम्बन्ध में ऐसे अपचारी किशोर के रहने के विषय में ऐसी शर्तों पर जिसे ठीक समझें, रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करने के प्रावधान किए गए हैं लेकिन किशोर के निरोध की कालावधि कारावास के उस अधिकतम कारावास से अधिक नहीं होगी जिसके लिए किशोर उस अपराध के लिए दण्डित किया ज सके।

किशोर के प्रति किए गए अपराधों के लिए दण्ड की व्यवस्था

किशोर न्याय अधिनियम के प्राविधानों द्वारा किशोरों के प्रति क्रूरता, उन्हें भीख मांगने के लिए प्रयुक्त करने पर अथवा प्रेरित करने पर सम्बन्धित व्यक्ति को इस सम्बन्ध में क्रमशः 6 माह, एक वर्ष एवं तीन वर्ष के कारावास से अधिनियम की धारा–41, 42 के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है। यह दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी बालक या किशोर को भीख मांगने के उद्देश्य से नियोजित करता है तो उसे एक वर्ष की अवधि तक के लिए कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी किशोर को कोई मादक पदार्थ किसी सार्वजनिक स्थान पर देगा या उसके माध्यम से दिलवाएगा जबकि ऐसा किसी चिकित्सक के आदेश या किसी बीमारी के आधार पर न हो तो ऐसे व्यक्ति को तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी किशोर को शोषण हेतु नियोजित करता है अथवा किशोर द्वारा अर्जित धनराशि का उपभोग करता है तो उसे तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। यदि किसी का किया गया अपराध इस अधिनियम के अन्तर्गत हो और किसी अन्य विधि या अधिनियम के अन्तर्गत भी दण्डनीय हो तो वह इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित किया जाएगा क्योंकि इस अधिनियम द्वारा दण्ड की मात्रा अधिक रखी गई है।

किशोर कल्याण परिषद का गठन

किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य द्वारा किशोर कल्याण परिषद के गठन की व्यवस्था भी की गई है जिसके

अनुसार उपेक्षित और अपचारी किशोरों के सम्बन्ध में उनके कल्याण एवं उन्हें किशोर गृहों में रखने एवं अपेक्षित जांच करने के बारे में या माता–पिता अथवा संरक्षक की अभिरक्षा में देने के बारे में वांछित आदेश किए जाने के प्रावधान है। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन परिषद को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त हैं और तद्नुसार आवश्यक जांच करके परिषद द्वारा वांछित आदेश पारित किए जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। पुलिस अधिकारी अथवा ऐसा व्यक्ति या संगठन जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, परिषद के समक्ष उपेक्षित किशोर को प्रस्तुत किया जाएगा और पुलिस थाने के इंचार्ज अधिकारी का यह दायित्व है कि वह किशोर को गिरफ्तार करने के समय से 24 घंटे के भीतर, यात्रा में लगे आवश्यक समय को छोड़कर परिषद के समक्ष प्रस्तुत करें। उपेक्षित किशोर के माता–पिता या संरक्षक का यह दायित्व है कि वह परिषद के समक्ष भविष्य में की जाने वाली जांच के समय सभी तथ्य प्रस्तुत करें। यदि किशोर के माता–पिता या सरंक्षक परिषद से यह शिकायत करते हैं कि वे किशोर की उचित देखरेख करने और उसको नियन्त्रण में रखने में असमर्थ हैं तो उपेक्षित किशोर सम्प्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान पर अग्रिम जांच होने तक परिषद द्वारा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रखने का आदेश दिया जा सकता है।

किशोर गृहों एवं सम्प्रेक्षण गृहों की स्थापना

अधिनियम मे राज्य सरकारों को उपेक्षित किशोरों को रखने के लिए किशोर गृहों तथा जांच के लम्बित रहने के दौरान अस्थायी रूप से उन्हें सम्प्रेक्षण गृहों की स्थापना करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं जिससे उपेक्षित किशोरों को किशोर गृहों में रहने की व्यवस्था के साथ उनके भरण–पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण पुनर्वास एवं उनके उपयोगी विकास के साथ उनके चरित्र और योग्यता का विकास हो सके तथा जांच के लम्बित रहने के दौरान अस्थाई रूप से सम्प्रेक्षण गृह में उन्हें रखने के लिए अपेक्षित सम्प्रेक्षण गृहों की व्यवस्था निर्धारित की है। जहां किशोरों के रहने, भरण–पोषण और उनकी चिकित्सा परीक्षा एवं उपचार की व्यवस्था आदि की सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

किशोर निधि की स्थापना

किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उपेक्षित एवं अपचारी किशोरों के कल्याण और पुनर्वास हेतु सभी राज्य सरकारों द्वारा अपने–अपने यहां एक निधि की स्थापना किए जाने की व्यवस्था है जिसमें उसके द्वारा प्रदत्त अपनी धनराशि के अलावा व्यक्तिगत एवं अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई धनराशि रखी जा सके और जिससे इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए निर्देशों का प्रभावकारी एवं समुचित संचालन किशोरों के कल्याण हेतु सुनिश्चित किया जा सके।

न्यायिक व्यवस्था का कार्यान्वयन एवं उपयोगी सुझाव

उल्लेखनीय है कि भारत में कुल जनसंख्या के अनुपात में ही बच्चों की भी विशाल संख्या है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 6 वर्ष तक की आयु के कुल बच्चों की संख्या लगभग 16 करोड़ तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के कुल बच्चों की संख्या लगभग 19 करोड़ है। बच्चों के अन्तर्गत किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे किशोरों के अन्तर्गत आच्छादित हैं और 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की संख्या भी करीब 6 करोड़ है। देश की आजादी के 58 वर्ष बाद और तमाम तरह के विकास की सरकारी घोषणाओं और दावों के बावजूद यथार्थ यह है कि देश में विद्यमान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन और विषमताओं के चलते आज तक भी अनेक बच्चों को दोनों समय के भोजन तक की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाई है। गरीबी की रेखा के नीचे गुजर–बसर करने वाले देश के 26 करोड़ लोगों में से करीब 10 करोड़ बच्चों के सम्बन्ध में यह कहना काफी सीमा तक सही हो सकता है। यह स्वाभाविक लगता है कि इनमें से कुछ बच्चे अपने और अपने परिवार के लिए भूख के वशीभूत होकर अथवा चकाचौंध की दुनिया से प्रभावित होकर कुछ समाज विरोधी कृत्यों की ओर प्रवृत हों। साथ ही कुछ बच्चे प्राकृतिक आपदाओं अथवा सामाजिक कुरीतियों या अव्यवस्थाओं के शिकार होकर उपेक्षित बच्चों के रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करें। वास्तविकता यह भी है कि इन दोनों प्रकार के बच्चों की देश में काफी बड़ी संख्या है जिसको समुचित सरंक्षण, न्याय और पुनर्वास सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कुछ संख्या में सम्प्रेक्षण गृहों, किशोर गृहों, विशेष गृहों की स्थापना की गई है तथा अपचारी बच्चों को समुचित न्याय की व्यवस्था हेतु किशोर न्यायालयों को भी स्थापित किया गया है।

यह बात अलग है कि आवश्यकता के अनुरूप उपरोक्त व्यवस्थाएं अभी तक अपर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त स्थापित किए गए इन सरंक्षण गृहों आदि में स्टाफ की कमी और उपलब्ध कर्मचारियों में निष्ठा का अभाव, अपर्याप्त बजट, आवश्यक सुविधाओं की कमी, दक्ष, कुशल एवं बच्चों के मनोविज्ञान से परिचित कर्मचारियों का अभाव, अधिनियम तथा व्यवस्थाओं के बारे में लोगों की अनभिज्ञता तथा स्थानीय सहयोग की कमी जैसे कारणों ने भी किशोर न्याय अधिनियम के भली–भांति कार्यान्वयन को प्रभावित किया है। अतः देश में बच्चों के लिए उपलब्ध न्याय व्यवस्था को अधिक से अधिक हितकारी एवं प्रभावकारी ढंग से लागू करने हेतु यह आवश्यक है कि अन्तर्निहित कारणों और समस्याओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने के यथा सम्भव प्रयास किए जाएं। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों के सहयोग से एक विशेष कार्य योजना तैयार कराई जाए जिसके अन्तर्गत किशोर गृहों की स्थापना और सामाजिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न समूहों को प्रशिक्षण आदि की समुचित व्यवस्था हो ताकि आम जनता इस दिशा में अपना योगदान प्रदान कर सकें और उपेक्षित और अपचारी बच्चों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। इस सम्बन्ध में निम्नांकित सुझाव निश्चित रूप से उपयोगी हो सकते हैं–

- बाल न्यायालयों से सम्बन्धित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों के निस्तारण की शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। विशेष रूप से न्यायालयों में ऐसे मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएं जो बाल मनोविज्ञान या बच्चों से सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमों का पर्याप्त ज्ञान एवं अनुभव रखते हों और उन्हें इस सम्बन्ध में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हुआ हो। इसके साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किए जाने का प्रयास होना चाहिए कि उनके द्वारा पारित आदेश न केवल विधि व्यवस्थाओं के आधार पर हो बल्कि ऐसे हो जो मानवीय

संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए किशोर के सुधार पर बल देते हों।

- किशोर अपराध से सम्बन्धित मामलों में यह हर हालत में सुनिश्चित किया जाना चहिए कि किसी भी बच्चे को हथकड़ियां न पहनाई जाएं और उन्हें किसी भी दशा में अन्य अपराधियों के साथ नहीं रखा जाए जिससे वे मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव तथा ऐसे अपराधियों की कुसंगत से बचाए जा सके। इससे भविष्य में उनमें सुधार परिलक्षित होने की सम्भावनाएं बढ़ेंगी।
- उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु उनसे सम्बन्धित मनोवैज्ञानिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके भविष्य में पुनर्वासन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि सामान्यतया देखा गया है कि कुछ दिनों और महीनों के अन्दर किशोर गृहों में रखने के बाद यहां के निकले बच्चे अपराध की दुनिया में पुनः कदम रख लेते हैं अर्थात् वे अपराध की दुनिया को छोड़ नहीं पाते जिससे उन्हें विलग करना कानून का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
- उपेक्षित और अपचारी बालिकाओं को विशेष रूप से बनाए गए पृथक किशोर गृहों में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि उन्हें महिला कर्मचारी या अधिकारी की देखरेख में ही रखा जाए। इसके अतिरिक्त किशोर गृहों में तैनात कर्मचारियों की पोशाक ऐसी होनी चाहिए जो पुलिस विभाग के कर्मचारियों से भिन्न प्रकार की हो इससे बच्चों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा और वहां घरेलू जैसे परिवेश के निर्माण से उन बच्चों में सुधार की अधिक गुंजाइश रहेगी।
- किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार के साथ-साथ समाज सेवी संस्थाओं स्कूलों, कालेजों एवं विश्वविद्यालय के स्तर पर भी समय-समय पर विचार गोष्ठी, कार्यशाला आदि के आयोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए जिससे बच्चों की समस्याओं के बारे में विचार करने के साथ उनकी शिक्षा, देखरेख तथा पुनर्वासन में उनका अधिक से अधिक योगदान प्राप्त किया जाना सम्भव हो सके।
- अभी तक स्थापित किए गए किशोर गृह, सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, परिवीक्षा गृहों, अल्पकालिक समय में रखने वाले गृहों, नारी निकेतन, भिक्षुक गृहों आदि के रख-रखाव वैधानिक औपचारिकताओं, मनोरंजन सुविधाओं तथा शिक्षण आदि की व्यवस्थाओं के बारे में सम्पूर्ण जानकारी एकत्र कर उसे प्रकाशित कराई जाए तथा इसे जन सामान्य के साथ स्वैच्छिक संस्थाओं, पंचायती, शिक्षण संस्थानों तथा सहयोग की आकांक्षा रखने वाले लोगों तक पहुंचाने का समुचित प्रबन्ध किया गया।
- सामान्यतया उपेक्षित और अपचारी किशोर बहुत अधिक संख्या में रेलों, बसों, ढाबों, कालीन के कारखानों या चूड़ी के कारखानों या बहुत सी ऐसी गन्दी बस्तियों में पाए जाते हैं जहां से उन्हें निकालकर किशोर गृहों में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर ही समस्या का सही निराकरण हो सकता है। अतः किशोर गृहों की समुचित संख्या में स्थापना करते हुए ऐसे बच्चों को यहां तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- इस बात की भी विशेष आवश्यकता है कि किशोर न्याय अधिनियम के प्राविधानों की अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दी जाए ताकि इसके समुचित रूप से प्रयोग किए जाने हेतु हर स्तर से प्रयास किया जाना सम्भव हो सके।
- सभी किशोर गृहों मे अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और प्रशिक्षण की भी समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि वहां से निकलने के बाद वे आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए रोजगार की व्यवस्था स्वयं कर सकें और किसी के ऊपर बोझ न बनें रहे।
- उपेक्षित और अपचारी बच्चों के लिए पुनर्वासन की समुचित व्यवस्था हेतु बच्चों के क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं, नागरिक संगठनों, चुनी हुई त्रिस्तरीय पंचायतों, समाज सेवियों तथा शिक्षण संस्थाओं का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए ताकि इन बच्चों के लिए अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सके।
- बच्चों में अपराध में लिप्त होने की प्रवृति को रोकने हेतु अपराधिक दुनिया के दुषरिणामों को उजागर करने सम्बन्धी विशेष फीचर फिल्में, कार्टून फिल्में, कहानियां, क्विज तथा अन्य विभिन्न प्रतियोगिताओं आदि के आयोजन तथा विभिन्न संचार माध्यमों के सहयोग से उनके प्रसारण आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए अर्थात विभिन्न "उपचारात्मक कदम" उठाने के साथ "प्रीवेन्टिव कदम" भी उठाए जाने चाहिए।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि बच्चों के अधिकारों की मुहिम से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी को प्राप्त करके निश्चित रूप से इस दिशा में अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः बच्चों की देखभाल के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और साथ ही साथ प्यार और सरंक्षण से वंचित बच्चों के दिलों में आशा का संचार करने वाले लोगों की पहचान करके उन्हें "किशोर न्याय प्रणाली" से जोड़ा जाना चाहिए। इस तथ्य से आज कोई इंकार नहीं कर सकता कि फिलहाल देश में "किशोर न्याय प्रणाली" छिन्न-भिन्न अवस्था में है। इसके लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी कारण देश में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या में किशोरों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और आधुनिक चमक-दमक एवं बढ़ती आवश्यकताओं के आकांक्षाओं ने किशोरों को आपराधिक क्षेत्र में कदम रखने को प्रोत्साहित किया है। तभी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अपचारी किशोंरों की संख्या भी आनुपातिक रूप में अधिक पाई जाती है। वर्तमान में बढ़ते किशोर अपराधियों की संख्या ने किशोर न्याय व्यवस्था पर बोझ भी बढ़ाया है। गरीबी और अशिक्षा जिनका आपस में गहरा रिश्ता भी है, ने इस दिशा में खासी भूमिका निभाई है। इस सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि पकड़े जाने वाले किशोर अपराधियों में से 80 प्रतिशित या तो अनपढ़ हैं या प्राइमरी स्कूल पास करने के पूर्व ही पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। देश की 108 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ बच्चे हैं। आज भारत की कुल आबादी की 26 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे रह रही है जिसको दोनों वक्त का भोजन मिलना सुनिश्चित नहीं है। अकेले शहरी इलाकों में पौने चार करोड़ बच्चे अत्यन्त गरीबी की हालत में रह रहे हैं और फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों की संख्या पांच लाख से भी ऊपर है। ऐसी परिस्थितियों में देश की किशोर न्याय व्यवस्था को सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा संवेदनशील बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है तभी हम देश के भावी कर्णधारी को एक सुनिश्चित दिशा प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम हो पाएंगे। ❑ **(लेखक स्वतंत्र पत्रकार है)**

दुनिया बदलेंगे बाल मजदूर

एल.सी. जैन

काश कि व्यापार तथा यात्रियों की तरह नए विचार भी सीमाओं को आसानी से लांघने में उतने ही सफल होते लेकिन लगता है कि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में चल रहे विचार प्रवाह का कर्नाटक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। नहीं तो कर्नाटक सरकार बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए कॉरपोरेट जगत के दिग्गजों का सहारा लेने के बारे में नहीं सोचती। हाल ही में मैसूर में एक सम्मेलन के दौरान कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि कर्नाटक सन् 2007 तक पूरी तरह से बाल श्रम से मुक्त होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जिस रणनीति का जिक्र किया उसके अनुसार, "उद्योगपतियों व व्यावसायियों को जोखिम वाले काम–काज में बाल मजदूरों का इस्तेमाल करने के बजाए उन्हें स्कूल भेजना चाहिए। ऐसा न करना अपराध माना जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसा अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।"

कुछ महीने पहले एमवी फाउंडेशन के प्रयासों से बाल श्रम से मुक्त हुए 4000 बच्चे हैदराबाद में एकत्र हुए थे। उन्होंने एक पंक्ति में यही संदेश दिया, "बाल श्रम से मुक्ति का एकमात्र उपाय शिक्षा ही है। प्रोफेसर शांता सिन्हा, जिनकी अगुवाई में आंध्र प्रदेश के 2000 गांवों से बाल श्रम की कुप्रथा को समाप्त किया गया, कहती हैं, "हमें बाहर से मदद की जरूरत नहीं। हमें बस सोच और इच्छाशक्ति चाहिए।"

बाल मजदूरी के दुष्चक्र से मुक्त हुए बच्चों की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। अधिकांश बाल मजदूरों को मुक्त करवाना अभी बाकी है। हमारे यहां सात से आठ करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कम उम्र में ही काम करना आरंभ कर देते हैं। बाल मजदूरों को रोजाना 12 घंटे काम करना पड़ता है। इन तथ्यों के मद्देनजर हैदराबाद में एकत्र हुए इन बच्चों ने बाल मजदूरों की मुक्ति के लिए पांच सूत्रीय एजेंडा तय किया कि सब बच्चे नियमित रूप से औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिन में स्कूल जाएं। रात्रि स्कूल या पार्ट टाइम शिक्षा केंद्रों का विकल्प स्वीकार्य नहीं है।

स्कूली शिक्षा के दायरे से वंचित हर बच्चा बाल मजदूर है। बच्चों के लिए कोई भी काम श्रम की दृष्टि से जोखिमपूर्ण ही माना जाएगा। क्योंकि इससे बच्चों की विकास प्रक्रिया प्रभावित होती है। बाल श्रम का संपूर्ण उन्मूलन होना चाहिए। कोई भी कानून जो बाल श्रम को किसी भी आड़ में अनुमति देता है, स्वीकार्य नहीं है। बाल श्रम को ठीक करार देने वाला हर प्रयास निंदनीय है।

बाल मजदूर होने को क्या मतलब है, इसका अंदाजा लगाने के लिए मैसूर में "कैंपेन अगेंस्ट चाईल्ड लेबर" द्वारा आयोजित बालिका श्रमिकों की आपबीती पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन व सार्वजनिक सुनवाई में कुछ भुक्तभोगियों की आपबीती सुनना काफी था।

उषा सोनाजी अद्गले, उम्र 13 साल : "मेरा काम है रोलर पर से तारकोल हटाना तथा सड़क पर जमी धूल व तारकोल को कपड़े से झाड़ना। मैं रोजाना नौ घंटे काम करती हूं। मुझे चिलचिलाती धूप में तथा रात को स्ट्रीट लाईट की रोशनी में भी काम करना पड़ता है। धूल की वजह से मेरी त्वचा में एलर्जी हो गई है, बोझ उठाने के कारण सिर में दर्द रहता है, कमर और शरीर में भी दर्द रहता है, आंखों में खुजली होती है तथा धुएं व धूल के बीच बहुत समय तक रहने से दमा भी हो गया है।"

एम रेवथी, उम्र 15 वर्ष : मैं पिछले पांच साल से मछली बेच रही हूं। मुझे मछली बेचने के लिए रोजाना करीबन 50 किलोमीटर जाना पड़ता है। मेरे काम करने का समय है तेज धूप और गर्मी में सुबह छह से शाम चार बजे तक। मुझे सर में दिर्द होता है और शरीर भी दुखता रहता है। मछली ले जाते हुए अक्सर गांव के लड़के मुझे छेड़ते है और जिस बस से जाती हूं, उसका कंडक्टर भी दुर्व्यवहार करता है।

सुना कुमारी, उम्र 10 वर्ष : पिछले दो साल से ईंट के भट्ठे पर काम करती हूं। मेरे काम करने के स्थान पर 20 से 25 बच्चे और भी काम करते हैं। काम करते हुए मेरी टांग में चोट भी आ गई थी। काम की जगह पर खाने के लिए समय नहीं मिलता, न ही पानी, रोशनी, सफाई, शौचालय, साफ हवा आदि की व्यवस्था है।

प्यारी कुमारी, उम्र 11 वर्ष : मैं कभी स्कूल नहीं गई। पत्थर तोड़ने का काम करती हूं। अक्सर हाथ कट जाता है या सिर अथवा पैर पर चोट आ जाती है। काम के दौरान पत्थर फिसलने से मजदूर जान भी गंवा बैठते हैं। शौच के लिए भी खुले में जाना पड़ता है। काम करने के दौरान टीबी, दमा, पोलियो, खसरा, अल्सर हो जाना आम बात है।

एम संगरेश्वरी, उम्र 14 वर्ष : मैं पटाखे बनाने के कारखाने में काम करती हूं। हाथों पर रसायन चिपक जाते हैं। नहाने के बाद भी वे छूटते नहीं हैं। इससे पहले कारखाने की ओर से हाथ धोने के लिए साबुन मिलता था पर अब उनका कहना है कि हम अपने पैसे से साबुन खरीदें।

सौभाग्यवश, इन क्रूर स्थितियों के बावजूद उनकी आशाएं और सपने पूरी तरह से जीवित हैं। रेहाना खातून उम्र 12 वर्ष : "मौका मिला तो खूब पढ़–लिखकर अपना कैरियर बनाऊंगी।"

मैने रेहाना खातून की बात को बीच में काटते हुए पूछा कि अगर तुम भारत की प्रधानमंत्री बन जाओ तो क्या करोगी ? उसने झट से जवाब दिया, "मैं दुनिया बदल दूंगी। बताऊं कैसे ? मैं सब टीचर्स को बर्खास्त कर दूंगी और नए टीचर रखूंगी जो बच्चों को पढ़ाएंगे, पीटेंगे नहीं, उन्हें प्यार करेंगे।" उसके इस सलाह का कन्वेंशन हाल में मौजूद 600 बच्चों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। ❑

(साभार : ग्रासरूट)

बच्चे भी चाहें एक भरा–पूरा दैनिक अखबार

कादम्बरी

पिछले दिनों अर्जेंटीना की राजधानी ब्युनस आयरस में छठी वर्ल्ड यंग कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। विचार–विमर्श के दौरान मीडिया की इस बात के लिए खास तौर पर आलोचना की गई कि वह सदा बच्चों हो हाशिए पर रखता है। बच्चे उसकी प्राथमिकता में कहीं नहीं है। साथ ही मीडिया को इसलिए भी कोसा गया कि जब भी बच्चों के लिए एक भरा–पूरा अखबार निकालने की बात होती है तो व्यावसायिक मजबूरियों और आधारहीन तर्कों का हवाला देकर बचाव की मुद्रा में आ जाता है। चिंतकों ने यह बात भी खारिज कर दी कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। यह बात सही भी है। बच्चों का बड़ा पाठक वर्ग कैसे तैयार किया जाता है या किया जा सकता है इसके एक आदर्श उदाहरण के तौर पर ब्राजील से निकलने वाले उस अखबार की मिसाल दी गई जो पढ़ने–लिखने के लिहाज से बच्चों की रुचि बचाने और बढ़ाने की नई–नई राहें लगातार तलाशता रहता है। दक्षिणी ब्राजील से निकलने वाले इस अखबार का नाम है–जीरो होरा।

जीरो होरा अखबार यह तथ्य प्रमाण के साथ स्थापित करता है कि व्यावसायिकता और मल्टीमीडिया के इस युग में भी बच्चों एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार किया जा सकता है। जीरो हीरो अखबार बच्चों में लोकप्रिय क्यों है – इसके कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें काम करने वाले करीब 200 पत्रकारों में से एक तिहाई 30 साल से कम आयु के हैं। अखबार के तकरीबन 40 प्रतिशत पाठक 10 से 29 वर्ष के बीच हैं। यही नहीं समाचारों के चयन से लेकर प्रस्तुतिकरण तक में पत्रकारिता के अनेक छात्र इसे सक्रिय सहयोग देते हैं। इसमें प्रकाशित होने वाली सामग्री बच्चों की जरूरतों और रुचियों को ध्यान में रहकर ही तय की जाती है।

हालांकि बच्चों के साहित्य, उनमें पठन–पाठन की रुचियों और उनके लिए एक अदद अखबार के बारे में बात करने के लिए अर्जेंटीना तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने स्थानीय और राष्ट्रीय परिदृश्य के पेशेनजर भी इस बारे में बाआसानी बात कर सकते हैं। यहां उस सम्मेलन के हवाले का महज इतना ही अर्थ है कि बच्चों को लेकर यह स्थिति विश्वव्यापी है। बच्चों के पठन–पाठन को लेकर तमाम फिक्रमंद यही सोचते है कि बाजार के इस युग में बच्चों को उनके मन और हित की सामग्री कैसे उपलब्ध कराई जाए। हैरी पॉटर श्रृंखला की तमाम किताबों की बिक्री भी तो यही साबित करती है कि बच्चों में पढ़ने की रुचि अभी भी बरकरार है। सद्य प्रकाशित हैरी पॉटर एंड हाफ ब्लड प्रिंस ने बिक्री के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। यह अलग बात है कि उस मोटी और महंगी किताब को किस वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन रुचि न होने की बात का खंडन उस किताब से तो ही जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे यहां रहस्य–रोमांच से भरपूर किसी विस्मयकारी दुनिया की सैर कराने वाले चरित्र नहीं है। या किताब नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि पंचतंत्र सरीखी किताब की हैरी पॉटर जैसी मार्केटिंग नही की गई।

जहां तक बच्चों के लिए एक बड़े अखबार का प्रश्न है तो लगता नहीं हमारे यहां ऐसा कोई अखबार निकलता है और अगर निकलता भी होगा तो उसे वैसे ख्याति या पाठक नहीं ही मिले हैं जैसे कि दिल्ली या देश के अन्य हिस्सों से निकलने वाले राष्ट्रीय अखबारों को मिलते हैं। हां हमारे यहां कई पत्रिकाएं जरूर हैं जो बच्चों पर केंद्रित हैं। कई पत्रिकाओं का तो संपादन इत्यादि भी बच्चे ही करते हैं। लेकिन ये तमाम स्थानीय किस्म के छोटे–छोटे गैर–सरकारी संगठनो के प्रयास हैं। उनका पाठक–वर्ग सीमित है और उनके भौगोलिक दायरे भी हैं। उनमें जो सामग्री दी जाती हैं वह भी दादा–दादी की कहानियों की तरह हैं।

बेशक, ऐसे में जरूरत होती है एक ऐसे दैनिक पत्र की जो राष्ट्रीय अखबार की परिभाषा में फिट बैठता हो। जिसको लेकर मार्केटिंग और विज्ञापनों की वैसी ही जद्दोजहद हो जैसी कि अन्य बड़े अखबारों के लिए की जाती है। जिसे पढ़ने के लिए बच्चे वैसे ही उतावले और जिज्ञासु हों जैसे कि तमाम व्यावसायिक अखबारों को पढ़ने–पलटने के लिए सभी बड़े–बूढ़े और महिलाएं रहते हैं। वैसा ही अखबार जिसके सवेरे न मिलने पर दिन अधूरा सा लगता है और चाय की चुस्कियां लेने में मजा नहीं आता। वैसा अखबार जो बच्चों को किसी कमी का अहसास करा सके।

लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस 'जोखिम' को उठाने लिए कोई भी पूंजीपति या व्यावसायिक घराना तैयार नहीं है। ऐसा कतई नहीं हो सकता कि अरब पार कर चुकी हमारे देश की जनसंख्या में उस अखबार को लाखों पाठक नहीं मिलेंगे। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि बाजार अब तक इस बारे में खामोश है। आजकल तो बाजार ही गुजाइशें खड़ी करता है। जिस चीज की जरूरत नहीं होती बाजार अपनी ताकत से उसे भी अनिवार्य बना देता है। फिर जिस चीज की दरकार है उसे लेकर बाजार में किसी तरह की सुगबुगाहट क्यों नहीं है? बाजार के पंडित तो यह जानते ही होंगे कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों का अखबार चल सकता है, फिर भी किसी तरह की हलचल दिखाई नहीं देती। आखिर क्यों?

इस क्यों का जवाब तलाश पाना आसान नहीं है। हां, बड़े मीडिया घरानों से यह उम्मीद जरूर की जाती है कि वे इस दिशा में कदम बढ़ाएं। वैसे भी मीडिया में तरह–तरह के प्रयोग चल रहे हैं। प्रयोग के तौर पर ही एक बार किसी चीज को शुरू किया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ऐसा किया गया तो वह प्रयोग सफल होगा। बच्चों की रुचियों और उनके बाजार को कम करके आंकना गलत होगा। आज घर की तमाम उपभोक्ता वस्तुओं के चयन और खरीदारी में बच्चों की भूमिका अहम होती जा रही है ऐसे में अगर उन्हें उनके मन की पठन–पाठन सामग्री दैनिक रूप से मिलेगी तो वे जरूर उसके ग्राहक बनेंगे। फिर हो सकता है कि अगर बाजार में ऐसा कोई पत्र हो तो माता–पिता या अभिभावक भी अपने बच्चों की खातिर उसे खरीदना चाहें। पर इसकी शर्त यह है कि उसमें हर वर्ग के बच्चों की रुचि के मुताबिक सामग्री हो। खासकर मध्य वर्ग के बच्चों की जो तमाम तरक्कियों के बाद भी उन्हें पढ़ाने और बढ़ाने वाली अच्छी सामग्री से भी वंचित हैं। ❑

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

विश्व समस्या : बाल वेश्यावृत्ति

सुप्रिया

"नेहरू कहीं मिलें तो बताना उन्हें जरूर, बच्चे बहुत उदास हैं हिंदोस्तान में" इस शेर का हर शब्द उन मासूम बच्चों के मन की व्यथा को व्यक्त करता है, जो वेश्यावृत्ति के धंधे में लिप्त हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चों से वेश्यावृत्ति कराई जा रही है। जिनकी अभी खेलने की उम्र है, उनके बचपन को रोज दिन–रात दिल्ली के वेश्यालयों, गेस्ट हाउसों, क्लबों और पांच सितारा होटलों में क्रूरतापूर्वक रौंदा जा रहा है। तमाम कानूनों और मानवता को ताक पर रखकर आठ वर्ष के मासूम बच्चों तक को वेश्यावृत्ति के गर्त में धकेला जा रहा है, जहां से ताउम्र उनके बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं है।

सब कुछ पुलिस और सत्ता में ऊंची पहुंच वाले दलालों की छत्रछाया में बड़े ही सुनियोजित तरीके से चल रहा है। हकीकत में राजधानी दिल्ली बाल वेश्यावृत्ति का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया है। यह दिल दहला देने वाला सच दिल्ली में बाल वेश्यावृत्ति पर राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट 'खोया हुआ बचपन' ने उजागर किया है।

बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते है। सबकी आंखों का तारा कहे जाते हैं, परंतु वासना की अंधी दौड़ और मानसिक विकृतियों से भरे परिवेश में आज करोड़ों मासूम यौन–शोषण का शिकार हो रहे हैं। मात्र भारत में ही लगभग पांच करोड़ बाल–मजदूर हैं, जिनमें छह लाख बाल वेश्याएं हैं। न केवल बालिकाएं, बल्कि बालक भी बाल–वेश्यावृत्ति का शिकार होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की ओर से 1994 में कराए गए विश्लेषण से पता चलता है कि बाल–वेश्यावृत्ति में थाईलैंड में इस समय छह लाख बाल–वेश्याएं हैं। भारत में छह लाख बाल–वेश्याएं हैं। श्रीलंका में लगभग चालीस हजार बाल–वेश्याएं हैं, जिनमें लड़के व लड़कियां दोनों ही हैं। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका के कई देशों में बाल–वेश्यावृत्ति का भीषण प्रकोप फैला हुआ है, जिसमें इक्वाडोर व वेनेजुएला सबसे आगे हैं।

इन बाल वेश्याओं में सबसे अधिक संख्या उन बच्चों की है, जो घर से भागकर आते हैं। घर से भागे ये बच्चे शहर आने पर वेश्यावृत्ति के धंधे में संलग्न दलालों के हाथ लग जाते हैं। इन बच्चों के घर से भाग जाने की वजह परिवार वालों का अत्याचार और परिवार में उनके साथ किया जाने वाला बलात्कार या यौन–शोषण होता है। बाल सुधार गृह और बाल कल्याण संस्थाओं के अत्याचारों से तंग आकर भागे हुए बच्चे भी दलालों के हाथ लग जाते हैं। फिर इन बच्चों की एक उत्पाद की तरह खरीद–फरोख्त की जाती है। यही नहीं उत्पाद की तरह इनका आयात–निर्यात भी किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत के वेश्यालयों में 16 वर्ष से कम उम्र की तकरीबन डेढ़ लाख नेपाली लड़कियां हैं। इसी तरह पाकिस्तान में 40 हजार बंगाली लड़कियां वेश्यावृत्ति में संलग्न हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट यह तथ्य उजागर करती है कि दिल्ली में जी.बी. रोड के अलावा स्लम बस्ती, यमुनापुश्ता, न्यू सीमापुरी,

निजामुद्दीन बस्ती, सेवानगर, रोहिणी, जहांगीरपुरी, दक्षिण दिल्ली व तमाम गेस्ट हाउस और होटलों में नाबालिगों से धड़ल्ले से वेश्यावृत्ति कराई जा रही है। जिसका औसत साठ प्रतिशत तक है।

राष्ट्रीय महिला आयोग के सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में वेश्यावृत्ति में कार्यरत महिलाओं में साठ प्रतिशत से अधिक संख्या बांग्लादेश, नेपाल से आई नाबालिग लड़कियों की है। यही नहीं, वेश्यावृत्ति के संचालक बड़ी चालाकी से पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों की मदद से इन नाबालिग बच्चों के धंधे में प्रवेश के समय ही 'व्यस्क' होने का प्रमाण पत्र हासिल कर लेते हैं। राजधानी में इन नाबालिग वेश्याओं की संख्या आयोग के अनुसार कई हजार है। दिल्ली में बाकायदा दस नाबालिगों का कोठा चलाने के लिए पुलिस पचास हजार रूपये वसूलती है, बीस नाबालिगों पर एक लाख का व पचास नाबालिगों पर तीन लाख रूपये का रेट है। ओहदे के मुताबिक पुलिस रोजाना हर ग्राहक के हिसाब से पैसा वसूलती है। हर दस नाबालिग पर तीन सौ रूपये प्रति कोठा वसूला जाता है। पुलिस के साथ–साथ इस धंधे में नेता भी शामिल हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि बाल वेश्यावृत्ति का कारण न सिर्फ गरीबी, बल्कि माफिया व अन्य तमाम कारण हैं। यहां तक कि तमाम लड़कियों के मां–बाप, रिश्तेदार तक इन बच्चियों को शादी के नाम पर बेच देते हैं या फिर छोटी लड़कियों को बहला–फुसलाकर सदा के लिए अंधेरे में धकेल दिया जाता है।

बच्चों को इस धंधे में लगाने के लिए लोग कानून का भी सहारा लेने लगे हैं, ताकि भविष्य में उन्हें किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। इसके तहत अभिभावकों की सहमति से कानूनन बच्चे को गोद लिया जाता है, फिर उनसे वेश्यावृत्ति कराई जाती है। इनकी खरीद, बिक्री के लिए कई मंडियां भी हैं, जिनमें धौलपुर (राजस्थान), बसई

(उत्तर प्रदेश), जलपीगू और हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), पुणे (महाराष्ट्र), भुवनेश्वर (उड़ीसा), मुजफ्फरपुर (बिहार) व मंडी (हिमाचल प्रदेश) प्रमुख है। एक अध्ययन के अनुसार बाल वेश्यावृत्ति में संलग्न ज्यादातर बच्चे उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक से आते है।

सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां भी इस घिनौने व अमानवीय व्यापार को जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन कुरीतियों में एक देवदासी प्रथा भी है। मुंबई की वेश्याओं में पैंतीस प्रतिशत नाबालिग हैं। इनमें से पंद्रह प्रतिशत वेश्याओं को देवदासी बनाने के बाद वेश्यावृत्ति में लाया गया है। यहां वेश्यावृत्ति के धंधे में लगे सत्तर प्रतिशत बच्चों से जबरदस्ती यह धंधा कराया जाता है।

बाल वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने में पर्यटन उद्योग का भी बहुत हाथ रहा है, बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि जैसे–जैसे पर्यटन उद्योग फैलता जा रहा है, वेश्यावृत्ति का व्यवसाय भी फल–फूल रहा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार एशिया में 1992 से 1994 के बीच 160 विदेशी पर्यटकों को बाल यौन शोषण के विरोध में गिरफ्तार किया गया था। इनमें पच्चीस प्रतिशत अमेरिकी, अठारह प्रतिशत जर्मन, चौदह प्रतिशत ऑस्ट्रेलियन, बारह प्रतिशत फ्रेंच थे।

बाल वेश्यावृत्ति अब विश्व समस्या बन गई है। यूनीसेफ द्वारा हाल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार बाल वेश्यावृत्ति व्यापार का मुख्य केंद्र एशिया है। एशिया में अनुमानतः दस लाख ऐसे बच्चे हैं, जो इस व्यवसाय में संलिप्त हैं। हालांकि बाल यौन शोषण के विरुद्ध कुछ कानून भी बन गए हैं। थाईलैंड में इस व्यवसाय में लिप्त लोगों के लिए दस साल की कैद की सजा का प्रावधान है। जर्मनी, नार्वे व स्वीडन ने भी बाल–अपराध में संलिप्त 'यौन पर्यटकों' पर उनके अपने देश में मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे दी है। आस्ट्रेलिया, फ्रांस व न्यूजीलैंड भी इस तरह के कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं।

यूं तो वेश्यावृत्ति का इतिहास इस विश्व जितना ही प्राचीन है, मगर जहां तक बाल–वेश्यावृत्ति का संबंध है, इसमें तेजी उस समय आई, जब अमेरिकी सैनिक 1967 में वियतनाम के युद्ध में गए और उन्हें यौनाचार की आवश्यकता पड़ी। उस समय थाईलैंड से अमेरिका ने गुप्त समझौता किया कि उसके सैनिक जब तक वियतनाम में रहेंगे, वे 'मनोरंजन' के लिए थाईलैंड आते रहेंगे। इस समझौते का नाम रखा गया 'रेस्ट एंड रिलेक्सेशन'। चूंकि अमेरिकी सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी, थाईलैंड में स्कूली छात्राओं को इस कुकृत्य के लिए आगे लाया गया। सरकार को तो डॉलर चाहिए थे, इसलिए एशिया के इस भाग में बाल–वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने को बड़ा श्रेय थाईलैंड को जाता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एक–एक बच्ची को एक दिन में 20–20 ग्राहकों के साथ वेश्यावृत्ति के लिए विवश किया जाता है।

तेरह वर्षीय शीला ने आयोग को बताया कि दस वर्ष की उम्र में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। घर में कोई सुरक्षा नहीं थी। मुबई में चल रही संस्था 'असहाय तिरस्कृत नारी संघ' की रिपोर्ट में कहा गया है कि समाज में बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी के अतिरिक्त भी बाल वेश्यावृत्ति के अन्य बहुत से कारण हैं। बहुत–सी अवयस्क लड़कियां अपने परिवार वालों, अपने पिता, चाचा, भाई, ताऊ, बाबा की हवस का शिकार बन जाती हैं। पिछले पांच वर्षों में ऐसी लड़कियों की संख्या बड़ी मात्रा में बढ़ी है। एन.सी.ई.आर.टी. के अनुसार 1975–1985 तक पिता द्वारा यौनाचार व बलात्कार से पीड़ित लड़कियों की संख्या भारत में 15000 के लगभग थी, परंतु 1985–1995 तक इस प्रकार के लगभग एक लाख केस थाने में दर्ज किए जा चुके हैं।

प्रायः लोग एड्स के प्रकोप से बचने के लिए बाल–वेश्यावृत्ति का सहारा लेते हैं। एक गलतफहमी ये भी है कि कम उम्र के लड़के–लड़कियों के साथ यौनाचार करने से यौन शक्ति का विकास होता है, विशेषकर यदि कन्या कुंवारी हो, परंतु इस मिथ्या धारणा में कोई सत्य नहीं।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने बाल वेश्यावृत्ति के दंश पर देशभर के राज्यों में दस रिपोर्ट तैयार की है। दिल्ली में बाल–वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए आयोग ने मुख्यमंत्री को सिफारिशों को पत्र दिया। उन्होंने इस पर एक माह में एक्शन रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार 'दिल्ली रजिस्टर' प्रणाली शुरू कर रही हैं इससे वेश्यावृत्ति पर रोक में सहायता मिलेगी, क्योंकि 'दिल्ली रजिस्टर' बाहर से आए दिल्ली में बसने वाले लोगों का पूरा इतिहास रखेगी। दिल्ली के नौ जिलों व सत्ताईस उप जिलों के जरिये यह प्रणाली शुरू होगी।

यह प्रणाली बाल–वेश्यावृत्ति जैसे सामाजिक कोढ़ को समाप्त करने में, उस पर अंकुश लगाने में कितनी कारगर हो पाती है, यह तो समय ही बताएगा, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं कि जब तक समाज में जागृति नहीं आएगी और समाज हर बच्ची को अपनी बेटी मानकर नहीं चलेगा, यह बीमारी बढ़ती ही जायेगी। कानून का बनना और कागजों पर लिख देना ही काफी नहीं है, जब तक कि व्यावहारिकता में उसका सख्ती से पालन न हो। बाल–वेश्यावृत्ति समाज पर बदनुमा दाग है और यह हम सबका सामाजिक दायित्व है कि इस दाग को मिटाने में हम सहयोग करें। ❑

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

बाल श्रम का शोषण

बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुनसार, 13 जोखिमकारी व्यवसायों और 57 जोखिमकारी प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। इन व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन करते पाए जाने वाले नियोजकों पर अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाया जाता है। इस अधिनियम में गैर–जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बच्चों की कामकाजी शर्तों के विनियमन का भी प्रावधान है। इसमें कार्य घंटों, विश्राम अवधि, आदि का निर्धारण शामिल हैं। अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघनों के मामलों का पता लगाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा छापा मारने और निरीक्षण करने का कार्य एक सतत प्रक्रिया है। दिल्ली सरकार द्वारा, अप्रैल से जुलाई, 2005 के दौरान, जरी और कशीदाकारी इकाईयों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 198 बच्चे कार्य करते पाए गए थे। दिल्ली सरकार द्वारा दोषी पाए गए नियोजकों के खिलाफ उक्त अधिनियम के अंतर्गत पहले ही अभियोजना कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

राज्य सरकारों को अधिनियम को कड़ाई से लागू करने हेतु नियमित रूप में अनुदेश दिए जा रहे हैं। हाल के मामले में, दिल्ली सरकार ने इस संबंध में पहले ही कारवाई शुरू कर दी है। इस प्रकार, इस मामले की जांच करने के लिए अलग से कोई समिति गठित करने का प्रस्ताव नहीं है। ❑

बालश्रम और शिक्षा पर द्वितीय विश्व कांग्रेस

साजिया आफरीन

बाल श्रम और शिक्षा पर द्वितीय विश्व कांग्रेस का आयोजन 4–8 सितंबर, 2005 को नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ने किया था। इसका उद्देश्य था प्रथम विश्व कांग्रेस में भाग न ले पाने वाले बच्चों के विचारों, अनुभवों तथा कार्यों के बारे में एक दूसरे को बताना, उन्हे सशक्त करना तथा उनमें बालश्रम के खिलाफ नेतृत्व भावना एवं संघर्ष के लिए प्रेरित करना। प्रथम विश्व कांग्रेस में चुने गये बाल प्रतिनिधियों तथा द्वितीय विश्व कांग्रेस में चुने गए बाल प्रतिनिधियों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल मजदूरी के खिलाफ बच्चों और युवाओं का एक मजबूत आंदोलन शुरू करने के लिए भी इसे आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी संगठनों, ट्रेड यूनियनों, शिक्षक समूहों व अन्य प्रतिभागियों की प्रमुख रूप से भागीदारी रही।

इस विश्व कांग्रेस में कुछ खास मुद्दों पर सहमति बन पाई। वे हैं:

- बाल मजदूरी की समाप्ति।
- सभी के लिए शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों में समन्वय स्थापित करना।
- बाल अधिकारों में सुरक्षा और शांति जैसे विषयों पर गंभीरता से काम करने की मांग।
- बाल मजदूरी के खात्मे के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर दबाव।
- गरीबी उन्मूलन और सभी को मुफ्त, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाना।
- अंतरराष्ट्रीय विकास संस्थाओं, विकास बैंकों तथा वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं पर यह दबाव बनाना कि वे अधिकाधिक सहायता मुहैया कराएं।

इस कार्यक्रम को एक प्रक्रिया में परिवर्तित करने की बात की गई ताकि बच्चे सशक्त हो सकें और यह महसूस कर सकें कि बाल मजदूरी मुक्त एक नई दुनिया बनाना मुश्किल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 12 में भी उल्लेख है कि बच्चों को अपनी आवाज व्यक्त करना और उसे सुना जाना उसका अधिकार है। लेकिन यह केवल कागजों पर ही लिखा रह जायेगा। यदि बच्चों को उनकी बात कहने के अवसर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं।

स्वयंसेवी संस्था ग्लोबल मार्च अगेन्स्ट चाइल्ड लेबर का मानना है कि बच्चे महज व्यस्कों से मिलने वाली सुरक्षा के ही हकदार नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने और उसे दूसरों तक पहुंचाने का अधिकार भी मिलना चाहिए। जैसे सभी बच्चों को आयु, स्थिति, रंग अथवा योग्यता आदि को दरकिनार कर सभी को एक जैसा आदर मिलना चाहिए, बच्चों की भागीदारी पूर्ण रूप से स्वैच्छिक होनी चाहिए। बच्चों की सहाभागिता, उनकी हिस्सेदारी के साथ सुनिश्चित होनी चाहिए। सार्वजनिक गतिविधियों के दौरान बच्चों को व्यस्कों के निर्देश के बिना अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए। प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्दों पर बच्चों के विचारों को अवश्य सुना जाना चाहिए। बच्चों के साथ मिलकर, कुछ नियम निर्धारित कर ही, किसी कार्यक्रम की शुरूआत की जानी चाहिए। वयस्कों द्वारा अपने राजनीतिक या आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बच्चों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों की सहभागिता जहां एक तरफ उन्हें स्वयं जिम्मेदार बनाती है, वहीं सभी लोगों के बीच में बराबरी, समझदारी और आजादी की भावना पैदा करती है।

लेकिन आज बाल मजदूरी विश्व में बच्चों के शोषण का सबसे बड़ा जरिया बन गयी है। दुनियाभर में लगभग 25 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी की आग में तप रहे हैं। विश्व के प्रत्येक 100 बच्चों में से 16 बाल मजदूर के रूप में और 12 बाल मजदूरी के सबसे खतरनाक स्वरूपों में काम करने के लिए मजबूर हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 12 करोड़ बच्चों ने कभी स्कूल का मुंह तक नही देखा और लाखों बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। यदि भारत के संदर्भ में ही लें तो आज जहां 6 करोड़ बच्चे काम करने के लिए मजबूर हैं, वहीं 7 करोड़ वयस्क बेरोजगार हैं। इससे यह साफ होता है कि रोजगार के बाजार में वयस्कों की जगह बच्चों को खपा दिया गया है।

यूएनडीपी की रिपोर्ट पर अगर गौर करें तो–

- विश्व में 6 से 14 वर्ष की आयु के 11 करोड़ 50 लाख से भी अधिक बच्चों ने कभी स्कूलों में दाखिला नहीं लिया, इनमें से लगभग 60 प्रतिशत बालिकाएं हैं।
- विश्व में 86 करोड़ वयस्क निरक्षर हैं जिनमें दो तिहाई महिलाएं हैं।
- लगभग 15 करोड़ बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं जिनमें दो तिहाई लड़कियां हैं।
- 11 करोड़ 50 लाख बच्चों का स्कूल भेजने के लिए अनुमानतः 10 से 15 अरब डालर वार्षिक की जरूरत है। हालांकि यह रकम देखने में बड़ी लगती है परंतु यह तो महज 3 दिन के सैन्य खर्च के बराबर है।

दूसरी तरफ भारत में सरकारी अनुमान के अनुसार

- भारत में 3 करोड़ 50 लाख 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे स्कूलों से बाहर हैं जिनमें दो तिहाई लड़कियां हैं।
- भारत में 1 करोड़ 26 लाख बच्चे बाल श्रम करने को मजबूर हैं ये लोग भी स्कूलों में नहीं जा रहे हैं।
- पढ़ने और सिखाने की सामग्री के अभाव, दक्ष अध्यापकों का न होना, उचित पाठयक्रम का न होना और सरकारी स्कूलों का मूल्यांकन न होना भी शिक्षा के स्तर को गिरा रहा है।
- 30 प्रतिशत स्कूल बिना ब्लैकबोर्ड के चल रहे हैं।

ऐसे में सरकारों और अंतरराष्ट्रीय समुदायों को चाहिए कि वे अंतरराष्ट्रीय कानूनों व संविधानों के तहत बनाए गए नियमों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करवाएं तथा इस हेतु आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराएं। वर्ष 2000 में उच्च आय वाले देशों का सकल राष्ट्रीय उत्पाद 24 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक था। यदि इसका महज 1000 वां हिस्सा भी बच्चों संबंधी कार्ययोजनाओं पर खर्च कर दिया जाए, तो विश्व से बाल मजदूरी का खात्मा, सभी के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सकता है। बाल मजदूरी का खात्मा महज एक ख्वाब नहीं है बल्कि यह संभव है यदि दुनिया में बच्चों के अधिकारों को दिलाने के लिए सच्चाई के साथ प्रयास किया जाए।

सबके लिए शिक्षा और बाल मजदूरी उन्मूलन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। शिक्षा और खासकर मुफ्त, अनिवार्य और उपयोगी शिक्षा बाल मजदूरी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। उपयोगी शिक्षा के अभाव में जहां बच्चों के पास मजदूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वहीं इसके चलते उन्हें खतरनाक और शोषण के वातावरण में झोंकने के लिए मजबूर भी कर दिया जाता है। ❑

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार है।)

अनाथ बच्चों के लिए विशेष पैकेज

अनाथालय के असहाय बच्चों के लिए पर्यटक स्थलों का भ्रमण पैकेज, ग्रामीण पैकेज स्थलों के लिए विशेष वेबसाइट और एयर इंडिया तथा माइक्रोसॉफ्ट और टूरिस्ट टैक्सियों के जरिए अद्भुत! भारत (एयर इंडिया के विमानों ओर टूरिस्ट टैक्सियों पर अद्भुत! भारत अंकित किया जाएगा) का प्रचार विश्व पर्यटन दिवस के अवसर की कुछ विशेष झलकियां होंगी। विश्व पर्यटन दिवस इस माह 27 सितम्बर को आयोजित किया गया।

विश्व पर्यटन संगठन और वर्ल्ड टूरिज्म एण्ड ट्रैवल काउन्सिल तथा पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणीय संगठनों ने भारतीय पर्यटन को सबसे ज्यादा तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र के रूप में बताया है। इनका अनुमान है कि यह उद्योग 8 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। कोन्डे नास्त ट्रैवलर्स फोरम और लोनली प्लैनेट जैसे सुविख्यात फोरमों द्वारा हाल ही में कराए गए सर्वेक्षणों और जनमत आंकड़ों से पता चलता है कि भारत विश्व के पांच शीर्ष पर्यटक स्थलों में से एक है।

भारतीय पर्यटन की कुछ खूबियां इस प्रकार हैं–

- कोन्डे नास्त ट्रैवलर पुस्तिका के पाठकों के अनुसार कि भारत का हैल्थ स्पा विश्व के सर्वश्रेष्ठ हेल्थ स्पा स्थलों में से एक है।
- विश्व पर्यटन संगठन ने भारतीय पर्यटन को सर्वाधिक तेजी से यानी 8.8 फीसदी वार्षिक की दर से विकसित हो रहे उद्योग के रूप में घोषित किया है।
- पर्यटन देश का तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग है। 2004 में पर्यटन से 21 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक की आय हुई
- देश की कुल श्रम शक्ति में से 6 प्रतिशत को पर्यटन में रोजगार मिला हुआ है। पर्यटन उद्योग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।
- सीआईआई–मैकिन्से रिपोर्ट के अनुसार चिकित्सा पर्यटन से देश में 2012 तक 10 हजार करोड़ रुपए तक की विदेशी मुद्रा आ सकती है।
- भारत के विशाल तथा खूबसूरत तटीय क्षेत्र, अछूते वन, शान्त द्वीप समूल, वास्तुकला की प्राचीन, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परम्परा, रंगमंच तथा कलाकेन्द्र पश्चिम के पर्यटकों के लिए खूबसूरत आकर्षण के केन्द्र बन सकते हैं।
- विदेशी पर्यटकों के प्रति आत्मीयता दर्शाने के लिए सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम अतिथि देवो भवः शुरू किया गया है।

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी नई दिल्ली के अशोक होटल की आर्ट गैलरी में अद्भुत भारत–संस्कृतियों का संगम विषय पर एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और शाम को नई दिल्ली के पुराने किले में विनायकराम और अन्य सुप्रसिद्ध कलाकारों ने भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों पर सप्ताक्षर प्रस्तुति पेश की।

एयर इंडिया के विमानों की टेल पर अद्भुत! भारत अंकित रहेगा और माइक्रोसॉफ्ट विन्डो पर भारतीय पर्यटन की विषयवस्तु का प्रदर्शन भारतीय संगीत के साथ किया जाएगा। महानगरों की सड़कों पर दौड़ने वाली टूरिस्ट टैक्सियों पर भी अद्भुत! भारत अंकित होगा। मंत्रालय पर्यटन के विभिन्न पहलुओं पर फोटो तथा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। ❑

बालश्रम कल्याण और पुनर्वास योजना

खतरनाक व्यवसायों और पेशों से हटा लिए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम को देश के 21 राज्यों के 250 जिलों में लागू कर रही है। इस स्कीम के तहत बाल मजदूरों से जुड़ी राष्ट्रीय सोसाइटियों द्वारा विशेष स्कूल खोले जाते हैं जहां इन बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि वे बाद में नियमित स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सकें।

यह राशि राज्य सरकारों के बजाय राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के तहत उपयोग के लिए विभिन्न जिलों को सीधे जारी की जाती है। सरकार ने इस योजना के तहत पिछले तीन सालों यानी 2002–03, 2003–04 और 2004–05 में क्रमशः 635,984,506 रुपये, 649,367,135 रुपये और 817,699,789 रुपये जारी किये और जिन राज्यों को यह राशि जारी की गई उनके नाम हैं– आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। ❑

राष्ट्रीय सम-विकास योजना

सौमित्र मोहन

राष्ट्रीय सम–विकास योजना (आरएसवीवाई) योजना आयोग का एक ऐसा प्रयास है, जिसका लक्ष्य घोर गरीबी, कम विकास और कुप्रशासन की समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे कार्यक्रम शुरू करना है, जो विकास के मार्ग की बाधाएं दूर करते हुए विकास प्रक्रिया में तेजी ला सकें। आरएसवीवाई में क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उपयुक्त परियोजनाएं और कार्यक्रम चुनने के लिए समुचित लचीलापन अपनाया जाता है।

जलपाइगुड़ी जिले ने इस अवसर को गंभीरता से लिया और पंचायती राज संस्थानों, गैर–सरकारी संगठनों, स्वयं–सहायता समूहों और सभ्य समाज के संस्थानों सहित विभिन्न पक्षों के सक्रिय सहयोग से कार्यक्रम और योजनाएं विकसित करने की दिशा में काम किया। इससे परियोजनाएं और कार्यक्रमों को अधिक वास्तविक और संदर्भसापेक्ष बनाने में मदद मिली।

यह महसूस किया गया है कि प्रत्येक कोने में समान रूप से विकास नहीं हुआ है। यह बात पूरे देश पर लागू होती है, और जलपाईगुड़ी जिला भी इसका अपवाद नहीं है। विकास में क्षेत्रीय विषमताएं और संदर्भगत भिन्नताएं रही है। कुछ समाजों और समुदायों की विकास को समाहित करने की क्षमता अन्य समूहों से भिन्न होती है और, इसीलिए विकास की प्रक्रिया उन्हें भिन्न–भिन्न रूप से प्रभावित करती है। किसी जिले के क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया का अध्ययन करते समय यह देखा जाता है कि उसी जिले के कुछ इलाके या क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। जलपाईगुड़ी भी इसका अपवाद नहीं है। पश्चिम बंगाल की प्रगतिशील सरकार, अपनी निर्धन समर्थक नीतियों के जरिए विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के बीच विकास के लाभ समान रूप से वितरित करने के प्रयास करती रही है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन ने उन क्षेत्रों/स्थलों की पहचान करने का प्रयास किया, जिनमें कम विकास हुआ है, और जहां विकास पर अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है। इस जिले में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जिला प्रशासन ने कुछ ऐसे क्षेत्रों/स्थलों का चयन किया है, जो अन्य क्षेत्रों के मुकाबले आर्थिक दृष्टि से अधिक पिछड़े हुए हैं।

जैसा कि ऊपर कहा गसा है, यह एक कटु सत्य है कि विकास संबंधी निर्णय सभी क्षेत्रों के बारे में समान रूप से नहीं किए जाते, और अगर ऐसा हो भी जाए तो भी कार्यान्वयन संबंधी भिन्नताओं के कारण विकास की खास कोशिशों के प्रति उत्तदायित्व की स्थानीय लोगों की क्षमताओं में अंतर सं कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अधिक लाभ उठाते हैं, जिसकी परिणति आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन के रूप में होती है। ऐसा ज्यादातर जानबूझ कर नहीं किया जाता। विकास प्रक्रिया के इन अवांछित परिणामों से लोगों का एक वर्ग ऊंचा उठ जाता है और दूसरा पिछड़ा रह जाता है। शिक्षा, जागरूकता और प्रदर्शन के प्रभाव के साथ लोगों की आकांक्षाएं आज उपलब्ध संसाधनों से लोगों की जरूरतें पूरी की जा सकती थीं। अब बढ़ती आकाक्षांओं की क्रांति पर ध्यान नहीं दिया जाता, और लोगों की आकाक्षांएं पूरी नहीं हो पाती, तो एक तरह के अकेलेपन की भावना पैदा होती है और कभी–कभी ऐसे वर्ग अपने को जीवन की मुख्य धारा से विलग महसूस करते हैं। पिछले वर्षों में यह देखा गया है कि ऐसे अलग–थलग समुदायों ने अपनी भावनाएं उग्र होकर व्यक्त की है। यह भी देखा गया है कि ऐसे समूह अनेक विघटनकारी गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं, जिससे उनकी रचनात्मक क्षमता अवरूद्ध हो जाती है।

इस स्थिति से रचनात्मक ढंग से निपटने और विकास के लाभ ऐसे व्यक्तियों तथा क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए आरएसआरवी के तहत कुछ रचनात्मक उपायों और प्रयासों की योजना बनाई गयी है। आरएसआरवी घोर गरीबी, कम विकास और कुप्रशासन की समस्याओं को हल करने का अवसर प्रदान करता है। इसका लक्ष्य पिछड़े क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी करना है। यह भी एक तथ्य रहा कि इस जिले को स्वयं सर्वाधिक पिछड़ा समझा गया और तदनुरूप योजना आयोग द्वारा इसका चयन इस कार्यक्रम के तहत शामिल करने के लिए किया गया।

आरएसआरवी संबंधी परियोजना दस्तावेज में कहा गया है, "यह जिला आसपास के जिलों के साथ कथित 'कामतापुर आंदोलन के रूप में उग्रवादी गतिविधिों में बढ़ोतरी की समस्या का सामना कर रहा है। पिछले दो तीन वर्ष में कथित रूप से कामतापुर लिबरेशन आर्गनाइजेशन (केएलओ) से संबंद्ध उग्रवादियों ने राजनीतिक नेताओं और स्कूली शिक्षकों को निशाना बनाया, जिनकी पंचायती राज संस्थानों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर उग्रवादी गतिविधियां बढ़ती रहीं, और जिले के और क्षेत्रों को उन्होंने अपने प्रभाव में ले लिया, अथवा इन गतिविधियों में तेजी आई तो इससे पंचायती राज संस्थानों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आम आदमी के नैतिक साहस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और इस तरह विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में रुकावट आएगी। वास्तव में अगर लोग उग्रवादी गतिविधियों में शामिल हो गए तो जिले में विकास प्रक्रिया पूरी तरह ठप्प हो जाएगी।"

पिछले वर्षों में बड़ी संख्या में ऐसे उग्रवादियों ने राष्ट्रकी मुख्य धारा में वापस आने और रचनात्मक जीवन के लिए काम करना उचित समझा। यह एक उत्साह जनक बात है और जिला प्रशासन स्थिति का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिले में गुमराह युवाओं के लिए दो योजनाएं, शुरू की गयीं, और उनका रचनात्मक प्रभाव पड़ा। जीवन की मुख्य धारा में लौटाने और फिर से सामान्य पारिवारिक जीवन प्रारंभ करने में रूचि रखने वाले उम्मीदवारों की संख्या निरंतर

बढ़ती जा रही है। इस दिशा में पुलिस भी रचनात्मक भूमिका निभा रही है और हथियारों की बजाय एक मित्र, विचारक और पथ–प्रदर्शक के नाते गुमराह युवाओं की सहायता कर रही है। पंचायती राज संस्थानों ने ऐसी गतिविधियों को समाज के साथ जोड़ने में सहायता करने की इच्छा जाहिर की है, और हर संभव संस्थागत सहायता का प्रस्ताव किया है।

इस वास्तविकता को पहचानते हुए जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन ने आरएसवीवाई के अंतर्गत एक उपयोजना आरंभ की। 'नव दिशा' अभियान के अंतर्गत करीब 1200 ऐसे लोगों के पुनर्वास का लक्ष्य रखा गया, जिनमें सामाजिक दृष्टि से विलग व्यक्ति/हथियार डालने वाले उग्रवादी शामिल थे। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए अन्य बातों के अलावा कार्य नीति में निम्नांकित मुद्दे शामिल किए गए:

- पुलिस रिकार्ड के जरिए सामाजिक दृष्टि से विलग व्यक्तियों/हथियार डालने वाले उग्रवादियों की पहचान और योजना लाभार्थी के रूप में उनका चयन;
- पूर्वाभिमुखीकरण और क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण का आयोजन;
- क्षेत्र में जाकर उनकी व्यावहारिक सहायता करना;
- कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें सहायता प्रदान करके वास्तविक कार्यान्वयन;
- क्षेत्र स्तरीय भागीदारी, निगरानी, मूल्यांकन और समीक्षा।

एक अवसर के रूप में आरएसवीवाई

हालात और परिस्थितियों के अनुसार जिला प्रशासन ने आरएसवीवाई को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा, जिससे सामाजिक दृष्टि से विलग व्यक्तियों/हथियार डालने वाले उग्रवादियों के समक्ष रचनात्मक विकल्प प्रदान किए जा सकें। इसका लक्ष्य उनकी रचनात्मक ऊर्जा को उत्पादक कार्यों और गतिविधियों में रूपांतरित करना था। जिला प्रशासन ने इस लक्ष्य को पाने के लिए सुविधा प्रदाता की भूमिका अदा की। सामाजिक दृष्टि से विलग व्यक्तियों के पुनर्वास की योजना के अंतर्गत उनकी जरूरतें पूरी करने में आरएसवीवाई के घटकों का उपयोग कार्यक्रम की तय सीमाओं के भीतर किया गया। उप–घटकों के अंतर्गत क्षमता निर्माण के उपायों पर और जोर दिया गया ताकि स्थिर प्रभाव के लिए परियोजना उपायों से बेहतर रोजगार क्षमता पैदा की जा सके। क्षमता निर्माण उपायों की भलीभांति योजना बनाई गयी, और उनकी कल्पना को सरकार करने, संवदेनशीलता पैदा करने और रचनात्मकता उजागर करने जैसी विशेष आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उचित तालमेल किया गया।

लक्ष्य

नव दिशा अभियान में ग्रामीण युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रावधान है। बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा आज कई अक्षमताओं से पीड़ित है। ये हैं:

- बुनियादी जीवन कौशल और क्षमताओं की कमी, जिसकी वजह मुख्य रूप से षिक्षा की भूमिका सही न होना और मीडिया से उत्पन्न प्रभाव, की वजह से उच्चस्तरीय आकांक्षाओं के बीच असंतुलन होना और आकाक्षांएं अधूरी रहना या बिल्कुल पूरी न हो पाना है।
- मौजूदा अवसरों के बारे में जागरूकता का अभाव।
- पर्याप्त मार्गदर्शन और परामर्श का अभाव।
- आत्मसम्मान की कमी।
- उद्यमशीलता का अभाव
- प्रकीर्ण सरकारी विकास कार्यक्रमों के लाभ उठाने में अक्षमता।
  रचनाशीलता की प्रवृत्ति को सही दिशा न मिलने के कारण उन्हें निम्नांकित समस्याओं का सामना करना पड़ता है:
- अलगाव और उदासीनता
- असहायता
- बढ़ता असंतोष
- असंतोष को व्यक्त करने के लिए अवसर की तलाश
- विघटनकारी परिणति।

कार्यक्रम के घटक

मिशन नव दिशा जिला प्रशासन के उन प्रयासों का नतीजा है, जिनके तहत सबसे कमजोर वर्गों की पहचान की गयी और समुचित क्षमता निर्माण उपायों के जरिए उनकी सहायता की गयी, ताकि वे अपने लिए संबंद्ध कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर सकें और उसे अमलीजामा पहना सकें। कार्यक्रम घटकों में निम्नांकित उपाय शामिल हैं:

जीविका आधारित प्रशिक्षण में निम्नांकित शामिल हैं: ● बागवानी; ● सिंचाई; ● बांस के खेत एवं कार्यशालाएं; ● सामाजिक वानिकी; ● पशुपालन; ● सामाजिक मछलीपालन और ● क्षमता निर्माण के लिए कार्यान्वयन।

कार्यक्रम घटकों के उपरोक्त सेट को मुख्य रूप से निम्नांकित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

● व्यक्ति आधारित दृष्टिकोण और ● समूह आधारित दृष्टिकोण

आरएसवीवाई में वर्णित केन्द्रित और जरूरत आधारित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि व्यवस्थित ढंग से क्षमता निर्माण गतिविधियां संचालित की जायें और सुदृढ़ संस्थागत संचालन और सहायता प्रणाली विकसित करते हुए निम्नांकित उपाय किए जायें: ● लक्ष्य तय करना; ● लक्ष्यों को स्पष्ट/घोषित करना; ● कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना; ● कार्यक्रम को मूर्त रूप देना और ● परावर्ती कार्य

आरएसवीवाई स्कूल और तत्संबंधी दृष्टिकोण

आरएसवीवाई के अंतर्गत कार्यक्रामें को समग्र रूप में देखा जाता है और इसीलिए क्षमता निर्माण के दीर्घावधि के उपाय शुरू करने का फैसला किया गया। आरएसवीवाई के तहत बहु आयामी दृष्टिकोण भी अपनाया जाता है, जिसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और लागू करने में विभिन्न एजेंसियों को शामिल किया जाता है। जलपाईगुड़ी पुलिस प्रशासन, भी संबंद्ध प्रशिक्षण उपायों में मदद के लिए आगे आया, और उसने प्रस्तावित स्कूल के संचालन में सहायता प्रदान की।

पुलिस ने यह महसूस किया कि हथियार संचालित दृष्टिकोण अपनाने की बजाय सामाजिक नीतिगत दृष्टिकोण अपनाना बेहतर होगा। पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलाकर पुनर्वास का दायित्व निभाने में मदद की, जिससे विघटनकारी प्रवृत्तियों को रचनात्मक और क्रियात्मक गतिविधियों में परिवर्तित करने के प्रयास संभव हो सकें।

कानून और व्यवस्था के अपरिहार्य हिस्से के रूप में पुलिस को इस बात की बेहतर समझ होती है कि गुमराह युवाओं को कैसे मुख्य धारा में वापस लाया जा सकता है। उसने युवाओं को रचनात्मक विकास कार्यक्रमों की ओर मोड़ने में अपने अनुभव और जानकारी के उपयोग की पेशकश की। स्कूल के कार्यसंचालन और प्रबन्धन में शामिल अन्य एंजेंसियां इस प्रकार थीं:

- जिला ग्रामीण विकास सेल, जिला परिषद, जलपाईगुड़ी
- एक गैर सरकारी संगठन – सेन्टर फार द डवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इनिशिएटिव्स (सीडीएचआई) और
- जिला प्रशासन के विभिन्न संबंद्ध विभाग।

आरएसवीवाई स्कूल का बुनियादी लक्ष्य कार्यक्रमवार शिक्षण की बजाय समग्र विकास के लिए सक्षम बनाने वाले और समर्थक वातावरण का निर्माण करना था। इसके अंतर्गत स्कूल ने निम्नांकित बातों पर ध्यान दिया:

● व्यक्तित्व विकास; ● सामाजिक–मनोवैज्ञानिक विकास; ● वचन की गतिशीलता; ● तकनीकी और प्रबंधकीय सहित कौशल विकास; ● उद्यमशीलता विकास; ● संपर्क और नेटवर्किंग और ● आवासीय प्रशिक्षण के दौरान रसोई, चाय की दुकान, लांड्री आदि के सहकारिता पूर्ण प्रबंधन सहित स्वप्रबंधन क्षमता विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां।

परिवार सहायता और भावात्मक संचालन

सामाजिक दृष्टि से विलग कई युवा विवाहित थे, और उन्हें बच्चों तथा परिवार की देखभाल करनी थी। उनके आवारा रहने से परिवार को क्षति पहुंचना स्वाभाविक था। भावात्मक क्षति होने की भी आशंका थी। इन सब बातों को ध्यान में रखकर उनकी पत्नियों, बच्चों और माता–पिता की सहायता के लिए कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता महसूस हुई। इस तरह की सहायता के अंतर्गत निम्नांकित क्षेत्रों में सहायता की गयी:

● स्वास्थ्य; ● शिक्षा; ● प्रशिक्षण केंद्र पर परिवार रखने की अनुमति और ● मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत वरीयता के आधार पर सहायता। आरएसवीवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण उपायों में बेहतर तालमेल कायम किया गया और कार्यक्रम के प्रत्येक घटक को उनमें शामिल किया गया। इस प्रयोजन के लिए व्यापक सिलेबस तैयार किया गया।

संगठनात्मक ढांचा और संचालन समूह

प्रशिक्षण का आयोजन जिला परिषद् जिला प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास सेल, जलपाईगुड़ी पुलिस और एक स्वयंसेवी संगठन – सेन्टर फार द डवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इनिशिएटिव्स (सीडीएचआई) जलपाईगुड़ी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

नीतिगत उपायों के रूप में सहायता के संचालन और व्यवस्था के लिए एक संचालन समूह बनाया गया, जिसमें जिला परिषद् अध्यक्ष, मंडल आयुक्त, उत्तर बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, और सीडीएचआई का प्रतिनिधि शामिल थे।

आरएसवीवाई के अंतर्गत पुनर्वास कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में प्रामाणिक रूप से यह कहा जा सकता है कि देश में सामाजिक दृष्टि से विलग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए चलाएगए सफलतम कार्यक्रमों में इस कार्यक्रम की गणना की जा सकती है। इसकी सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर बंगाल के कुछ क्षेत्रों को शामिल करके अलग राज्य की स्थापना की मांग को लेकर चलाये जा रहे कामतापुर लिबरेशन मूवमेंट नाम के उग्रवादी आंदोलन पर लगभग शांतिपूर्ण नियंत्रण कर लिया गया, और इसमें हिस्सा लेने वाले गुमराह युवाओं को पूरी तरह राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया गया और उनका पुनर्वास किया गया। पश्चिम बंगाल की प्रगतिशील सरकार द्वारा जलपाईगुड़ी जिले में की गयी पहल से सबक लेते हुए ऐसे ही रचनात्मक उपाय देश के अन्य भागों में भी किए जा सकते हैं। ❑

(लेखक आईएएस अधिकारी हैं और सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट के पद पर अलीपुरद्वार जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में कार्यरत हैं।)

कृषि और ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु योजनाएं

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों और 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों में श्रमिक–गहन उद्योगों की स्थापना में पात्र आवेदकों की सहायता देने के लिए पूरे देश में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी), जो एक क्रेडिट–संबंधित सब्सिडी कार्यक्रम है, का कार्यान्वयन कर रही है और इस प्रकार अतिरिक्त रोजगार का सृजन कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बेरोजगार नवयुवकों सहित उद्यमी 25 लाख रुपये तक की अधिकतम लागत वाली परियोजनाओं के लिए केवीआईसी से मार्जिन मनी सहायता तथा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण का लाभ उठाकर कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों सहित ग्रामोद्योग की स्थापना कर सकते हैं।

सरकार, शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को स्व–रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों, जिसमें लगभग पचास प्रतिशत इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में है, में प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) का कार्यान्वयन कर रही है। यह भी एक क्रेडिट–संबंधित सब्सिडी योजना है और इसका कार्यान्वयन बैकों द्वारा प्रदान कए जा रहे ऋणों के साथ राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। पीएमआरवाई के अंतर्गत व्यापार क्षेत्र के लिए एक लाख रुपये तथा अन्य क्षेत्र के लिए दो लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाएं सहायता के लिए पात्रता है, जिसमें सब्सिडी परियोजना लागत के 15 प्रतिशत तक सीमित है, जो अधिकतम 7,500 रुपये है। यह सीमा पूर्वोत्तर (एन ई) क्षेत्र में प्रति लाभार्थी 15,000 रुपये है। ❑

राजस्थान में महिला पंचायती राज
दशा और दिशा

नीलिमा अग्रवाल

"यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जायेगा।"

— *महात्मा गांधी*

2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के पंचायती राज का शुभारंभ कर राजस्थान न केवल लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को मूर्त रूप देने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया वरन् इसने प्राचीन वैदिक संस्थाओं को पुनर्जीवित करने का पुनीत कार्य भी किया। इसे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने "नवीन भारत के संदर्भ में सर्वाधिक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम" की संज्ञा दी।

आगे चलकर 1973 का संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने स्थानीय स्वशासन की इस लघुतम संरचना में व्याप्त कमियों का परिष्कार करते हुए इसके संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक पक्षों में सुधार एवं पुनर्गठन हेतु अनेक कार्य किए। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार, पंचायत राज संस्थाओं का त्रि–स्तरीय ढांचा तथा उसमें समाज के पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण था।

राजस्थान में भी उपर्युक्त संविधान संशोधन के अनुवर्तक में पंचायती राज अधिनियम 1994, पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 तथा पंचायती राज अधिनियम 1996 पारित किये गये। इनके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देते हुए इनमें नियमित चुनावों की व्यवस्था की गई। पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां, कार्य एवं उत्तरदायित्वों का सुनिश्चितकरण किया गया। इन अधिनियमों के माध्यम से ग्रामीण जगत की महिलाओं की अधिकारविहीन स्थिति तथा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष प्रावधान करने का प्रयास किया गया। इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को एक तिहाई स्थानों पर आरक्षण प्रदान किया गया। ऐसे में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न वर्गों की भागीदारी इस प्रकार है:–

ग्रामीण स्तर पर स्थापित इस तृणमूल संस्थाओं में महिलाओं को प्रदान किये गए आरक्षण का उद्देश्य उनको सशक्त बनाना एवं पुरुषों के समान निर्णय प्रक्रियाओं में भागीदारी प्रदान करना था जिससे उनका पिछड़ापन दूर हो सके। वर्ष 1999 से लेकर 2005 तक पंचायतों के तीन आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इन चुनावों में महिलाओं की भागीदारी में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। अपनी शक्तियों तथा भूमिका के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ी है जिसे हाल की में संपन्न हुए चुनावों के आधार पर बखूबी रेखांकित किया जा सकता है।

चुनाव परिदृश्य : 2005

जनवरी 2005 में पंचायतों के लिए संपन्न हुए चुनावों में विगत की तुलना में इस बार महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। इस बार पंचायत समिति के कुल 15 हजार 311 उम्मीदवारों में 5 हजार 509 महिलाएं थीं। आरक्षित स्थानों पर विभिन्न महिला उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार थी।

इस प्रकार वर्ष 2000 के चनावों में जहां 4 हजार 538 उम्मीदवार खड़े किए गए थे वहीं पिछले चुनावों की तुलना में वर्ष 2005 में 971 महिलाएं अधिक रहीं।

इस बार के चुनावों में राजनैतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों को अपेक्षाकृत अधिक वरीयता दी गई।

तालिका – 1

राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं में दलितों एवं महिलाओं की भागीदारी (2004)

स्तर	पद	कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिलाएं
जिला परिषद (जिले में)	सदस्य	1,008	181 (18.0%)	155 (15.3%)	160 19.6	333 (33.0%)
पंचायत समिति (ब्लाक में)	सदस्य	5,257	940 (17.9%)	806 (15.3%)	826 (16.0%)	1746 (33.2%)
ग्राम पंचायत	सरपंच	9,186	1,606 (17.4%)	1,784 (19.0%)	1,367 (14.8%)	3,056 (32.26%)
(गांव में)	वार्ड पंच	1,05,102	18,593 (18.0%)	16,442 (16.0%)	18,084 (17.2%)	35,408 (34.0%)

पंचायतों की भांति राज्य की 32 जिला परिषदों में भी महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवायी। जिला परिषदों के कुल 1008 सदस्यों में से 39 निर्विरोध चुने गए जिनमें 20 पुरुष तथा 19 महिला प्रतिनिधि थीं। जिला परिषद के शेष स्थानों के लिए 2775 प्रत्याशी चनाव मैदान में थे। इनमें 1869 पुरुष तथा 906 महिला उम्मीदवार थीं।

महिला जनप्रतिनिधियों के समक्ष चुनौतियां

पंचायती राज में महिला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति से यह आशा व्यक्त की गई थी कि इससे महिलाएं अपने मामलों का स्वयं प्रबंधन करने योग्य बनेंगी तथा उनके कल्याण से जुड़ी योजनाएं को क्रियान्वित अधिक प्रभावी ढंग से संभव हो सकेंगी। आज महिला पंचायतीकरण को एक दशक से भी अधिक का समय बीत चुका है किंतु फिर भी पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी के अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। पंचायत चुनावों के आकलन से यह ज्ञात होता है कि मौजूदा समय में राजस्थान में महिला पंचायती राज के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं–

- पंचायती राज संस्थाओं में योग्यतम के चयन के स्थान पर 'चुनावों' का बोलबाला है। आरक्षण की बाध्यता के कारण महिलाएं अपने लिए निर्धारित स्थानों को प्राप्त करने की अधिकारी अवश्य बन गई हैं किंतु उनकी 'अधिकारविहीनता' की स्थिति यथावत बनी हुई है। उनकी राजनीतिक भागीदारी का संरक्षण आज भी पुरुषों के हाथों में अधिक है।
- परम्परागत सामाजिक संरचना के कारण ग्रामीण समाज में आज भी 'चादर' (पर्दा) एवं चारदीवारी की रूढ़ियां विद्यमान हैं जिसके कारण महिला पंचों एवं सरपंचों की शक्तियों के समक्ष अनेक अवरोध बने हुए हैं। वे ऐसे में अपनी शक्तियों का व्यावहारिक उपयोग कर पाने में असमर्थ हैं। चुनावों के दौरान हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में यह तथ्य उल्लेखनीय रहा कि अधिकतर महिला प्रत्याशी प्रचार आदि के मामले में दूसरों पर निर्भर रही हैं। जयपुर और उदयपुर जैसे अपेक्षाकृत विकसित जिलों को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में महिलाएं चुनाव प्रचार से कतराती रहीं हैं।
- पुरुषोचित अहम की प्रधानता के कारण पंचायती राज की महिला जनप्रतिनिधि अभी भी एक 'कठपुतली' मात्र हैं और निर्णय प्रक्रियाओं का वास्तविक प्रबन्धन परिवार के पुरुषों (पति, पिता या पुत्र) के हाथ में ही है। महिलाओं के नेतृत्व की आड़ में चुनावों से लेकर पंचायत प्रक्रियाओं के संचालन तक असली ताकत पुरुषों के हाथों में ही है।
- अपेक्षित जन समर्थन का अभाव एक अन्य प्रमुख चुनौती है जो महिला पंचायतीराज के सशक्तिकरण की सबसे बड़ी बाधा है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधि ग्राम सभा की कार्यप्रणाली से अनभिज्ञ हैं और यदि प्रतिनिधिकर्ता एक महिला हो तो यह उदासीनता और भी अधिक बढ़ जाती है। महिला पंचों की एक सामान्य शिकायत रही है कि उन्हें सूचित किये बिना अक्सर सरपंच एवं ग्राम सचिव आदि (पुरुष) सदस्य मिलकर मीटिंग कर लेते हैं और उनके हस्ताक्षर हेतु रजिस्टर उनके घर भिजवा देते हैं।
- व्यक्तिगत सीमाओं के कारण भी महिला जनप्रतिनिधि अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही हैं। निरक्षर पृष्ठभूमि, परम्परागत दृष्टिकोण तथा संकीर्ण सामाजिक परिवेश के कारण ये महिलाएं स्वयं को पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर पाती हैं। इनमें अपनी शक्तियों, अधिकारों तथा कार्यों के प्रति पर्याप्त सूचनाओं एवं चेतना की कमी बनी हुई है। पहचान के संकट के इस दौर में आत्मविश्वास की कमी इन महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौती है।

व्यवस्थागत कमियों तथा क्रियान्विति हेतु आवश्यक के अभाव के कारण वर्तमान में ग्रामीण महिला स्वशासन के चार प्रतिरूप दृष्टिगोचर होते हैं–

1. **व्यवस्था के प्रति उदासीन** : इस प्रतिरूप की महिलाएं अपनी भूमिका एवं शक्तियों के प्रति पूरी तरह तटस्थ हैं। अशिक्षा, चिरपरिचित संकोच एवं अज्ञानता के कारण इस वर्ग की स्थिति मात्र एक 'रबर स्टैम्प' की है।
2. **व्यवस्था के समक्ष मजबूर** : दूसरी तरफ कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो व्यवस्थागत खामियों तथा अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह जागरूक होने के बावजूद भी लालफीताशाही और भ्रष्टाचार के सुदृढ़ जाल को तोड़ पाने में स्वयं को असमर्थ अनुभव करती हैं। भाग्यवादी मानसिकता की शिकार इन औरतों की भूमिका भी सैद्धान्तिक ही है और इनकी शक्तियों का केन्द्र–बिन्दु परिवार तथा प्रबुद्ध ग्रामीण वर्ग बना हुआ है।
3. **व्यवस्था से संबद्ध** : यह एक दुःखद वास्तविकता है कि भ्रष्टाचार के रोग से महिला जनप्रतिनिधि भी अछूती नहीं हैं। सत्ता में स्थायित्व तथा चुनाव के दौरान व्यय किए गए धन की पुनः प्राप्ति की इच्छा से यह वर्ग 'भ्रष्टतंत्र' के प्रति समर्पण भाव अपनाये हुए है। इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि इन महिलाओं की निरक्षर पृष्ठभूमि के कारण भी अनेक बार इनका 'फायदा' उठाया गया है। अनेक घटनाओं में आरोपी महिलाओं का कहना था कि मात्र 'अंगूठा लगाने' से ही संपूर्ण उत्तरदायित्व उनके ऊपर डाल दिया गया और वास्तविक तथ्यों का पूर्ण खुलासा नहीं हो सका। प्रदेश सरकार के द्वारा भी इस प्रकार की कुछ घटनाओं की जांच के आदेश दिये गए हैं।
4. **व्यवस्था के प्रति चिंतनशील** : इन सबके मध्य आशा की एक किरण के रूप में कुछ जागरूक महिला प्रतिनिधि भी हैं जो अपने गुरुत्तर दायित्वों को समझते हुए अपनी सत्ता के व्यावहारिक प्रयोग हेतु कटिबद्ध हैं। वे यथासंभव इसके प्रयास भी कर रही हैं किंतु इन महिलाओं की शक्ति के क्रियान्वयन से उत्पन्न विरोधाभासों, आरोपों एवं असंतोष की अनदेखी भी नही की जा सकती है।

तालिका – 2

महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान एवं उम्मीदवारों की संख्या कुल आरक्षित स्थान : 1,737

वर्ग/जाति	आरक्षित स्थान	महिला उम्मीदवारों की संख्या
अनुसूचित जाति	311	1,171
अनुसूचित जनजाति	257	963
अन्य पिछड़ा वर्ग	251	2,093
सामान्य वर्ग	918	1,282

समाधान हेतु सुझाव

महिला पंचायती राज की दशा में सुधार करने तथा उसे एक सकारात्मक एवं प्रगतिशील दिशा दिए जाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए मुख्य रूप से दो स्तरों पर कार्य किया जाना चाहिए।

– सरकारी स्तर पर,
– गैर–सरकारी संगठनों के स्तर पर,

सरकारी स्तर पर : राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर महिला पंचायतीराज को सामर्थ्यवान बनाने के अनेक उपाय किए गए हैं। 73 वें संविधान संशोधन के उपरांत से अब तक तृणमूल स्तर पर शक्ति का विकेन्द्रीकरण हेतु लोकतंत्र की महिला भागीदारों में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जाते रहे हैं–

- राजस्थान सरकार द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में लिखित 29 विषयों में से 16 विषय हस्तांतरित कर दिये गये हैं। प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई, 2003 से प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक साथिन नियुक्त करने की घोषणा की है। जो कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर काम करने वाली सक्रिय महिला सदस्य है। यह पंचायत की महिला सदस्यों की उनके कार्यों में मदद करेंगी। यह आशा भी की गई है कि अपने कार्यक्षेत्र के दौरान आने वाली कठिनाइयों के समाधान में महिला पंचों/सरपंचों को इनके अनुभवों का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा और वे अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगी।
- पंचायती राज 'संस्थाओं' के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अलग–अलग संस्थाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है जिससे वे अपने दायित्वों के निर्वाहन के योग्य बन सकें।
- राजस्थान 'सूचना का अधिकार' लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के अनुसार जनप्रतिनिधियों को विभिन्न अभिलेखों के निरीक्षण एवं प्रतिलिपि करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है।
- पंचायतीराज को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा गोलमेज सम्मेलनों की शृंखला भी आयोजित की गई हैं। इनके सम्मेलनों के अंतर्गत स्थानीय निकायों में सुधार के लिए 150 सिफारिशें की गई। महिला जनप्रतिनिधियों के सबलीकरण हेतु विशेष प्रयत्नों का समर्थन किया गया। इसमें पंचायत में पहली बार चुनी गई महिलाओं और दलितों के विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की सिफारिश भी की गई है। मौजूदा दौर में महिला पंचायती राज को एक नवीन रूप देने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक संवेदनशीलता तथा सहयोगात्मक मानसिकता के साथ–साथ प्रशासन के स्तर पर निम्नलिखित उपायों को अपनाने की आवश्यकता है–
- पंचायतों के संसाधनों की समुचित उपलब्धता, जिससे आर्थिक कठिनाइयों से स्थानीय विकास कार्य बाधित न हो सकें।
- तकनीकी ज्ञान एवं सूचनाओं तक सरलता से सबकी पहुंच। इसके माध्यम से महिला जनप्रतिनिधि अपने कार्यों में अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगी।
- पंचायतों के कार्यों का समय–समय पर सहयोगात्मक अवलोकन। प्रभावी मानिटरिंग व्यवस्था से ग्रामीण जनप्रतिनिधियों–न केवल स्त्रियों अपितु पुरुषों के मध्य भी एक 'संवाद सेतु' स्थापित करने में मदद मिल सकेगी।
- शिकायतों पर शीघ्र और त्वरित कार्यवाही। ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील एवं सहानुभूतिपूर्ण मानसिकता ही उन्हें आवश्यक सम्बल प्रदान कर सकती है।
- पंचायती अधिकारों की स्थानीय सूची का विकास। अनेक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जिससे 'ग्रामीण गणतंत्र' में व्याप्त अस्पष्टता दूर हो सके।
- गैर–सरकारी संगठनः महिला पंचायती राज के सशक्तिकरण के एक महत्वपूर्ण घटक हैं। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां अपनी भूमिका और भागीदारी से गैर–सरकारी संगठन इन ग्रामीण महिलाओं को सामर्थ्यवान बना सकते हैं।
- परामर्श के रूप में गैर–सरकारी संगठन ग्रामीण महिलाओं को उनकी पहचान ढूंढने में मददगार हो सकते हैं। ये शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी पेचीदगियों के से जुड़े मसलों का समाधान कर एक सहायक और प्रेरक का कार्य बखूबी कर सकते हैं।
  समन्वयकर्ता के रूप में स्वयंसेवी संगठन एक ऐसा मंच उपलब्ध करवाने की योग्यता रखते हैं जहां पंचायती राज की विभिन्न जनप्रतिनिधि पारस्परिक अनुभवों का आदान–प्रदान कर सकें।
- प्रशिक्षणकर्ता के रूप में एनजीओ महिला पंचायती राज की कमियों की पहचान कर इनके लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकते हैं जिनसे इन कमियों को दूर किया जा सके और कार्य को गति मिल सके।
- भागीदार के रूप में यह संगठन पंचायती राज के साथ मिलकर विभिन्न विकास परियोजना के क्रियान्वयन को उर्जा दे सकते हैं।
- मध्यस्थ के रूप में पंचायती राज की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए गैर–सरकारी और महिला पंचायती राज के मध्य एक ऐसी कड़ी का कार्य कर सकते हैं जिससे महिलाएं अपनी शक्तियों के पूर्ण प्रयोग के महत्व को समझते हुए स्वयं को इसके अनुकूल ढाल सकें।

वस्तुतः आज सबसे बड़ी जरूरत महिला प्रतिनिधियों की समस्याओं एवं उनके कारणों के वास्तविक आकलन की है। ग्रामीण क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों की अक्षमता में सबसे बड़ा अवरोधक समाज एवं प्रशासनिक मशीनरी की इनके प्रति मानसिकता है। यद्यपि कई पूर्व धारणाओं का खण्डन करते हुए पंचायती राज की महिला भागीदारों ने अपने दायित्वों के निर्वहन का यथोचित प्रयास किया है किंतु फिर भी इस दिशा में अभी बहुत किया जाना अपेक्षित है। आज भी संसद द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव का पूर्ण अनुपालन नहीं हो सका है जिससे पंचायती राज के लिए निर्धारित 29 विषयों में से 12 विषय अभी तक अहस्तांतरित ही हैं। ऐसे में आवश्यकता नीतियों के समुचित क्रियान्वयन एवं शक्ति–विभाजन में स्पष्टता की है। तभी पंचायती राज की महिला जनप्रतिनिधि अपनी भूमिकाओं के पूर्ण निर्वहन में सक्षम हो सकेंगी। ❑

(लेखिका राज्य प्रशिक्षण सेल, शिक्षा विभाग, जयपुर, में सहायक परियोजना अधिकारी हैं।)

पंचायती राज में ग्राम सभा की भूमिका

हरियाणा : एक अध्ययन

मोहिन्द्र सिंह और आत्मा राम जगाणियां

भारत गांवों का देश है इसकी अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है। गांवों की प्रगति तथा विकास पर ही भारत का सामाजिक एवं आर्थिक विकास निर्भर है। गांधीजी ने ठीक ही कहा था कि "यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा।"

भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में आपसी झगड़ों का फैसला पंचायतें ही किया करती थीं। परन्तु अंग्रेजों के शासन काल में ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान की ओर ध्यान नहीं दिया गया। स्थानीय संस्थाओं को केवल राजस्व इक्ट्ठा करने का साधन समझा गया और इन्हें राष्ट्रीय विकास से पृथक रखा गया जिससे पंचायतें धीरे–धीरे समाप्त हो गयीं और सभी कार्य प्रांतीय सरकारें करने लगीं। केंद्रीयकरण के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली की स्थापना की गई जिससे अज्ञानता, निर्धनता एवं निरक्षरता का अस्वस्थ वातावरण पैदा हो गया।

स्वतंत्रता के पश्चात् राष्ट्रवाद तथा लोंकतंत्र के उपासकों ने यह अनुभव किया कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र का पुनर्गठन नहीं होता, तब तक राष्ट्रीय विकास नहीं हो सकता। पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था "यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज की प्रतिध्वनि बनना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतनी ही लाभदायक है।" अतः ग्रामीण भारत के विकास के लिए पंचायती राज ही एकमात्र उपयुक्त योजना है और यह लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई है।

1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसके अनुच्छेद 40 में यह निर्देश दिया गया कि " राज्य ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए कदम उठाएगा और उन्हें इतनी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जिससे कि वे स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। "नेहरू जी का लोकतांत्रिक तरीकों में अटूट विश्वास था उनका मानना था कि" गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए। उन्हें काम करने दो चाहे वे हजारों गलतियां करे इससे घबराने की जरूरत नहीं। पंचायतों को अधिकार दो। "वर्ष 1952 में उन्हीं की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवा जैसे आन्दोलनों की शुरूआत की गई परंतु कुछ ही समय पश्चात इनकी असफलता पर यह अनुभव किया गया कि जब तक लोग स्वयं प्रयास नहीं करते और उन्हें ऐसा करने के लिए स्वतंत्रतापूर्वक उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जाता, ग्रामीण विकास नहीं हो सकता। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए वर्ष 1957 में बलंवत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसने अपनी रिपोर्ट बताया कि कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि यह रही कि इसको जनता का सहयोग नहीं मिला, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जब तक स्थानीय नेताओं को जिम्मेवारी और अधिकार नहीं सौंपे जाते, संविधान के निर्देशक सिद्धांतों का राजनैतिक और विकास संबंधी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता समिति ने रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' और 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' को सफल बनाने हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की तुरतं शुरूआत की जानी चाहिए जिनमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद तथा इसमें परस्पर सहयोग एवं समन्वय हो।

पंचायती राज व्यवस्था में जो विचारधारा निहित थी वह यह कि गांवों के लोग न केवल कार्यक्रम के क्रियान्वन में ही भाग ले बल्कि उन्हें यह अधिकार भी होना चाहिए कि वे अपनी आवश्यकताओं और अनिवार्यताओं के विषय में स्वयं ही निर्माण की शक्ति प्रदान करें। लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय नीतियों का निर्धारण करें और जनता की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार ही अपने कार्यक्रमों को लागू करें। जिससे देश में एक सच्चे एवं मजबूत लोकतंत्र की स्थापना की जा सके।

बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 (गांधी जयंती) को गांधीजी के सपने को साकार करते हुए राजस्थान प्रदेश के नागौर जिले में पंचायती राज का शुभारम्भ कर इसकी नींव रखी। बाद में अन्य राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों ने भी इसे अपना लिया।

प्रारम्भ से ही पंचायती राज संस्थाएं ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पा रही थीं इसके अतिरिक्त लंबे समय तक इन संस्थाओं के चुनाव नहीं करवाए गए। जिससे ये संस्थाएं निष्क्रिय हो गई। तत्पश्चात पंचायती राज को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक प्रयास किए परतुं कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने पर अशोक मेहता की अध्यक्षता में बनी समिति ने इन स्थानीय संस्थाओं को नया रूप देने की सिफारिश की किंतु उन्हें क्रियान्वित नहीं कियां जा सका क्योंकि एक तो समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की दूसरा इनमें राजनैतिक दलों को खुले तौर पर आमंत्रित किया गया। ग्राम पंचायतों को समाप्त करना उचित नहीं था और इसमें ग्राम–सभा की भी चर्चा नहीं की गई थी जिससे इसे राजनैतिक सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। वर्ष में बनी जी. वी. के. राव समिति ने पंचायती राज को अर्थिक अधिकार देने और इसकी स्वायत्तता की सिफारिश की परतुं इसका पंचायती राज को सफल बनाने में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1987 में पचांयती राज संस्थाओं की समीक्षा और उनमें सुधार के उपायों हेतु सुझाव देने के लिए डा० लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के

लिए उन्हें अधिक आर्थिक संसाधन प्रदान करने की सिफारिश की। मई 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोकसभा में एक पंचायत बिल पेश किया जिसमें संविधान में 64वां संशोधन करके पंचायती राज को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तिशाली एवं स्वायत बनाने की बात कही, इस बिल को लोकसभा तो पास कर परंतु राज्यसभा में दो–तिहाई बहुमत प्राप्त न होने के कारण यह बिल पारित नहीं हो सका।

1991 में कांग्रेस के फिर से सतारूढ़ होने के पश्चात जब नरसिम्हा राव मंत्रिमण्डल बना तो इसने राजीव गांधी द्वारा अपनाई गई नीति की पुष्टि करते हुए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की कोशिश की जिसके लिए 1991 में नाथुराम मिर्धा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसने जुलाई 1992 में अपना (72वां) प्रतिवेश संसद में भेजा। उसी वर्ष 22 दिसम्बर को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा ने इसे निर्विरोध पारित कर दिया। अगले 4 महीनों 17 राज्यों ने इसकी पुष्टि कर दी तथा 20 अप्रैल 1993 को इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई और इसे पुनः क्रमांकित कर उसी वर्ष 24 अप्रैल को यह संविधान का 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 लागू हो गया। *जिसके अनुच्छेद 243 (क) में ग्राम सभा का वर्णन* किया गया है।

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम

ग्राम सभा पंचायती राज की प्राथमिक इकाई है जिसके आधार पर ग्राम पंचायत कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। किसी भी पंचायत क्षेत्र के समस्त व्यस्क नागरिकों के सम्मिलित समूह को ग्रामसभा कहा गया है। यह एक ऐसी संस्था है जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अवधारणा से मेल खाती है चूंकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में किसी राज्य की समस्त जनता एक स्थान पर एकत्रित होकर शासन संबंधी कार्यों का संचालन करती है। दूसरे शब्दों में इसे व्यस्क नागरिकों की सभा कहा जा सकता है।

ग्राम सभा सही अर्थों में जनमूलक संस्था है जिसमें जनता के प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि जनता स्वंय सम्मिलित होती है। यह भारत में केवल एकमात्र ऐसी राजनैतिक संस्था है जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है। ग्रामसभा अपने सदस्यों में से पंचायत के सदस्यों का चुनाव करती है। इसलिए ग्राम पंचायत इसके प्रति उत्तरदायी है।

73वें पंचायती राज अधिनियम मे ग्रामसभा का महत्वपूर्ण स्थान है क्योकि यह ग्रामीण जीवन को सुदुढ़ बनाने तथा लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई है। ग्रामसभा ग्राम पंचायत को जनता की एक वास्तविक संस्था के रूप में विकसित करने का एक अनोखा साधन है क्योंकि ग्रामसभा में लोग अपनी समस्याओं एवं विकास पर वाद–विवाद करते हैं जिससे पंचायत को कार्य के लिए मार्गदर्शन मिलता है।

73वें संवैधानिक संशोधन के तहत सभी राज्यों ने ग्रामसभा को संवैधानिक संस्था का रूप दिया है। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठकें होंगी यदि आवश्यकता हो तो विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। ये बैठक गांव के सरपंच द्वारा बुलाई जाएंगीं और वह इनकी अध्यक्षता भी करेगा। बैठक में ग्राम सचिव भी मौजूद रहेगा और खण्ड विकास कार्यालय की ओर से अधिकारी या उसका प्रतिनिधि आएगा। बैठक में ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/10 संख्या अनिवार्य है लेकिन बैठक स्थगित होने पर दोबारा बैठक में यह आवश्यक नहीं होगी। हरियाणा राज्य में गणपूर्ति के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। ग्रामसभा की बैठक मई–जून एवं नवम्बर–दिसम्बर में होंगी जिन्हें हरियाणा में क्रमशः आषाढ़ी और सावनी की बैठक कहा जाता है। आषाढ़ी की बैठक में पिछले वर्ष के लेखों का वार्षिक विवरण, वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित विकास कार्य होगें जबकि सावनी की बैठक में वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया जाएगा बैठक की कार्यवाही ग्राम सचिव द्वारा की जाएगी एवं कार्यवाही का रिकार्ड सरंपच के पास रखा जाएगा जिसकी जांच ग्राम सभा का कोई भी सदस्य कभी भी कर सकता है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों से वार्षिक कार्यवाही एवं बजट संबंधी किसी भी विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं तथा ग्राम पंचायत इसके लिए जवाबदेह होगी।

73वें संवैधानिक संशोधन में ग्राम सभा के कार्यों का उल्लेख किया गया है कि ग्राम सभा का प्रमुख कार्य ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करना है। इसके अतिरिक्त वह पंचायत द्वारा पूरे किए गए गांवों के कायों का पुनर्निरीक्षण करेगी एवं पंचायत के वार्षिक बजट तथा लेखा रिपोर्ट पर विचार करेगी और उसका अनुमोदन करेगी। ग्राम सभा अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाने के लिए ग्राम पंचायत को सुझाव देगी तथा पंचायत द्वारा किए गए सार्वजनिक विकास कार्यो का मूल्यांकन करेगी और पंचायत को सार्वजनिक गतिविधियों एव विकास कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक लागू करवाने में सहयोग देगी।

अतः ग्राम सभा को पंचायती राज में विशेष स्थान प्राप्त है इसे पंचायती राज का आधार कहा जा सकता है। इसका उत्तरदायित्व बड़ा विस्तृत है तथा यह ग्राम पंचायत पर सम्पूर्ण नियंत्रण कर सकती है।

1964 में पंचायती राज पर बनाई गई सादिक अली समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में कहा है कि "ग्रामसभा के अधिकार एवं कर्तव्यों की परिभाषा नपे–तुले शब्दों में करना कठिन है।"

वर्तमान अध्ययन

हमनें ग्रामसभा के बारे में दिए इन लम्बे–चौड़े वायदों तथा इसके अधिकारों एवं शक्तियों के बारे में जानने की कोशिश की क्या वास्तविक रूप में भी ग्राम सभा अपने अधिकारों एवं शक्तियों से परिचित है इसके लिए हमने हरियाणा राज्य के हिसार जिले में कुल 9 खण्ड समितियों में से दैव निदर्शन प्रणाली द्वारा अग्रोहा खण्ड समिति का चयन किया है। चयनित खण्ड समिति में कुल 28 गावों में से 5 ग्राम पंचायतों–जगान, असरावां, फ्रांसी, कालीरावण, चिकवास का चयन किया है। प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में से 20 ग्राम सभा सदस्यों को लिया गया जिनमें कुछ ग्राम पंचायत के सदस्य भी हमने दैव निर्देशन प्रणाली द्वारा किया। इस प्रकार 100 सदस्यों का चयन किया गया।

विशेष तौर पर की गई प्रश्न अनुसूची के माध्यम से साक्षात्कार द्वारा ग्राम सभा के संगठन तथा कार्यप्रणाली के बारे में विचारों को जाना गया। इसके साथ–साथ अधिकारियों एवं आम ग्रामवासियों से भी विचार–विमर्श किया गया। एकत्र किए आकड़ों का विश्लेषण करके निष्कर्षों को निकाला गया तथा उन्हीं के आधार पर ग्रामसभा की

भूमिका को बेहतर बनाने के लिए उचित सुझाव दिए गए। अध्ययन का संदर्भ वर्ष 2004 है।

आंकड़ों का विश्लेषण

किसी भी संगठन में रहने वाले व्यक्तियों को उसके विषय में सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हमने गांव के लोगों से ग्राम के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की जिसके लिए हमने प्रारम्भ में ग्राम सभा के अस्तित्व के बारे में चयनित सदस्यों से पूछा कि क्या आप ग्रामसभा के विषय में जानते है? पता लगा कि ज्यादातर लोगों को ग्रामसभा के अस्तित्व का ज्ञान है लेकिन फिर भी 20 प्रतिशत लोग ऐसे पाए जिन्हें पंचायती राज की इस महत्वपूर्ण इकाई की जानकारी नहीं थी। जब चयनित सदस्यों से दूसरा प्रश्न पूछा गया कि ग्रामसभा के सदस्य कौन–कौन होते हैं। केवल मात्र 15 प्रतिशत सदस्य ही ऐसे पाए गए जिन्हें इस बारे में जानकारी थी शेष 85 प्रतिशत लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। जिससे स्पष्ट होता है कि ग्रामसभा के बारे में कुछ ग्रामीणों की जानकारी अधूरी है। ग्रामसभा की वर्ष में दो बैठकें होती हैं जब इस विषय में चयनित सदस्यों से पूछा गया तो 52 प्रतिशत लोगो ने सही जबाब दिया जबकि 48 प्रतिशत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। हमने जब इसके बारे में बीडीपीओ से जानकारी ली कि क्या इन गांवों में ग्राम सभा की बैठक समय–समय पर होती हैं और खण्ड कार्यालय की ओर से कोई अधिकारी भी जाता है? तो उन्होंने बताया कि 'हां' इन गांवों में सही समय पर वर्ष में दोनों बैठक होती रही हैं और खण्ड कार्यालय से या तो वे या खण्ड कार्यालय का कोई और अधिकारी जैसे एसईपीओ/एसडीओ/जेई आदि जाते रहे हैं। 48 प्रतिशत सदस्यों को जानकारी न होना इस बात की ओर संकेत करता है कि कहीं ग्रामसभी की बैठक सरपंच के घर पर ही रहीं होगी।

उत्तरदाताओं से जब अगला प्रश्न पूछा गया कि ग्रामसभा की बैठक की जानकारी किस माध्यम से दी जाती है और दी या नहीं, इसके जवाब में 57 प्रतिशत सदस्यों ने कहा 'हां' बैठक की जानकारी चौकीदार एवं मंदिर के लाउडस्पीकर के माध्यम से दी जाती है जबकि 43 प्रतिशत सदस्यों ने कहा कि बैठक की जानकारी नहीं दी जाती है।

हरियाणा में ग्रामसभा की बैठक में गणपूर्ति के प्रावधान को समाप्त कर दिया है किंतु जब हमने उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा कि बैठक में कितने सदस्यों का शामिल होना जरूरी है? तो 5 प्रतिशत ने बताया कि10 प्रतिशत सदस्यों का शामिल होना जरूरी है, 15 प्रतिशत सदस्यों ने कहा कि उन्हें जानकारी ही नहीं है और 11 प्रतिशत सदस्यों ने कहा बैठक ही नहीं होती जिससे स्पष्ट है कि लोगों की गणपूर्ति के नए प्रावधान का भी ज्ञान नहीं है। यहां तक कि ग्राम पंचायत के कुछ सदस्यों को भी इस विषय की जानकारी नहीं है।

ग्रामसभा की बैठक सरपंच द्वारा बुलाई जाती है लेकिन जब इस बारे में प्रश्न पूछा गया तो 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ही सही जवाब दिया जबकि 26 प्रतिशत ने गलत बताया और आश्चर्य की बात यह है कि 14 प्रतिशत सदस्यों को इसकी जानकारी भी नहीं थी जिससे ज्ञात होता है आज भी लोग पंचायती राज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते। जब चयनित सदस्यों से पूछा गया कि क्या आप प्रत्येक बैठक में शामिल होते हैं? तो इसके बारे में 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं का जवाब था 'हां' भाग लेते हैं जबकि 37 प्रतिशत ने बताया कि वे भाग नहीं लेते हैं और 11 प्रतिशत ने तो बैठक न होने की बात कही। जिससे पता चलता है, कि लोगों का इस तरफ ध्यान कम है।

जब हमने उत्तरदाताओं से यह जानने की कोशिश कि क्या वे जानते हैं कि सावनी की बैठक में ग्राम पंचायत का बजट प्रस्तुत किया जाता है? तो मात्र 48 प्रतिशत लोगों को ही इसकी जानकारी थी जबकि 52 प्रतिशत सदस्य ऐसे पाए गए जिन्हें इस बारे में ज्ञान नहीं था। यहां तक कि उनमें से कुछ पंचायत सदस्य भी थे जिससे ऐसा लगता है कि बीडीपीओ, सचिव एवं सरपंच मिल कर पंचायत की बजाए अपना बजट बनाते हैं। ग्रामसभा की बैठक में खण्ड विकास कार्यालय की ओर से बीडीपीओ, या उसका प्रतिनिधि आता है जब इस बारे में उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछा गया कि क्या बैठक में खण्ड विकास कार्यालय की ओर से कोई सरकारी अधिकारी भी भाग लेता है तो 42 प्रतिशत सदस्यों ने 'हां' में जवाब दिया जबकि 45 प्रतिशत ने 'नां' में उत्तर दिया और 13 प्रतिशत को तो इस की जानकारी भी नहीं थी। जब चयनित सदस्यों से ग्राम सभा की विशेष बैठक के बारे में पूछा कि क्या कोई विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है? तो 64 प्रतिशत ने 'हां' में जवाब दिया और 24 प्रतिशत ने कहा कि विशेष बैठक नहीं बुलाई जा सकती 12 प्रतिशत लोगों को विशेष बैठक की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी।

ग्राम सभा की बैठक में गांव के विकास एवं समस्याओं पर चर्चा की जानी चाहिए जब उत्तरदाताओं से पूछा की बैठक में किन–किन विषयों पर चर्चा होती है? तो 72 प्रतिशत सदस्यों ने बताया कि गांव के विकास कार्यों के बारे में होती है जबकि 11 प्रतिशत ने कहा बैठक नहीं होती और 17 प्रतिशत लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी।

जब चयनित सदस्यों से अगला प्रश्न पूछा गया कि क्या ग्रामसभा ग्राम पंचायत द्वारा गांव में पूरे किए गए विकास कार्यो की समीक्षा करती है? तो उनमें से 59 प्रतिशत ने कहा 'हां' समीक्षा करती है जबकि 29 प्रतिशत ने कहा समीक्षा नहीं की जाती और 12 प्रतिशत ने कहा कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है।

ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों से किसी भी विषय पर प्रश्न पूछ कर जबाब मांग सकते हैं और पंचायत इसकी जवाबदेह होगी। जब चयनित सदस्यों से इस बारे में प्रश्न पूछा गया तो 46 प्रतिशत ने कहा 'हां' प्रश्न पूछे सकते हैं और 26 प्रतिशत ने कहा 'नहीं' प्रश्न नहीं पूछे सकते जबकि 17 प्रतिशत सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं थी और 11 प्रतिशत सदस्यों ने कहा बैठक ही नहीं होती तो प्रश्न कहां से पूछेंगे।

ग्राम सभा की कार्यवाही का रिकार्ड सरपंच के पास रखा है और उसे ग्रामसभा का कोई भी सदस्य कभी भी देख सकता है लेकिन जब इस विषय में उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछे गए कि क्या ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड रखा जाता है और यह किसके पास रखा जाता है तो 53 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सही जवाब दिया जबकि 23 प्रतिशत सदस्यों ने गलत जवाब दिया इसके अलावा 24 प्रतिशत ऐसे लोग पाए गए जिनको इस बारे में जानकारी नहीं थी। जब उत्तरदाताओं से अगला प्रश्न पूछा गया कि क्या यह कार्यवाही रिपोर्ट सभी ग्रामवासियों के लिए उपलब्ध होती है? इसके उत्तर में 51 प्रतिशत सदस्यों ने 'हां' में जवाब दिया जबकि 31 प्रतिशत ने कहा नहीं सभी ग्रामवासियों के लिए उपलब्ध

नहीं है। 18 प्रतिशत ऐसे भी लोग थे जिनको कार्यवाही रिपोर्ट के बारे ज्ञान नहीं था उनका कहना था कि उन्हें कौन पूछता है?

लेखा परीक्षण एक महत्वपूर्ण विषय है। इससे भी महत्वपूर्ण सामाजिक लेखा परीक्षण होता है। इस संदर्भ में हमने उत्तरदाताओं से एक प्रश्न पूछा कि वे ग्रामसभा के लेखा परीक्षण के विषय में जानते हैं जिसके जवाब में 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा 'हां' जानते हैं जबकि 54 उत्तरदाताओं ने कहा उनको इस विषय की जानकारी नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामवासियों को ग्राम सभा के अधिकतर सदस्यों को सामाजिक लेखा परीक्षण की जानकारी नहीं है। और वे इसमें ज्यादा रूचि भी नहीं रखतें हैं। जब ग्राम पंचायत के सदस्यों से पूछा गया कि क्या आपका बैठक में शामिल होना अनिवार्य है? और क्या आपको इसकी जानकारी है? तो कुल 37 चयनित सदस्यों में से 27 (73 प्रतिशत) को इसकी जानकारी थी जबकि 10 (27 प्रतिशत) को इसकी भी जानकारी नहीं थी। अतः ग्राम पंचायत के सदस्यों को भी ग्रामसभा की पूर्णतया जानकारी नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि ग्रामीण ग्रामसभा की बैठकों से अनभिज्ञ हैं।

वर्तमान अध्ययन यह निष्कर्ष अधिकतर निकलता है कि ज्यादातर ग्रामीण ग्रामसभा जैसे पंचायती राज के महत्वपूर्ण संस्थान के संगठन एवं कार्यप्रणाली से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं से अवगत नहीं हैं। यदि हम पंचायती राज की मजबूती चाहते हैं तो हमें पंचायती राज की इस प्रथम इकाई को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों की सेवाओं को प्राप्त करना होगा ताकि ग्रामसभा की भूमिका को मजबूत बनाया जा सके।

सुझाव

- ग्राम सभा से संबंधित विभिन्न विषयों से ग्रामवासियों को अवगत करवाना होगा यह तभी संभव होगा जब सभी दिशाओं से यानी सामूहिक तौर पर गैर–सरकारी संगठनों द्वारा प्रयास किए जाएगें। इसलिए इस कार्य को केवल मात्र सरकारी तंत्र पर नहीं छोड़ना होगा बल्कि स्वयं सेवी संगठनों, युवा मण्डलों, महिला मण्डलों, अध्ययन सस्थाओं तथा शोधार्थियों की सेवाओं को लेना होगा। वे लोग संयुक्त प्रयास करके प्रत्येक गांव के प्रत्येक मोहल्ले के प्रत्येक घर में जा–जाकर सीधी एवं साधारण भाषा रचित साहित्य का प्रयोग करके लोगों को ग्रामसभा के अर्थ, महत्व तथा भूमिका की जानकारी दें।
- यह देखा गया है कि आमतौर पर सरपंच ग्रामसभा की बैठक बुलाने के अपने दायित्व को ईमानदारी से नहीं निभाते और मुट्ठी भर लोगों को ही ग्राम सभा की बैठक में बुलाते है। ऐसे संरपचों से कड़ाई के साथ पेश आना होगा और कोताही करने वालों को ग्राम पंचायत की अध्यक्षता से अलग करना होगा ताकि अन्य लोगों को की गई कार्यवाही से सबक मिल सके।
- ग्रामसभा की बैठक फसल की बुआई और कटाई के समय होती हैं। जिससे ग्रामीण उन बैठकों में ज्यादा संख्या में नहीं पहुंच पाते उस समय उनके पास खेती–बाड़ी के कार्य का भार ज्यादा रहता है। अतः ग्रामसभा की बैठक ग्रामीणों के खाली समय अर्थात जून–जुलाई और जनवरी–फरवरी में होनी चाहिए। इससे समय, धन तथा शक्ति की बचत होगी।
- ग्रामीणों की ज्यादातर समस्याएं राजस्व एवं नहर विभाग की होती हैं। अतः इसके लिए पटवारी, तहसीलदार, एवं नहरी विभाग के कार्यालय की तरफ से कोई अधिकारी भी ग्रामसभा की बैठक में आए ताकि ग्रामीणों की समस्याएं मौके पर ही निपटाई जा सकें। इससे इन बैठकों में ग्रामवासियों की भागीदारी बढ़ेगी।
- ग्रामसभा की बैठकों की संख्या वर्ष में दो की बजाए कम से कम चार होनी चाहिए ताकि ग्रामीण इसकी कार्यप्रणाली से जुड़े रहें और पंचायत की मनमानियों पर रोक लगाई जा सके।
- ग्रामसभा की बैठकों में महिलाओं के विकास एवं उनके स्वास्थ्य संबधी जानकारी भी दी जानी चाहिए। जिससे इन बैठकों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
- ग्रामसभा की बैठक में जो मुद्दे एवं समस्याएं रखी जाती हैं उन पर ग्राम पंचायत भविष्य में जो भी कार्यवाही करती है उसे अगली बैठक में पहले ग्राम सभा को अवगत करवाया जाना चाहिए। और कार्यवाही की प्रतिलिपियों को सरल भाषा में लिख कर ग्राम सभा सदस्यों तक पहुंचाया जाए। यदि सदस्यों को उस पर आपत्ति हो तो उसका समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।
- ग्रामसभा की बैठक के लिए बैठक से पंद्रह दिन पहले मुनादी प्रांरभ कर देनी चाहिए ताकि प्रत्येक ग्रामसभा तक इसकी खबर पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण बैठक में भागीदारी निभा सकें।
- ग्रामसभा की बैठक में सचिव, सरपंच, तथा पंचों की उपस्थिति अनिवार्य की जाए अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। प्रायः देखा गया है कि ये लोग बैठक में अनुपस्थित रहते हैं।
- ग्रामसभा की बैठक में सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों एवं समस्याओं को इस प्रकार निपटाया जाना चाहिए कि सामूहिक मुद्दों एवं समस्याओं को प्राथमिकता मिले तथा ऐसे मुद्दों को बैठक में नहीं रखना चाहिए जो विवादग्रस्त हों।
- ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही का जो रिकार्ड रखा जाता है उस रिकार्ड को सामने पूरा किया जाए और उन्हें भविष्य की योजनाएं भी बताई जाए ताकि वो बैठक में ग्राम पंचायत के सदस्यों से विषयवार प्रश्न पूछ सकें।

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में ग्रामसभा की शक्तियों एवं अधिकारों का वर्णन किया गया है लेकिन यह वास्तविकता से बिल्कुल विपरीत है। जो कि वर्तमान अध्ययन का कारण बना है। इस अध्ययन से पता चलता है कि 73वें संशोधन अधिनियमों में ग्राम सभा को जो शक्तियां दी गई हैं उनका ग्रामवासियों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ग्राम सभा की कार्यप्रणाली ठीक प्रकार से कार्य करे और इसके अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग सही तरीके से हो तो इसके लिए केन्द्रीय सरकार, राजनैतिक दलों, राजनेताओं, प्रशासकों, विद्वानों, विशेषज्ञों, सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं, युवा मंडलों, महिला मंडलों और स्वंय ग्रामीण लोगो को भी इसके लिए भरपूर प्रयास करने होगें और सम्पूर्ण सहयोग देना होगा। जिससे ग्राम सभा के सगंठन एवं कार्यप्रणाली में सुधार होगा तथा यह अपने अधिकारों एवं शक्तिओं को फिर प्राप्त कर सकेगी और यह सही मायने में असली लोकतंत्र होगा जिसकी कभी गांधी और नेहरू ने कामना की थी। ❑

(लेखक द्वय क्रमशः : कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के लोक प्रशासन विभाग के अध्यक्ष और शोधार्थी हैं)

राजस्थान में पंचायती राज सशक्तिकरण

कल, आज और कल

सुरेन्द्र कटारिया

भारत सहित अधिसंख्य विकासशील राष्ट्रों का समाज विषमता, विविधता तथा संक्रमणकालीन परिस्थिति से परिपूर्ण है। इन समाजों में "परिवर्तन" के प्रति एक विशिष्ट प्रतिरोध पाया जाता है। एक तरफ तो समस्याओं तथा कमियों को लेकर सुधारों की मांग जाती है तो दूसरी तरफ जब सुधार किए जाते हैं तब उनका विरोध किया जाता है। स्वतंत्र भारत में विगत चार दशकों में ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन सहित पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु जितने संशोधन एवं प्रयास केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किए गए हैं, उतने ही किसी अन्य क्षेत्र में हुए हों।

राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंम्भिक स्वरूप

चार्ल्स मैटकॉफ ने आत्मनिर्भर भारतीय गांवों को "लघु गणराज्य" की संज्ञा इसलिए दी थी कि प्राचीनकाल, मध्यकाल तथा ब्रिटिश शासन के दौरान भी एक सीमा तक भारतीय गांव अपनी परम्परागत अर्थव्यवस्था, जाति व्यवस्था तथा न्यायव्यवस्था के अनुरूप स्वावलम्बी तथा अनुशासित थे। कालान्तर में यह व्यवस्था कई कारणों यथा–विदेशी आक्रमणों तथा औद्योगिकरण के कारण पनपी शहरी जीवन पद्वति से प्रभावित हुई। गांवों में कार्यरत पंचायत अर्थात् पांच व्यक्तियों की आयतनुमा चौकोर बैठक में होने वाले निर्णय सर्व साधारण के लिए ईश्वरीय आदेश ही होते हैं। इसीलिए "पंचों को परमेश्वर" कहा जाता था। निश्चित रूप से यह पंच वृद्व, अनुभवी, ऊंची जाति के, किंचित पढ़े–लिखे तथा स्वच्छ एवं निष्पक्ष छवि वाले व्यक्ति होते थे जिनके आदेशों को सारा गांव शिरोधार्य मानता था। राजस्थान जिसे पूर्व में राजपुताना एजेन्सी कहा जाता था में प्रत्यक्षतः ब्रिटिश शासन नहीं था अतः यहां सन् 1947 तक रियासतों या रजवाड़ों का शासन चलता रहा। उस दौर में बीकानेर वह प्रथम रियासत थी जिसने पंचायती राज को वैधानिक स्वरूप देने हेतु सन् 1928 में कानून पारित किया। कालान्तर में जयपुर 1938, सिरोही 1943, भरतपुर 1944 तथा करौली 1949 ने ग्राम पंचायत अधिनियम बनाए।

इन्हीं दिनों महात्मा गांधी ने "हरिजन" नामक पत्रिका के दि. 18 जनवरी, 1948 के अंश में लिखा–"मेरी राय में ऐसा कानून नहीं है जहां यदि लोग चाहते हैं तो पंचायत के कार्य संचालन को रोका जा सकता है। गांव के हर समूह के लिए लोग या लोगों का समूह पंचायत प्रणाली अपनाए रख सकता है, भले ही शेष भारत में यह हो या न हो। सच्चे अधिकार तो कर्त्तव्य के पालन से अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा अधिकार कोई छीन नहीं सकता। पंचायतें लोगों की सेवा करने के लिए ही हैं"। गांधीजी के इसी दर्शन पर संविधान के अनुच्छेद–40 में राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई कि वे पंचायतों के गठन तथा उनके प्रोत्साहन का प्रयास करेगा। चूंकि यह प्रावधान संविधान के नीति–निर्देशक तत्त्वों के अर्न्तगत भाग चार था अतः इस प्रावधान का पालन न करने पर किसी भी राज्य सरकार को न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती थी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक राज्य ने अपनी मर्जी के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं का गठन एवं संचालन किया।

यद्यपि आधुनिक पंचायती राज की शुरुआत नागौर से 2 अक्टूबर, 1959 मानी जाती है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दीप प्रज्जवलित कर इसका उदघाटन किया किन्तु राजस्थान राज्य में राजस्थान पंचायत अधिनियम हो चुका था। 1959 के पश्चात् लगभग सभी राज्यों ने बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसानुसार त्रि या द्वि स्तरीय व्यवस्था शुरू की। लगभग सभी राज्यों में पंचायती राज के आधुनिक स्वरूप ने गांवों को जाति, राजनीति तथा नौकरशाही के अड़ंगों के अनुरूप वैमनस्य में विभक्त दिया तथा सत्ता को प्रत्यक्षतः प्रतिशोध भावना से जोड़ा जाने लगा। ऐसी स्थिति में न तो इन संस्थाओं के समय पर नियमित चुनाव हुए और न ही वैधानिक रूप से इन्हें सशक्त किया जा सका। राजस्थान में 1959 से 1992 तक मात्र चार बार 1959, 1967, 1982 तथा 1988 चुनाव सम्पन्न हुए। दूसरे राज्यों में स्थिति इससे भी खराब रही। पंचायती राज को सशक्त करने चिन्ता राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय स्तर पर निरन्तर बनी रही। इसी का परिणाम है 1960 से 1992 तक राष्ट्रीय स्तर पर बलवंत राय मेहता समिति (1957), एम. एल. दांतावाला समिति (1977–78), अशोक मेहता समिति (1977), अजित मजूमदार समिति (1978), सी. एच. हनुमंत राव समिति (1982–84), जी. वी. के. राव समिति (1985), एम. एल. सिंघवी समिति (1986) तथा पी. के. थुंगन समिति (1988) ने पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास पर कई व्यावहारिक सुधार प्रस्तुत किए।

राज्य स्तर पर राजस्थान में माथुर समिति (1963), सादिक अली समिति (1964), गिरधारी लाल व्यास समिति (1973), तथा हर लाल सिंह खर्रा समिति (1990), महाराष्ट्र में नाईक समिति (1961), तथा बोंगीवार समिति (1971), गुजरात में जिनाभाई दर्जी समिति 1972 तथा ऋषभवदास शाह समिति (1978), आंध्र प्रदेश में पुरुषोत्तम पाई समिति (1964), रामचन्द्र रेड्डी समिति (1965) तथा नरसिम्हा समिति (1972), कर्नाटक में वैंकटया समिति (1949–50), डी. एच. चन्द्रशैकरैया समिति (1953), तथा कोण्डाज्जी बसप्पा समिति (1963), उत्तर प्रदेश में गोविन्द सहाय समिति (1965), प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी राष्ट्रीय

एवं प्रान्तीय समितियों की सिफारिशों में न्यूनाधिक मात्रा में यही सुझाव है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देते हुए इन्हें प्रशासनिक एवं वित्तीय दृष्टि से सशक्त बनाया जाए।

वर्तमान परिदृश्य

1992 में किए गए 73 वें संविधान संशोधन के पश्चात् 1993–94 में लगभग सभी राज्यों ने या तो अधिनियम बनाए अथवा अपने राज्य में प्रवर्तित पंचायती राज कानूनों में संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुरूप परिमार्जन किया। निश्चित रूप से संविधान संशोधन के पश्चात् पंचायती रात का लगभग एक समान ढांचा, नियमित चुनाव, महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण तथा अन्य वर्गों को जनसंख्यानुसार आरक्षण, सीटों का चक्रानुक्रम रूप से आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का प्रति 5 वर्ष पर गठन तथा जिला आयोजना समितियों की स्थापना (74 वें संविधान संशोधन की धारा 243 जेड डी) इत्यादि के प्रयासों ने पंचायती राज को एक नई दिशा दी है।

राजस्थान में 27 नवम्बर, 1995 के पश्चात्, दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशियों के निर्वाचन पर रोक लगा कर राज्य ने अनूठी पहल की है जिसे हरियाणा, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में भी अपनाया गया है। राजस्थान में अभी तक लगभग 2000 जन प्रतिनिधि तीसरी संतान पैदा होने के कारण अपदस्थ हो चुके हैं तथा राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के इस प्रावधान को वैध ठहराया है क्योंकि यह जनसंख्या नियंत्रण का भी एक प्रभावी तरीका सिद्व हो सकता है। इसी प्रकार राजस्थान सरकार ने सन् 1998 में पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्यों की सूचना जनता तक पहुंचाने के लिए "सूचना का अधिकार" प्रदान किया जिसे वर्ष 2000 में व्यापक कानून का रूप दिया गया। अब यह कानून मध्यप्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु द्वारा भी लागू किया जा चुका है।

जनवरी, 2000 में राजस्थान सरकार ने पंचायती राज को सशक्त करने हेतु अनेक समसामयिक एवं व्यावहारिक कदम उठाए जिनमें जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष पद जिला कलक्टर के स्थान पर जिला प्रमुख को देना, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज को अतिरिक्त शक्तियां देना, सरपंच को पंचायत समिति तथा प्रधान को जिला परिषद् का पदेन सदस्य बनाना, नागरिक अधिकारपत्र जारी करना, वर्ष में चार बार ग्राम सभा का आयोजन करना, वार्ड सभा का गठन करना तथा 16 विभागों से सम्बन्धित गतिविधियों का कुछ भाग पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करना प्रमुख था। विगत में कार्यों का पीले बोर्ड पर विवरण देना तथा जन सुनवाई कराना भी सराहनीय कदम रहा।

इस क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को दी गई शक्ति की देशभर में सराहना हुई है। वह यह है कि ग्राम स्तर पर कार्यरत लोक सेवकों यथा–नर्स, पटवारी तथा शिक्षक इत्यादि की गांव में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सरपंच की अध्यक्षता, स्थानीय पाठशाला के प्रधानाध्यापक, सेवानिवृत कर्मचारी तथा वार्ड पंच की सदस्यता में बनी सतर्कता समिति की अनुशंसा पर दोषी कार्मिक का स्थानान्तरण जिले से बाहर करने का प्रावधान है। ज्ञात रहे कि ऐसे स्थानान्तरण की अपील केवल मंत्रिमंडलीय उप समिति के सम्मुख ही हो सकती है। निस्संदेह इस क्रांतिकारी प्रावधान से ग्राम स्तरीय कार्मिकों में कार्य के प्रति गंभीरता उत्पन्न हुई है। 5–6 अप्रैल, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन, जून–जुलाई, 2002 में इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में हुए जिला प्रमुखों, प्रधानों, सरपंचों तथा लोक सेवकों की संगोष्ठियों, राज्य विधानसभा के विशेष सत्र तथा मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों पर 19 जून, 2003 को माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा हस्तान्तरित हो चुके हैं जो संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित हैं।

यद्यपि संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय सम्मिलित हैं किंतु राज्य स्तर पर 16 विभागों के अधीन यह सभी 29 विषय आ जाते हैं। जून–जुलाई, 03 में जारी विभागीय आदेशों के पश्चात् राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला परिषद् में विलय हो चुका है तथा जिला महिला विकास अभिकरणों तथा मत्स्य पालन विकास अभिकरणों का जिला परिषद् में विलय प्रक्रिया जारी है। लगभग आधी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी पुस्तकालय खुल चुके हैं। आठवीं तक की शिक्षा, तृतीय क्षेणी शिक्षक, कृषि विस्तार एवं हाट मेले, "डी" श्रेणी के तालाब हैण्डपम्प मिस्त्री एवं हैण्डपम्प संधारण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन, समाज कल्याण एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना में लाभार्थी चयन, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं बिल संग्रहण, राशन की दुकानों का आवंटन, ग्रामीण सड़कों एवं सरकारी भवनों का रखरखाव, सामाजिक वानिकी तथा लघु वन उपज तथा लोक कलाओं का संरक्षण इत्यादि कार्य तथा कार्मिक ग्राम पंचायतों के अधीन हो चुके हैं तथा पदसोपान स्तर पर इनसे सम्बन्धित उच्च कार्य एवं कार्मिक पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को दिए गए हैं। कोष हस्तान्तरण की प्रक्रिया जारी है क्योंकि यह विधायी नियमों के अन्तर्गत पुनर्विनियोग प्रक्रिया का हिस्सा है। निश्चित रूप से अभी इस सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा शक्ति हस्तान्तरण का कई स्तरों पर स्वाभाविक विरोध हो रहा है क्योंकि हम स्वाभावतः यथास्थितिवादी हैं। राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 के अर्न्तगत घोषित 203 ग्रामदानी गांवों में पंचायती राज जुड़ गया है किन्तु कुछ प्रकरण अभी शेष बताए जाते हैं जिनका निस्तारण आवश्यक है।

राजस्थान में पंचायती राज सशक्तिकरण का एक उल्लेखनीय प्रयास प्रशिक्षण कार्यक्रमों से हुआ है। इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के निर्देशन में 30 मई से 4 जून 05 को एक साथ सम्पूर्ण राजस्थान में सरपंचों एवं ग्राम सेवकों का साथ प्रशिक्षण हुआ जो स्वतंत्र भारत में अपनी किस्म का एकमात्र भगीरथी प्रयास है। 6–18 जून 05 तक वार्ड पंचों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्मेलन भी पंचायत समितियों में हो चुके हैं। इससे पूर्व संस्थान स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा जिला स्तर पर जिला प्रशिक्षक दल तैयार किए गए थे। इस प्रकार राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने एक हजार प्रशिक्षकों प्रति पंचायत समिति 4 या 5 की टीम तैयार कर रखी है।

फरवरी, 2002 में भी राज्य में सभी महिला सरपंचों एवं वार्ड पंचों को प्रशिक्षित किया गया था। इसी तरह सितम्बर, अक्टूबर, 2003 में भी पंचायती राज प्रशिक्षण कराए गये थे। जिला परिषद् एवं पंचायत समिति स्तर के जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण संस्थान में बहुत पहले हो चुके हैं। संवैधानिक आरक्षण से महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों को राजनीतिक मंच मिला है तो प्रशिक्षण ने उनमें आत्मविश्वास बढ़ाया है। रूढ़िवादी राजस्थान में यह क्रांति किसी भी दृष्टि से कम नहीं कही जा सकती है।

भविष्य के सुधार व परिवर्तन

यद्यपि पंचायती राज व्यवस्था में विगत एक दशक में आमूल चूल परिवर्तन आ चुके हैं तथापि कुछ सुधार ऐसे हैं जिनकी मांग निरन्तर होती आ रही है तथा बिना नए संवैधानिक संशोधन के यह सुधार संभव नहीं है। यह सुधार इस प्रकार हो सकते हैं –

- जिस प्रकार केन्द्र एवं राज्य सरकारें, शासन के तीन अंगों यथा– विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभक्त हैं उसी प्रकार ग्राम पंचायतों को भी तीन अंगों में स्पष्टतः विभाजित किया जाए। ग्राम विधायिका में सरपंच, पंचों के साथ–साथ चुनाव में दूसरे नम्बर पर रहे सभी प्रत्याशी, पूर्व जनप्रतिनिधि, जातियों के मुखिया तथा सेनानिवृत्त कार्मिक सम्मिलित किए जाएं। यह ग्राम विधायिका ग्राम पंचायत के समस्त कानून बनाए। हारे हुए सरपंच को विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त हो। ग्राम सभा की अवधारणा समाप्त कर दी जाए। हमें इस भ्रम से बाहर आना होगा कि गांवों के व्यस्क लोग खाली बैठे हैं तथा वे ग्राम सभा के माध्यम से अपनी बात रखकर विकास चाहते हैं। यदि ऐसा ही है तो यह प्रावधान शहर की कॉलोनियों में क्यों नहीं किया जा रहा है?
- ग्राम विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वन ग्राम कार्यपालिका अर्थात् ग्राम पंचायत करे। सरपंच इसके प्रमुख कार्यपालक तथा पंचों की भूमिका मंत्रियों जैसी हो। पंचों को विभागवार पद दिए जाएं तथा उनकी सहायतार्थ ग्राम विधायिका से कुछ सदस्य लेकर समितियां गठित कर दी जाएं। ग्राम पंचायत का अपना "ग्राम सचिवालय" होना चाहिए।
- ग्राम विधायिका के कानूनों की व्याख्या तथा छोटे–मोटे झगड़ों का निस्तारण ग्राम न्यायालय करें। आज भी गांवों में जातिगत पंचायतें तथा चुनी हुई ग्राम पंचायतें दीवानी एवं फौजदारी मामलों में निर्णय करते समानान्तर न्याय प्रणाली चलाती ही हैं अतः बेहतर होगा कि इसे सांस्थानिक रूप दिया जाए। गांव/ग्राम न्यायालय में विधि स्नातक, वृद्व एवं निष्पक्ष नागरिक ग्राम विधायिका द्वारा मनोनीत, सरपंच, जाति एवं वार्ड पंच तथा सरकार काछ प्रतिनिधि सम्मिलित हो। यह नियम हो कि गांव का प्रत्येक मामला प्रथमतः ग्राम न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसकी खुली सुनवाई होगी।
- संविधान में संघीय, प्रान्तीय, समवर्ती तथा अवशिष्ट सूची के साथ–साथ एक जिला या ग्राम सूची भी बना दी जाए जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जाने वाले अनिवार्य करों का स्पष्ट खुलासा हो। राज्य आयोजना का कम से कम 15–20 प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्षतः पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दिया जाए।
- पंचायती राज संस्थाओं विशेषतः ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पंचो हेतु चुनाव जीतते ही 6 माह के अन्दर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य कर देना हितकर रहेगा। इस प्रशिक्षण का 75 प्रतिशत व्यय सरकार वहन करे।
- पंचायती राज जन प्रतिनिधियों को सांसदों एवं विधायकों की भांति वेतन, भत्ते तथा पेंशन दी जानी चाहिए।
- चूंकि ग्राम पंचायतों को बहुत सारे विभाग तथा कार्मिक हस्तान्तरित कर दिए गए हैं अतः यह आवश्यक है कि ग्राम सेवक का पद इन सब हस्तान्तरित कार्मिकों से अधिक योग्यता से भरपूर हो अतः ग्राम पंचायत स्तर पर वर्तमान में कम से कम "बी" श्रेणी राजपत्रित अधिकारी स्तर का स्नातक शिक्षा प्राप्त सचिव अवश्य होना चाहिए। इस दिशा में तत्काल सार्थक प्रयासों को आवश्यकता है।

इसी प्रकार यदि हम जिला आयोजना समिति का सशक्तिकरण तथा जिला प्रमुख एवं प्रधान स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का निरूपण कर पाएं तो पंचायती राज बेहतर ढंग से कार्य कर सकेगा। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो और उसके साथ मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। **कुरुक्षेत्र** में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख संपादक, **कुरुक्षेत्र** कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

ग्रामीण विकास और पंचायती राज

सूर्य भान सिंह

भारत गांवों का देश है जहां अधिकांश आबादी गांवों में रहती है इसलिए जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक भारत, विकसित देश नहीं बन सकता। ग्राम विकास की योजनाएं स्थानीय जनता के सहयोग से अच्छी तरह बन सकती हैं क्योंकि स्थानीय लोगों को अपनी आवश्यकताओं, अपने क्षेत्र की स्थिति एवं प्राथमिकताओं की जानकारी ज्यादा होती है। इससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम सफलता से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गांवों में मानव संसाधन का आपार भण्डार है जिसका उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में ही आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था उपलब्ध कराकर गांव का विकास स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए यह महसूस किया गया कि ग्राम पंचायतों के गतिमान पहिए ही देश के ग्रामीण विकास के लिए उपयुक्त साधन सिद्ध हो सकते हैं। भारत के गावों में रहने वाली जनता है साथ सत्ता का बंटवारा किया जाय। एक ऐसी व्यवस्था की खोज का प्रयास किया जाय जिससे राष्ट्र निर्माण के कार्य में जनतन्त्र अधिक सक्रिय ढंग से कार्य कर सके। अतः 23 अप्रैल, 1993 को 73 वें संविधान संशोधन कर नवीन पंचायती राज विधेयक सम्पूर्ण देश में लागू हुआ। इसके अन्तर्गत महिलाओं के लिए एक तिहाई सदस्यों एवं अध्यक्षों के पदों पर आरक्षण, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण द्वारा इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हेतु राज्य चुनाव आयोग का गठन, वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन, निश्चित, कार्यकाल, दायित्वों एवं अधिकारों आदि का प्रावधान किये गये हैं।

पंचायती राज व्यवस्था का संगठन तीन स्तरों पर निर्मित है– ग्राम स्तर, ब्लाक स्तर तथा जिला स्तर पर। ग्रामसभा में ग्राम की कार्यकारी इकाई पंचायत होती है। इसके सदस्य ग्रामसभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। पंचायत का एक निर्वाचित सरपंच होता है। पंचायतों की आय के स्रोत, दायित्व एवं कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। इसका दायित्व ग्राम की समस्याओं से सम्बन्धित होता है। ब्लाक स्तर पर पंचायत राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है इसका एक निर्वाचित अध्यक्ष होता है। खण्ड विकास अधिकारी इसका मुख्य निष्पादक होता है। इसकी सहायता के लिए विकास अधिकारी होते हैं। भारत के अधिकांश राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की धुरी पंचायत समिति है। यह नागरिक सुविधाएं प्रदान करने तथा विकास कार्यों को पूरा करने का कार्य मुख्य रूप से करती है। प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद होती है। इसमें जिले पंचायत समितियों के प्रधान, जिले के निर्वाचित विधान सभा व परिषद सदस्य, जिले के निर्वाचित लोक सभा व राज्य सभा के सदस्य तथा जिला विकास अधिकारी पदेन सदस्य होते हैं। दूसरी श्रेणी में महिलाओं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सहयोजित सदस्य होते हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक का चेयरमैन व जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन इसके सह–सदस्य होते हैं। कुछ राज्यों में पंचायत समिति अपने प्रधान के अतिरिक्त एक–एक प्रतिनिधि निर्वाचित करती है। इसका कार्य निम्नस्तरीय पंचायतों पर नियंत्रण रखना होता है।

पंचायतों की स्थापना के साथ इन्हें गांवों के सम्पूर्ण विकास के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। गांव की सफाई, स्वच्छता, बिजली, पानी, सड़कें, चिकित्सा, स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, वृक्षारोपण, वाचनालय, मनोरंजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लघु सिंचाई, लघु उद्योग, कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन, ग्रामीण आवास, रोजगार गारंटी योजना आदि जैसे अनेक दायित्व सौंपे गये हैं। पंचायतों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 मई 1997 को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सहित पन्द्रह विभागों को पंचायतों के अधीन कर दिया है। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लघु सिंचाई, सहकारिता, कृषि, लघु उद्योग, पेयजल, मत्स्य एवं पशुपालन, बेसिक शिक्षा, ग्रामीण अभियन्ता सेवा, पंचायती राज, सामान्य स्वास्थ्य ग्रामीण आवास, युवक कल्याण, इंदिरा आवास तथा ग्रामीण स्वच्छता आदि अब पंचायतों के अधीन होंगे। सम्बन्धित विभागों के जिलों के प्रमुख अधिकारी अब पंचायतों के अधीन होंगे। पंचायतों को अधिकार दिए जाने से जन प्रतिनिधियों को जन सेवा करने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रदेश शासन द्वारा पंचायतों को अधिकार दिये जाने से गांधीजी की ग्राम स्वराज की कल्पना साकार हो रही है। वर्तमान समय में 500 से अधिक जिला पंचायतें, लगभग 5100 ब्लाक पंचायतें और लगभग 22500 ग्राम पंचायतें हैं जो भारतीय लोकतंत्र का आधार है।

पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की नई व्यवस्था के अनुसार समाज के कमजोर वर्गों अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को जो कुल जनसंख्या का लगभग एक चौथाई है। पंचायतों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए इन्हें पंचायतों के सदस्यों एवं अध्यक्षों के रूप में चुने जाने की व्यवस्था की गयी है। इनकी सदस्यता क्षेत्र विशेष में इनकी जनसंख्या के अनुपात में निश्चित की जाती है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पंचायत संस्थाओं के तीनों स्तरों के सदस्यों एवं अध्यक्षों के पदों को राज्य सरकारें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण करने हेतु स्वतंत्र होंगी। नवीन पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत पहली बार कुल निर्धारित पदों के एक तिहाई भाग को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अब तक हुए चुनावों में महिलाओं ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया तथा महिला पंचायत सदस्यों एवं अध्यक्षों ने अपने अधिकारों एवं दायित्वों को अच्छी तरह निर्वाह कर लिया तो यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। केन्द्र सरकार बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर 2005 से 2010 के बीच

पांच सालों के दौरान पंचायतों को 20 हजार करोड़ रुपये तथा नगर पालिकाओं को पांच हजार करोड़ रुपये का योगदान देगी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के मुताबिक राज्यों को केन्द्रीय अनुदान की दो बराबर किश्तें हर वित्तीय वर्ष के जुलाई तथा जनवरी महीने में जारी की जाएगी। पहली किश्त तभी जारी होगी जब राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं की जिलावार सूची और उन्हें जरूरी मदद का ब्यौरा पेश कर देगी। जब कि दूसरी किश्त पहली के आबंटन का ब्योरा प्राप्त होने पर जारी की जाएगी। यह सिलसिला चालू वित्त वर्ष यानि 2005–06 से ही प्रारम्भ हो चुका है। इसकी पहली किश्त दी जा चुकी है। दूसरी किश्त प्राप्त करने के लिए राज्यों को 31 अक्टूबर तक ब्योरा भेजने को कहा गया है। ब्योरे के साथ राज्यों के वित्त सचिवों का आबंटन सम्बन्धी प्रमाण पत्र भेजना जरूरी होगा। राज्यों को 15 दिन के अन्दर केन्द्र द्वारा प्रदत्त राशि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करनी होगी। इसमें विफल रहने पर उन्हें पंचायती राज संस्थाओं को विलम्ब की अवधि के हिसाब से रिजर्व बैंक की दर पर ब्याज देना पड़ेगा।

ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक ग्रामीण परिवार का शारीरिक श्रम करने में समर्थ सदस्य वर्ष में 100 दिन रोजगार पाने के अधिकारी होंगे। आवेदन करने के 15 दिन के अन्दर रोजगार न दिये जाने पर वह रोजगार भत्ता पाने के अधिकारी होंगे। रोजगार के एक तिहाई अवसरों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का 90 प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकार और 10 प्रतिशत राज्य सरकार उठाएगी। योजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका प्रमुख होगी। यह योजना देश के 200 जिलों में चलाई जाएगी। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनों को राहत देने के लिए आज तक कभी इतनी बड़ी योजना नहीं बनाई गई। यदि इसका सफल क्रियान्वयन किया गया तो गावों में विकास और खुशहाली का नया युग प्रारम्भ हो सकता है। योजना के क्रियान्वयन का मुख्य दायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि गांवों में कराए जाने वाले काम और लाभार्थियों का चयन तकनीकी सलाहकारों की सलाह से पंचायतें करेंगी। पंचायतों के साथ इस काम में निगरानी के लिए ग्रामसभा को शामिल करना चाहिए। इस कार्य में स्थानीय जनता को भागीदार बनाने के लिए सभी कार्यों की सूचना गांव में संदेशों और पंचायत भवन में नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाकर जनता को दी जानी चाहिए। योजना के अन्तर्गत जो मास्टर रोल बनाया जाये उसके नाम पंचायत बोर्ड पर लिखना जरूरी कर दिया जाय। गांव सभा कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए निगरानी समिति भी बना सकती है। काम के लिए चयनित व्यक्तियों के नाम, मास्टर रोल पर चढ़े नाम और जिन व्यक्तियों को भुगतान किया गया है उनके नाम निगरानी समिति के सदस्यों को भेजना लाजमी बना दिया जाए। अगर पंचायत का कोई सदस्य भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाये तो उसे पांच वर्ष के लिए पंचायत से निष्कासित कर दिया जाए और उस पर मुकदमा चलाया जाये। यदि भ्रष्टाचार के दानव पर नियंत्रण नहीं किया गया तो न केवल इस योजना को विफल बना देगा बल्कि भविष्य में इस तरह को महत्वाकांक्षी योजना को शुरू करने की सम्भावना समाप्त कर देगा।

देश को आजाद हुए 58 वर्ष हो चुके हैं। देश के जनता का स्तर उठाने के तमाम प्रयास किये गये लेकिन वे प्रयास शहरी क्षेत्रों तक अधिक सीमित रहे हैं। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश आबादी के लिए बेहतर नागरिक सुविधाएं एक स्वप्न बनकर रह गई हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित विकास की ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो गांवों की आबादी को बेहतर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना एक स्वप्न ही बना रहेगा। यह ठीक है कि ग्रामीण विकास के लिए सरकार शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल, आवास, रोजगार, सड़क निर्माण, बंजर भूमि का विकास एवं ग्रामीण स्वच्छता के अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है लेकिन यदि इसका क्रियान्वयन इसी प्रकार से चलता रहा तो अगले 50 वर्षों में भी गांवों की स्थिति में सुधार लाना मुश्किल होगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई जाने वाली नीतियों पर ईमानदारी से अमल करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ग्रामीण विकास की योजनाओं पर इसी तरह से हर वर्ष धन खर्च होता रहेगा और गांवों में विकास नजर नहीं आयेगा।

पंचायती राज व्यवस्था के सफल संचालन में एक महत्वपूर्ण चुनौती जनता में अभी भी राजनैतिक चेतना का अभाव है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में जहां लगभग 40 करोड़ जनसंख्या निवास करती है वहां अभी भी पंचायती राज व्यवस्था के प्रति चेतना जागृत नहीं है। इसका मुख्य कारण इन राज्यों में अशिक्षा का होना है। पंचायतों को जो अधिकार दिये गये हैं उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त गावों में पंचायतों के चुनाव के समय आपसी वैरभाव के कारण कार्यकलापों का उचित संचालन नहीं हो पा रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि गांवों में लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास किया जाये। इसके लिए ग्रामीण जनता में जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जाना चाहिए। साथ ही प्राथमिकता के आधार पर चुने गये नए सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। विशेषकर चुनकर आये महिला सदस्यों, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए सदस्यों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को अच्छी तरह समझ सकें और पंचायतों के कार्य कलापों में सक्रियता से भाग ले सकें।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। विशेषकर उस दशा में जब ग्रामीण जनता गरीबी एवं बेरोजगारी की शिकार है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा एवं सुविधा सम्पन्न व्यक्तियों का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामन्तशाही एवं दबंग लोगों का वर्चस्व है, धर्म एवं जाति के आधार पर समाज बंटा है, कमजोर वर्गों का शोषण जारी है, महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है तथा राजनीति में भ्रष्टाचार एवं अपराधीकरण प्रवेश कर चुका है। अतः इस पंचायती राज के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नैतिक मूल्यों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना, प्रशासन को संवेदनशील बनाना तथा जन चेतना एवं जन भागीदारी को मजबूती प्रदान करना इसकी सफलता के लिए आवश्यक है अन्यथा पंचायती राज जनता द्वारा जनता है लिए बनाना दुष्कर होगा। आज देश के अन्दर ही भ्रष्टाचार

का विष व्याप्त हो गया है उसे मजबूत स्थानीय निकायों की स्थापना से पर्याप्त मात्रा में घटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी काम होगा वह गांव के लोगों के सामने होंगे तथा कार्यों के प्रति जवाबदेही ग्राम पंचायत स्तर पर अच्छी तरह निर्धारित की जा सकती है। इन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सूचनाओं एवं जानकारियों को अच्छी तरह लोगों की तरफ प्रवाहित किया जा सकता है। लोकतन्त्र जब जन साधारण के हाथों में होगा तब यह गरीबी निवारण, समानता के साथ आर्थिक विकास, स्वस्थ पर्यावरण तथा मानवाधिकार के प्रति अधिक सशक्त एवं कारगर होगा। नवीन पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से भारतीय शासन व्यवस्था में जो ढांचागत परिवर्तन हो रहा है उसमें देश के ग्रामीण विकास की जो सुखद कल्पना की गई है वह तभी साकार हो सकती है जब कि समाज में व्याप्त अशिक्षा, जाति भेदभाव एवं भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलायी जाये। इसके लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति प्रशासनिक सहयोग, जन सहभागिता, दृढ़ निश्चय और कठोर अनुशासन का सहारा लिया जाये तभी नवीन पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से महात्मा गांधी के स्वराज की कल्पना साकार हो सकती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी, पिछड़ापन एवं बेरोजगारी दूर हो सकती है। ❑

(लेखक एमएमपीजी कालेज, कालाकांकर, प्रतापगढ़ (उ.प्र.) में रीडर एवं वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष हैं)

प्रकाशन विभाग में हिंदी पखवाड़ा

राष्ट्रीय विकास और हिंदी की भूमिका

प्रेम बल्लभ जोशी

प्रकाशन विभाग में आयोजित हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर गत 14 सितंबर, 2005 को विभाग के मुख्यालय सूचना भवन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 'राष्ट्रीय विकास में हिंदी का महत्व' विषय पर आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता प्रकाशन विभाग के निदेशक प्रो. उमाकांत मिश्र ने की। 'आजकल' (हिंदी) के पूर्व संपादक बलदेव सिंह मदान इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि थे। गोष्ठी में 'योजना' पत्रिका के प्रधान संपादक अनुराग मिश्र, 'रोजगार समाचार' के प्रधान संपादक और महाप्रबंधक घनश्याम गोयल, प्रकाशन विभाग की संयुक्त निदेशक डा. वसुधा गुप्ता, 'योजना' के संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, बाल भारती की संपादक विभा जोशी, प्रकाशन विभाग के संपादक स्वतंत्रा राधाकृष्णन तथा राजेंद्र चौधरी और उपनिदेशक (प्रशा.) राकेश कुमार अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त किए।

वक्ताओं ने कहा कि हिंदी का प्रचार–प्रसार पूरे देश में करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे हम अपने काम–काज में अधिक से अधिक व्यवहार में लाएं। सरकारी काम–काज में सरल भाषा का उपयोग हो जिससे हिंदीतर भाषी क्षेत्रों से आनेवालों को हिंदी बोलने और समझने में कठिनाई न हो। प्रो. उमाकांत मिश्र ने कहा कि इससे हिंदी का भंडार न केवल समृद्ध होगा बल्कि अधिक से अधिक लोग इसे अपनाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे देश की संपर्क भाषा एकमात्र हिंदी ही हो सकती है क्योंकि देश के अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी बोलने वालों की संख्या कहीं अधिक है। देश के किसी भी राज्य में हिंदी के माध्यम से हम अपना काम–काज चला सकते हैं।

डा. वसुधा गुप्ता ने राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में हिंदी के महत्व की चर्चा करते हुए इसमें प्रकाशन विभाग के योगदान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रकाशन विभाग हर वर्ष लगभग 70–75 पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित करके जनता के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहा है। उन्होंने हिंदी पखवाड़े के दौरान विभाग में होने वाली गतिविधियों का ब्योरा भी दिया। अनुराग मिश्र ने कहा कि हिंदी को लेकर हमारे मन में जो हीन भावना है, उसे दूर करना होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हिंदी को व्यवहार में लाना अति आवश्यक है।

घनश्याम गोयल ने कहा कि हिंदी का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अहिंदी भाषी भी हिंदी को अपना रहे है। बलदेव सिंह मदान ने कहा कि हिंदी को उर्दू, पंजाबी जैसी अन्य भाषाओं के शब्दों को अपने में समाविष्ट करना चाहिए ताकि उसका दायरा व्यापक हो। इस संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्रा राधाकृष्णन ने हिंदी में दक्षिण भारतीय भाषाओं के समावेश पर बल दिया। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को कम करने के लिए हिंदी का प्रयोग और प्रचार–प्रसार बेहद जरूरी है।

राकेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि 'अहिंदी भाषी' के स्थान पर 'हिंदीतर भाषी' कहना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि हिंदी का अन्य भारतीय भाषाओं से कोई विरोध नहीं है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा कि आम जनता बेहद प्रबुद्ध और जागरूक है, उसे समझने और समझाने के लिए हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। अन्य वक्ताओं में विभा जोशी 'आजकल' के संपादक प्रवीण उपाध्याय और विभाग में सह संपादक योगेंद्र दत्त शर्मा ने भी राष्ट्रीय विकास में हिंदी के महत्व को रेखांकित किया। ❑

गांवों के सर्वांगीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

अखिलेश कुमार

केन्द्र सरकार ने गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए विकेंद्रीकरण की नीति के तहत, देश के अन्तिम आदमी तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए 1992 में 73वें 74वें संविधान सशोधन का जो फैसला लिया या उसका असर गांवों में कुछ दिखाई पड़ने लगा है। गांवों को अधिक सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को और अधिकार दिए गए हैं। गांवों में पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तर बनाए गए हैं। जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। जाहिर है पिछली पंचवर्षीय (10वीं पंचवर्षीय) योजना में उसके तहत् 30 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि तैयार किए गए। ये प्रतिनिधि विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के शक्ति सशक्तिकरण का परिणाम है कई राज्यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33.3 प्रतिशत से भी अधिक है। जो राज्य पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने में पिछड़े हैं, केन्द्र द्वारा उनपर यह बराबर दबाव बनाया जा रहा है वे गांव के हित में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए कारगर कदम उठाएं।

पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने और गांवों को अपने विकास के लिए और अधिक अधिकार देने के लिए जिन राज्यों ने सबसे अधिक कार्य किया उनमें मध्य प्रदेश और कर्नाटक प्रमुख हैं।

जाहिर है पिछली मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक प्रदेश की सरकारों ने हर स्तर पर गांवों को स्वावलम्बी, रोजगारपरक, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने, स्वास्थ्य, गैरबराबरी कम करने, शोषण कम करने और पिछड़े लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने की लिए जो योजनाएं लागू की थी उनको काफी हद तक पूरा भी किया गया। जो राज्य इस कार्य में पिछड़ गए, वहां 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों का केवल शाब्दिक रूप से पालन किया गया।

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

- पंचायती राज संस्थाओं में सभी स्तरों पर उनकी सम्पूर्ण क्षमता का विकास करना
- गांवों में महिलाओं के विकास के लिए महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करना
- अनुसूचित जन जातियों एवं अनुसूचित जातियों की सभी समस्याओं के निदान के लिए उचित कदम उठाना।
- ग्राम सभाओं को अधिक से अधिक शक्ति प्रदानकर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपना।
- पंचायती राज संस्थाएं हर स्तरपर गांवों के विकास का लेखा–जोखा सरकार को दें जिससे कमियों को दूर किया जा सके।
- सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा समर्थित ई–गवनेंस को पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराना।
- आर्थिक लेन–देन के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाना
- ग्रामीण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सशक्त कदम उठाने के लिए प्रेरित करना।

पंचायती राज संस्थाओं के निर्धारित विषय

केन्द्र सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो विषय निर्धारित किए गए उनमें ग्रामीण जीवन के सभी आर्थिक और सामाजिक आयाम प्रमुख हैं। जाहिर है ये दोनों कार्य गांवों की माली हालात को बहुत कुछ बदल सकते हैं। पिछले 58 सालों में सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद व्यवस्था और कानूनी खामियों के कारण गांवों का विकास अपेक्षित सीमा से बहुत कम हुआ। जिससे गांवों का शहरों की तरफ पलायन हुआ। जाहिर है इससे गांवों का विकास और ज्यादा बाधित हुआ। देश के तीन राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल बजट का 40 प्रतिशत हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं के मद में खर्च करने के कारण यहां गांवों में पंचायती राज ज्यादा मजबूत हुआ।

संसाधन के मामले आत्म–निर्भरता

केन्द्र या राज्य सरकारें बजट मे पंचायती राज संस्थाओं को जितना धन मुहैया करातीं है उससे उनके क्रिया–कलाप पूरे नहीं हो पाते हैं। इस लिए यह जरूरी हो गया है पंचायती राज संस्थाएं अधिक गति से आत्म–निर्भर बनें। उसके लिए स्थानीय स्तर पर अधिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। पंचायत स्तरपर राज कोषीय अनुशासन और उत्तरदायित्व जितना सशक्त होगा गांव उतने ही खुशहाल होंगे इससे पंचायत पदाधिकारियों की वित्तीय अनियमितताओं को भी दूर किया जा सकता है।

पंचायतों के कार्य विभाजन

केन्द्र या राज्य सरकारें बजट में पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य सौंपे गए हैं। इसके बावजूद कोई स्पष्ट दिशा–निर्देश सरकार द्वारा नहीं दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार ग्यारहवीं अनुसूची में जिला पंचायतों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के बीच कोई कार्य विभाजन का दिशा–निर्देश नहीं दिए गए हैं।

गांवों के विकास के लिए पंचायतों द्वारा केन्द्र सरकार की सम्पूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना के द्वारा जो विकास किया जा रहा है, योजना आयोग ने केन्द्र–प्रायोजित स्कीमों के लिए कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं का एक कार्यबल गठित किया था। कार्यबल ने ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सामाजिक न्याय, वन, पर्यावरण और सम्पूर्ण सशक्तिकरण की ओर ध्यान आकृष्ट किया और उन बातों पर विशेष ध्यान दिलाया जिनमें केन्द्रीय मंत्रालय केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों को शामिल किया जा सकता है। इस बारे में अभी विचार–विमर्श जारी है।

ग्राम सभाओं की विकास कार्यों में भूमिका

गांवों का विकास द्रुत गति से आगे बढ़े, इसके लिए आवश्यक है ग्रामसभा हर स्तर पर मजबूत हो। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार ग्रामसभाओं को स्पष्ट शक्ति और कार्य दगी। इसीमें एक महत्वपूर्ण बात यह जोड़ी गई है कि ग्रामसभा के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होगे, राज्य सरकार का उनपर कोई नियंत्रण नहीं होगा। जाहिर है उससे स्वतंत्र होकर कार्य करने का अवसर ग्राम सभाओं को मिलता है। पिछली पंचवर्षीय योजना में इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश, केरल और कर्नाटक में शिक्षा का प्रयास और स्तर गांवों में तेजी से बढ़ रहा है। केरल में राज्य सरकार और ग्राम पंचायत के सम्मिलित प्रयास से वहां शतप्रतिशत साक्षरता हासिल की जा सकी है। इसी तरह रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामले में भी केरल का नम्बर पहला है।

ग्राम पंचायतों की सशक्त भूमिका निभाने से मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल में ज्यादातर गांव या परिवार स्तर की समस्याओं को सुलझाया गया। केरल के विभिन्न अदालतों में गांव स्तर के मामले बहुत कम हैं। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में केरल की ग्राम पंचायतें सक्रिय भूमिका निभा रहीं हैं। इसी तरह स्वास्थ्य और स्वरोजगार पैदा करने की दिशा में भी यह राज्य अग्रणी राज्यों में पहले नम्बर पर है। ग्राम की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विकास और आपसी सौंर्द बनाए रखने में ग्राम पंचायतों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी बंगाल जैसे आर्थिक तंगी वाले प्रदेशों में यह अधिक महत्वपूर्ण है। बिहार में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, सामाजिक सौहार्द, आर्थिक विकास और सुरक्षा की समस्या दूसरे से अधिक है। इसलिए वहां ग्राम पंचायतों की भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार है)

ग्रामीण सहकारी ऋण समिति फिर से बहाल

ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों को फिर से बहाल करने के बारे में गठित कार्यबल (वैद्यनाथ समिति) की सिफारिशों पर विचार–विर्मश किया गया।

सरकार ने सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने और इसके कार्यकरण को सुव्यवस्थित बनाने के तौर–तरीकों का पता लगाने के लिए वैद्यनाथ समिति का गठन किया था, ताकि ये सहकारी संस्थान ग्रामीण भारत विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने को एक सशक्त माध्यम बन सकें। कार्यबल ने कई दूरगामी सिफारिशें की हैं और इनमें से कुछ पर राज्य सरकारों के परामर्श से कार्रवाई की जानी है।

सहकारी ऋण संस्थानों को वित्तीय सहायता पैकेज, इन संस्थानों की न्यूनतम पूंजीगत जरूरतें, सहकारी संस्थानों को स्वायतशासी बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों की शेयर पूंजी समाप्त करना, कम्प्यूटरीकरण के युग को देखते हुए सहकारी संस्थानों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, सहायता में भागीदारी और विधायी तथा संस्थागत सुधार जैसे मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। ❑

रोजगार सृजन में लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान

सरकार की आर्थिक विकास नीतियों का मुख्य लक्ष्य हमेशा से रोजगार सृजन रहा है। चूंकि बड़े उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों को भारी संख्या में रोजगार देने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि स्थानीय संस्थानों और कौशल के इस्तेमाल से गांवों में ही रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। खादी तथा ग्रामीण उद्योगों में ग्रामीण उद्योगों क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर पैदा करने की सबसे ज्यादा क्षमता है। खादी एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 2.07 लाख से भी ज्यादा इकाइयां स्थापित की गई हैं और इनमें 76.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसके अलावा कॉयर उत्पादों का निर्माण करने वाली 9,000 इकाइयों में 5.8 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत में लघु उद्योग क्षेत्र इस समय 2 करोड़ 82 लाख लोगों को अपनी 1 करोड़ 18 लाख इकाइयों के जरिए रोजगार प्रदान कर रहा है। दसवीं योजना मे लघु उद्योग क्षेत्र की विकास दर 12 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

प्रदर्शिनियों और मेलों से विभिन्न उत्पादों के प्रदर्शन के अवसर ही नहीं मिलते बल्कि क्रेताओं और विक्रेताओं को एक ही स्थान पर नई–नई वस्तुओं के कारोबार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए लघु, कृषि और ग्रामीण उद्योगों के उत्पादों पर 26 से 29 सितम्बर, 2005 तक नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में लघु उद्योगों के विकास के लिए अभिनव वित्त पोषण, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम–अवसर तथा अभिसरण और कॉयर उद्योग का क्लस्टर/कंसोर्टियम आधारित विकास विषयों पर तीन सेमिनारों का आयोजन भी किया गया। ❑

मुफ्त में क्यों काम करें महिलाएं?

बृंदा करात

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के राजगढ़ ब्लाक में स्थित एक दूर–दराज के गांव में पौ फटने से पूर्व ही मजदूरों का एक समूह जल सरंक्षण हेतु बनाए जा रहे एक टैंक की खुदाई के लिए परियोजना स्थल की ओर जा रहा है। यह परियोजना "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही है।

सत्तर मजदूरों के इस समूह में महिलाओं व पुरुषों की संख्या बराबर है। इस परियोजना के तहत कम से कम एक तिहाई रोजगार के अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित करने की मांग के परिणामस्वरूप कामगारों में महिलाओं संख्या को एक सकारात्मक कदम के रूप में लिया जा सकता है। लेकिन इनकी मजदूरी तथा ऐसे ही सैंकड़ों अन्य मजदूरों से बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में की गई बातचीत के आधार पर आयोजित अभियान के तहत कुछ नई बातों का खुलासा हुआ जिससे तस्वीर ही बदल गई। केंद्र सरकार काम के बदले अनाज कार्यक्रम को शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता दे रही है। कार्यक्रम के तहत वेतन का एक हिस्सा नकद तथा बाकी अनाज के रूप में दिया जाता है। लेकिन कार्यक्रम की अपनी सीमाएं हैं, खासकर वर्तमान नीति–निर्देशों के चलते कई प्रकार के अंकुश हैं। फिलहाल केवल जमीन के नीचे पानी के टैंक बनाने पर काम चल रहा है। इन विसंगतियों को ठीक करना होगा।

नवउदारवादी नीतिगत ढांचे के कारण कृषि क्षेत्र के सामने भारी संकट है। कृषि संबंधी कार्य करने वाले परिवारों को साल में 50 दिन से ज्यादा रोजगार नहीं मिल पाता है। परिणाम है भूख व गरीबी। न केवल गरीब भूमिहीन मजदूर बल्कि छोटे किसानों ने भी कर्ज के बोझा तले दबे होने के कारण काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं में निर्माण स्थलों पर काम मांगने के लिए आते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन लाखों लोगों के लिए जीवन–मरण के प्रश्न की तरह है। वरना क्या कारण हो सकता है कि बूढ़े व अशक्त होने के बावजूद लोग हर रोज 45 डिग्री तापमान में खुदाई के लिए जाते हैं।

लेकिन शर्म की बात यह है कि मजदूरों से जिस उत्पादकता की उम्मीद की जा रही है वह व्यावहारिक दृष्टि से असंभव है। न्यूनतम वेतन पाने के लिए एक मजदूर को 100 क्युबिक फीट खुदाई करना जरूरी है जिसका मतलब है 1000 किलो मिट्टी हटाना। अक्सर जमीन पथरीली व कठोर होती है जहां खुदाई के लिए और भी ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। मजदूरों को इस मिट्टी को उठाकर थोड़ी दूर रखना होता है। अगर इसके लिए वह 20 मीटर से ज्यादा खुदाई करेगा तभी उसे मिट्टी उठाने के लिए कुछ पैसे अलग से मिलेंगे। इस तरह मिट्टी की खुदाई करना तथा उसे उठाकर दूसरी जगह रखना–इन दो श्रम प्रक्रियाओं को एक ही प्रक्रिया में समाहित कर एक ही आदमी से दोनों काम करवाए जाते हैं। वास्तव में उत्पादकता के सरकार द्वारा तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई राज्यों में दो लोग मिलकर काम करते हैं। ज्यादातर ऐसे मामलों में महिलाएं मिट्टी ढोने का काम करती हैं। उनके सहयोग के बिना आधी खुदाई भी संभव न होगी। इसके बावजूद हम जितने स्थानों पर भी गए कहीं भी महिला मजदूरों को इस काम के लिए अलग से मेहनताना नहीं दिया जा रहा था। केवल पश्चिम बंगाल में पश्चिमी मिदनापुर स्थित मणिधारा गांव इस मामले में अपवाद था।

मणिधारा में पंचायत ने हस्तक्षेप कर महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबर वेतन सुनिश्चित किया। इसके लिए उन्होंने उत्पादकता लक्ष्य कम कर 50 से 60 क्युबिक फीट कर दिया। दो लोगों के लिए एक दिन में वह लक्ष्य प्राप्त करना संभव है और इसके लिए दोनों को अलग–अलग वेतन भी दिया जा रहा है। यहां खुदाई और मिट्टी हटाने की प्रक्रियाओं को अलग–अलग नहीं विभाजित किया बस पंचायत ने थोड़ी कल्पनाशीलता का परिचय दिया।

इस कार्यक्रम से जुड़े निर्माण स्थलों पर अकेली महिला को काम मिलना असंभव है क्योंकि वे मिट्टी ढोने का काम करती है जिसका भुगतान अलग से नहीं किया जाता है। हमने कई त्रासदीपूर्ण उदाहरण देखे। एक जगह दो विधवा महिलाएं एक साथ काम कर रही थीं, एक खुदाई कर रही थी, दूसरी मिट्टी ढोने का काम कर रही थी। इसी तरह एक स्थान पर एक महिला अपने दो बच्चों के साथ काम में जुटी थी। वह खुदाई कर रही थी और बच्चे मिट्टी ढोने का काम। करीबन 11 घंटे की हाड़तोड़ मेहनत के बाद भी लक्ष्य के पचास फीसदी से भी कम काम हो पाया।

दिल्ली स्थित अजमेरी गेट के गोदामों में पास खड़े ट्रक से उठाकर 4000 किलोग्राम अनाज की बोरियां रखने के एवज में एक कुली को न्यूनतम 180 रुपए दिए जाते हैं। मुंबई में इसी काम की मजदूरी दर दोगुनी है। यह ठीक है कि ये दरें भी संतोषजनक नहीं है पर भारतीय गांवों में तो मिट्टी ढोने का काम बिना एक भी पैसे की मजदूरी लिए किया जा रहा है। निसंदेह इस प्रकार के शोषण को इसलिए नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि समस्या इस काम का मूल्य निर्धारित करने की है। खुदाई और मिट्टी ढोने के कामों को अलग–अलग मानकर उनकी न्यूनतम मजदूरी भी अलग–अलग देनी चाहिए। तभी इस अदृश्य श्रमिकों को उसका हक मिलेगा। ❑

(साभार : ग्रासरूट)

अंधेरे से आगे रोशनी के धागे

प्रशांत कानस्कर

त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिलाओं की उत्साहजनक भागीदारी ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था की मजबूती के रास्ते खोल दिये हैं। परिणाम साफ है। ग्राम विकास के जो वैकल्पिक मार्ग हैं, महिलायें उन उपायों पर गंभीरता से सोचने लगी हैं। साक्षरता जैसे जन अभियान ने जो जागरूकता फैलाई, इस जागरूकता ने महिलाओं की सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। सोच अब स्पष्ट है। वे चाहती हैं कि विकास ऐसा हो जो रोजगार बढ़ाने के साथ साथ गरीबी दूर करे। कृषि सुधार के साथ ग्रामीणों के पास उन्नत संसाधन हों। जमीन के बंटवारे के साथ जीविकोपार्जन हेतु भूमिहीनों को जमीन मिले। किसान हो या खेतिहर मजदूर, सबकी क्रय शक्ति बढ़े। आवक बढ़े। जेब में पैसा आये। सशक्त बाजार व्यवस्था के साथ बेहतर उत्पादन हो। सुव्यवस्थित वितरण हो। शिक्षा एवं स्वरोजगार का व्यवस्थित नेटवर्क हो। बुनियादी चीजों की उपलब्धता के साथ जीविकोपार्जन का जरिया व आर्थिक भविष्य सुरक्षित हो। जागरूकता से प्रदेश की महिलाओं की समझ साफ हुई है। वे मानने लगी हैं कि किसी देश की अर्थ–व्यवस्था तभी सफल होती है जब वह देश अपनी परंपराओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखता है और अपने लिये विकास का मार्ग चुनता है। राजनांदगांव जिले पर नजर डालें। पंचायती राज में महिलाओं ने बेहतर उदाहरण दिये। मां बमलेवरी महिला स्व–सहायता समूह ने गणतंत्र दिवस पर गठन के बाद चार वर्ष के अल्प समय में ही चमत्कारिक परिणाम दिये। बचत के मामले में राजनांदगांव आगे रहा। महिलाओं ने 50 लाख रुपये एकत्र किये। जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिये कम ब्याज दर पर 90 लाख रुपये ग्रामीणों को उपलब्ध कराये गये। जिले के 22 गांवों की करीब साढ़े चार हजार एकड़ भूमि लीज पर ली गई। यहां की मालकिन बन वे खुद स्वरोजगार में जुटी हैं।

ग्राम हरदी, गोटाटोला, बासड़ी, भोपटोला, सालपुर की महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। चार–चिरौंजी, हर्रा, बेहरा, महुआ जैसे वनोपज से बाजार व्यवस्था में कदम रखा और अपनी आर्थिक हालत मजबूत बनायी। इसी जिले की करीब दो हजार महिलाओं ने बाजार प्रबंधन हेतु साइकिल चलाना सीखा और आत्मनिर्भरता की दहलीज पर कदम रखा। लक्ष्य, मंसूबे, सपने और प्रयास स्पष्ट हो तो जागृति का परिणाम साफ दिखाई देता है। महिलाओं की पहल से जिले के करीब साठ गांवों में शराबबंदी हुई। परिणाम यह रहा, लड़ाई झगड़ों पर रोक लगी। मृत्युभोज प्रथा की समाप्ति हुई सो भोज हेतु कर्जाबाड़ी बंद हुआ। खैरागढ़ का ग्राम परिवार इस मामले में आगे रहा। खेलकूद आयोजनों के साथ महतारी गोठ जैसी पत्रिका का इस जिले से निकाला जाना विशेष बात है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में सहायता के साथ जिले के रचनात्मक कार्यक्रमों में भी महिलाएं किसी से कम नहीं थी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर गांव की तरह राजनांदगांव जिले का मलईडबरी गांव है। जहां के सभी घरों में पक्के शौचालय महिलाओं की पहल से बने हैं। विकास के साथ गांव को विसंगति और अपसंस्कृति से बचाने में महिलाओं के सम्मिलित सांस्कृतिक प्रयास भी परिणाममूलक रहे। दुर्ग, धमतरी, कांकेर, बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, बस्तर, जांजगीर, दंतेवाड़ा, रायगढ़, कोरबा, कबीरधाम, जसपुर, सरगुजा की कुल 28 महिला व बालिका रामायण मंडलियों की धाक रही। बालोद तहसील के ग्राम झलमला स्थित गंगा मंदिर में उनकी सहभागिता ने विकास के मंसूबे के साथ उनके रामराज्य जैसे सपने को भी चिन्हांकित किया।

आजादी के 58 साल बाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, संस्था और प्रक्रिया को मजबूती देने के प्रयासों का परिणाम है कि इस बार के पंचायत चुनावों में महिलाओं की सशक्त भागीदारी देखी गई।

अनुसूचित जाति महिला सरपंच पद के लिये आरक्षित चुनाव क्षेत्र में सरपंच चुनी गई। किस्सा दुर्ग जिला अंतर्गत गुण्डरदेही ब्लाक के ग्राम मोंगरी का है। कमजोर बस्ती संतोषी पारा, कैम्प–2, की महिलाओं ने कागज के दोना पत्तल बनाना क्या सीखा, अब वे इस काम को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। जागरूकता की लहर ऐसी है कि जिले के 130 गांवों में शराब, जुआ, सट्टा जैसे अपराधों के खिलाफ भी महिलाएं संगठित होकर सामने आई। ग्राम अहेरी नंदिनी की सोच है कि अपराध खत्म होंगे तो विकास होगा। मछली बेचने वाली शकुन ढीमर निर्दलीय चुनाव जीतकर दुर्ग जिले से कमजोर बस्ती से आज अपने ही वार्ड की पार्षद है और विकास के नये प्रतिमान गढ़ रही है। दुर्ग जिले के बेमेतरा नगर पालिका की अध्यक्ष सवाना बाई सेन चुनाव जीतने से पहले बस स्टैंड पर काम कर रही थी, चुनाव जीतने के बाद यह कार्य अभी भी जारी है साथ ही नगर पालिका के विकास का काम भी। राजधानी रायपुर से 30 किलोमीटर दूर खारून नदी के तट पर बसे ग्राम परसदा की सरपंच गिरजाबाई निषाद ने सुरक्षित क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद पहला काम विकास पर लाखों खर्च करने के साथ ग्राम को स्वच्छ बनाने एवं इंदिरा आवास बनाने का रहा।

महिलाओं की प्रगति और उनके सपने यह जाहिर करते हैं कि स्त्रियां यदि आज दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी क्षेत्र से अपने अधिकारों के लिये संघर्ष कर रही हैं। जीवन के खुशहाली के लिये आगे बढ़ रही हैं, यह मजबूत लोकतंत्र की सबसे बड़ा प्रमाण है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि गांव, खेत, किसान और मजदूर तथा महिलाओं को फोकस में रखकर सरकार योजनाएं बना रही है, और पंचायती राज में गांव का आर्थिक चेहरा पहले से कहीं ज्यादा बदला है। शहर और गांव में आर्थिक विकास के संतुलित प्रयास परिणाम मूलक हैं। महिलाएं विकास के रास्ते पर मील का पत्थर गढ़ रही हैं। यह उनके नेतृत्व देने की क्षमता की परिचायक है। महिलाओं ने आगे बढ़ने के ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किये। नये उत्पादों को विकसित किया। जरूरी खतरे उठाए। एक दूसरे को सहयोग दिया। हमारे संविधान निर्माता बी.आर. अंबेडकर ने ठीक ही कहा है कि आदर्श समाज को गतिशील होना चाहिये। उसमें दुनिया में हो रहे परिवर्तनों को पहचानने के साथ–साथ आगे बढ़ने की ताकत होनी चाहिये। इस लिहाज से विश्व के आर्थिक परिदृश्य में भारत का सबसे नवोदित 26वां राज्य छत्तीसगढ़, पंचायती राज तहत 20 हजार 300 सौ से भी ज्यादा संख्या वाले गांवों को खुशहाली की शक्ल देने जुटा हुआ है। यह प्रदेश की 83 लाख महिलाओं की सबलीकरण से संभव हुआ है। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

सूचना प्रौद्योगिकी शक्ति संपन्न होती पंचायतें

अवनीश सोमकुंवर

सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई बहुलता भारत की पहचान है। शासन–प्रशासन की विधियों में भी भारतीय अवधारणाएं मुखर रही हैं। "ऋग्वेद" और "मनुस्मृति" में जनतांत्रिक समितियों के स्वरूप का उल्लेख मिलता है जो बाद में पंचायतों के रूप में सामने आया। परम्परा और आधुनिकता के संगम स्थल भारत में अब पंचायतों की लोक हितैषी शक्ति का उपयोग मुखर हो रहा है।

भारत में पंचायत राज व्यवस्था के इतिहास में चार प्रमुख पड़ाव रहे हैं। बलवंत राय मेहता समिति की अनुसंशाएं, 73वां संविधान संशोधन, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी का आगमन। ग्रामीण और शहरी समाज में सामाजिक आर्थिक अधोसंरचना के समरूप विकास के लिए पंचायतों की कार्यप्रणाली को सक्षम और नवाचारी बनाना अनिवार्य है। ब्रिटिश गवर्नर सर चार्ल्स मेटकाफ ने पंचायतों को "नन्हे गणतंत्र" कहा था। पंचायतों की शक्ति से प्रेरित होकर ही गांधीजी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा रखी थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत के लोगों को पंचायतों की शक्ति का बोध हो। दूसरे और सामंती समाज नहीं चाहता था कि निचले स्तर से एक समकक्ष प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय हो। पंचायतों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी और परम्परागत विवेक के तालमेल से लोकतांत्रिक और आधुनिक विकास की कई नवाचारी विधियों का प्रदर्शन सामने रखा है। सूचना प्रौद्योगिकी का रचनात्मक उपयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

आज देश में 23 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतें, छह हजार से ज्यादा मध्यम स्तर और 500 से ज्यादा जिला स्तर की पंचायतें कार्य कर रही हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पंचायत राज सस्थाएं हैं। स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन, संवर्धन और लोक हित में दोहन, रोजगारमूलक विकास कार्यों की स्वीकृति देने से लेकर केन्द्र और राज्य सरकारों को क्रियान्वयन की सहयोगी के संस्था के रूप में कार्य करने तक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पंचायतों पर हैं। विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया और राज्य के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों के हस्तांतरण पंचायतें शक्ति संपन्न हो गई हैं।

अब पंचायतों के सामने दो मुख्य चुनौतियां हैं पहली यह कि प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों के उपयोग में पूर्णतः पारदर्शिता और सभी नागरिक आवश्यक सेवाओं का त्वरित प्रदाय बनाये रखना। इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए पंचायतों ने सूचना प्रौद्योगिकी का लोकोन्मुखी उपयोग करना शुरू कर दिया है। ग्रामीण साक्षरता में कमी के बावजूद कई राज्यों की पंचायत राज संस्थाओं ने सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग करते हुए निचले स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती तो दी हैं साथ ही प्रौद्योगिकी को स्वाभाविक रूप से स्वीकर और अंगीकार करने के लिए ग्रामीण समाज को भी तैयार किया है।

विभिन्न राज्यों की पंचायतों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का विश्लेषण यह दर्शाता है कि जहां से लोकतांत्रिक नेतृत्व का उदय हो रहा है वहां भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति पर भी रोक लगना जरूरी है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से एक ओर जहां कार्य प्रणाली में जो पारदर्शिता आ रही है उससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, वही दूसरी और महत्वपूर्ण सूचना बैंक लोगों की पहुंच आसान होगी। पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की प्रतिनिधि संस्थाओं के रूप में सुदृढ़ बनाने के लिए स्वतंत्र पंचायत राज मंत्रालय कार्य कर रहा है, जो पंचायतों को नीतिगत मार्गदर्शन देता है। इसी क्रम में पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे जनकल्याण के कार्य और आवश्यक सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी रही हैं। पंचायतों के पास कृषि विस्तार, लघु वनोपज, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, गरीबी उन्मूलन, मत्स्य पालन, शिक्षा, आजीविका निर्माण जैसे 29 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गतिविधियों के संचालन और प्रौद्योगिकी के उपयोग से पंचायतों का कार्य आसान हो रहा है।

देश की पहली ई–पंचायत आंध्र प्रदेश में स्थापित हुई। हैदराबाद के पास मेडक जिले की रामाचन्द्रपुरम ग्राम पंचायत में पहली बार पंचायत के सभी कार्यों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। इससे सेवाओं के प्रदाय और महत्वपूर्ण दस्तावेज के पंजीयन एवं वितरण में समय और धन की बचत हुई है। अन्य जिलों में चरणबद्ध रूप से इसका विस्तार हो रहा है।

सामान्यतः एक ग्राम पंचायत में जल प्रदाय, लोक स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, साफ–सफाई, सड़कों का रखरखाव, प्रकाश व्यवस्था, राज्य एवं केन्द्र की नियमित आयोजन, जन्म–मृत्यु पंजीयन, स्थानीय करों की वसूली, नागरिक अधोसंरचनाओं का संधारण, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन और जन जागरण अभियानों का संचालन जैसे कार्य होते हैं। सभी पंचायतें अब इन सब कार्यों को सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से सरल बनाने की पहल कर रही हैं।

गोआ में इन्फो ग्राम का प्रयोग सफल रहा है। असम में दो साल पहले कामरूप और कामरूप मैट्रो में भूमि स्वामियों को भू–अधिकार पत्र इन्टरनेट पर उपलब्ध कराया गया। पिछले वर्ष असम के धुबरी जिले के दो विकास खंडों में शुरू की गई "ई–सुविधा" योजना में पांच प्रकार की नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं–मतदान सूची,

निवास प्रमाण पत्र, शासकीय कर्मचारियों और किसानों के लिए आय प्रमाण पत्र।

केरल का "रूरल साफ्ट" और "रूरल बाजार" माडल लोगों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए हैं। रूरल बाजार एक ई–शॉप है जिसके माध्यम से ग्रामीण उत्पादों का प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार ग्रामीण शिल्प की पहुंच बढ़ जाती है। केरल की ही स्विफ्ट "सिंगल विन्डो इंटरफेस फार तालुक" योजना ने सभी राज्यों का ध्यान आकृष्ट किया है। इसके माध्यम से नौकरियों उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और कानूनी औपचारिकताओं के लिए 25 प्रकार के उपयोगी प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।

हिमाचल प्रदेश के "लोकमित्र" सूचनालयों और मध्य प्रदेश के "ज्ञानदूत सूचनालयों" में काफी समानताएं हैं। दोनों परियोजनाएं किसानों के लिए उपयोगी हैं। इनसे शिकायत पत्र, लाइसेंस प्रति, राशनकार्ड के लिए आवेदन, मेडिकल फार्म की प्रतियों में कृषि उपज के ताजा भाव की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। "लोकमित्र सूचनालयों में तो सामान्य जन अपनी वस्तुओं की बिक्री का विज्ञापन भी दे सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण राजस्थान के लिए "जनमित्र" योजना में विकास कार्यों की प्रगति भी उपलब्ध है। नागरिक सेवाओं में त्रुटियों की शिकायत की जा सकती है और गुणवत्ता के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में जिला पंचायतें अपनी वेब साइट शुरू कर रही हैं। भोपाल, बालाघाट और छिन्दवाड़ा जिलों ने यह पहल की हैं।

पंचायतें और हिन्दी फॉन्ट

हाल ही में उन्नत अभिकलन विभाग केन्द्र (सी डेक) द्वारा जारी हिन्दी फांट उत्तर भारतीय राज्यों विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में पंचायतों के लिए क्रांतिकारी पहल सिद्ध हुई है। हिन्दी फॉन्ट के एक समान उपयोग से पारदर्शी प्रशासन के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आयंगा। भारत जैसे बहुभाषी देश में स्थानीय भाषाओं में कम्प्यूटर का उपयोग एक अत्यन्त क्रान्तिकारी पहल है, जिसके परिणाम शीघ्र ही सामने आयेंगे। साधनों और संसाधनों तक आम लोगों की सीधी पहुंच से कई समस्याओं का हल निकलेगा। प्रत्येक पंचायत का किसी न किसी क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय आर्थिक योगदान होता है। हिन्दी फांट के उपयोग से सूचनाओं के प्रदाय में गति आयेगी और आर्थिक उद्यमिता की संभवनाएं भी बढ़ेंगी। सूचना का अधिकार और सूचना प्रौद्योगिकी के विवेकपूर्ण उपयोग से पंचायतें ग्रामीण क्षेत्र का परिदृश्य बदल सकती हैं। ❑

(साभार : प्रेस सूचना कार्यालय)

उपग्रहों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंतर को कम करना

इन्सैट और एडुसैट जैसे संचार उपग्रह डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए साधन प्रदान करते हैं। दूर–चिकित्सा और दूरस्थ–शिक्षा दो ऐसी योजनाएं हैं, जो शहरी सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में डिजिटल संयोजकता का उपयोग करती है। दूर–चिकित्सा के माध्यम से महानगरों में स्थित अस्पतालों में विशेषज्ञों को रोगी से संबंधित आंकड़े संप्रेषित करके तथा विडियो परामर्शिता द्वारा ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों में उच्च गुणवत्तावाली चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, भारत के मध्यवर्ती हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों इत्यादि जैसे देश के दूरवर्ती क्षेत्रों में उच्च गुणवत्तावाली चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भारत के मध्यवर्ती हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों इत्यादि जैसे देश के दूरवर्ती क्षेत्रों में रोगियों को सुपर स्पेशलिस्टों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी प्रकार, दूरस्थ–शिक्षा के माध्यम से शहरी स्कूलों और कॉलेजों के विद्यमान उच्च गुणवत्तावाली शिक्षा देश के सुदूर हिस्सों, विशेष रूप में, गांवों के बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। ❑

ग्राम संसाधन केंद्रों की स्थापना

सरकार ग्रामीण विकास में सूचना संचार प्रौद्योगिकी और संचार के अन्य माध्यमों को काम में लाने के लिए ग्रामीण/ग्राम ज्ञान केंद्रों की स्थापना करने का विचार कर रही है।

पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस की योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर ई–गवर्नेंस के लिए मिशन मोड परियोजना भी तैयार कर रहा है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि देश की सभी पंचायतें पंचायत स्तर पर दी गई निर्धारित सेवाओं के संदर्भ में ई–गवर्नेंस समाधानों को कार्यान्वित करने में सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों को क्रमिक रूप से प्राप्त कर पाएंगे। यह एक नई पहल है। राज्य की कुछेक पंचायतें संबंधित राज्यों की पहली के तहत पंचायत स्तर पर ई–गवर्नेंस की प्रायोजित परियोजनओं को कार्यान्वित करती रही हैं। केंद्रीय योजना के अंतर्गत सामान्य मानक और बेंचमार्क तैयार किए जाएंगे, ताकि पंचायत स्तर पर सु–शासन को आगे बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का समेकित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। ❑

भ्रूण हत्या : एक सामाजिक अभिशाप

रवि शंकर जमुआर और खालिद अहमद

भारतीय समाज में पुत्र प्राप्ति की लालसा लगभग प्रत्येक युग में रही है। यदि भारतीय इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हम यह पाते हैं कि एकाध कालक्रम यथा वैदिक एवं उत्तर-वैदिक सभ्यता, को छोड़ अधिकांश कालों में बाहय आक्रमणों, आन्तरिक युद्धों एवं अस्तित्व रक्षा के संघर्षों ने पुरुष को मानव जीवन का नीति-नियंता बना दिया। फलतः भारतीय समाज में पुरूषवादी सामाजिक सरंचना का निर्माण हुआ और परिवार पितृ-सत्तात्मक बन गया। ऐसे सामाजिक और पारिवारिक परिवेश में स्त्री-सोच का उन्मुक्त न होना स्वाभाविक है। भारतीय समाज का यह परम्परागत ढांचा जो सदियों से हमारी संस्कृति और सभ्यता में घुली-मिली है, ने पुत्र को परिवार का भाग्य-विधाता बना डाला है जबकि पुत्री को परिवार की प्रतिष्ठा में ह्यास लाने वाला कारक। इसीलिए हमारे समाज के कुछ समुदायों में जहां कन्या को जन्म लेने ही मार देने की परम्परा पाई गई, वहीं बड़ी ही निर्ममता से कन्या भ्रूण की हत्या को अब आमरूप से अंजाम दिया जाने लगा है। विकसित तकनीक (अल्ट्रासाउण्ड) का बढ़ता दुरूपयोग, बीमार मानसिकता और नपुंसक एवं संकीर्ण सोच ने वर्तमान समय में भ्रूण हत्या की प्रवृति में जिस तीव्रगति से बढ़ोतरी की है, उससे भ्रूण हत्या बड़ी ही गम्भीर समस्या का रूप धारण करती जा रही है।

वर्तमान परिदृश्य

कई समाज सुधारकों ने यह विचार व्यक्त किया है कि महिला प्रगति के अभाव में समाज की प्रगति असंभव है। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि "किसी काल में समाज की प्रगति को जानना हो तो उस काल विशेष में महिलाओं की स्थिति पर नजर डालो।" इस दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय समाज की स्थिति काफी संकटपूर्ण और भयावह प्रतीत होती है क्योंकि महिला प्रगति, महिला शक्ति और नारी स्वातंत्र्य सभी की अनदेखी करते हुए हमारे समाज में कन्या भ्रूण की हत्या बड़े पैमाने पर की जा रही है। ऐसा अनुमान है कि प्रत्येक छठी कन्या को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। एक गैर-सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार देश में प्रतिवर्ष एक करोड़ कन्याएं जन्म लेती हैं जिसमें से लगभग 20 लाख को जन्म लेने से पहले ही मौत की नींद सुला दिया जाता है यानि 20 लाख कन्या भ्रूण प्रतिवर्ष नष्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि देश में प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख कन्या भ्रूण नष्ट किए जाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने भी भ्रूण हत्या की बढ़ती प्रवृति को समाज के लिए चिंताजनक बताया है। उनके विचारानुसार 1981-91 तक के दस वर्षों में एक करोड़ 37 लाख लड़कियां कम पैदा हुईं और उनका यह अनुमान है कि अगर स्थिति यही रही तो सन् 2011 तक दो करोड़ 30 लाख लड़कों को जीवन संगिनी मिलना दुर्लभ हो जाएगा।

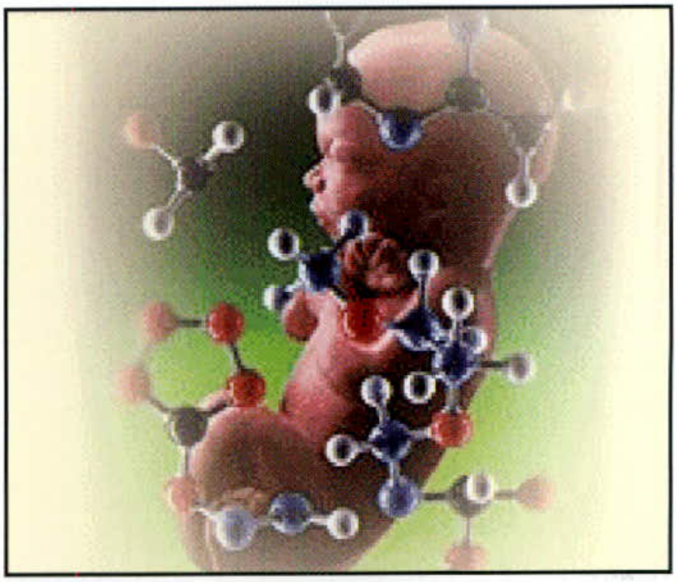

समस्या

आंकड़ें इस बात के साक्षी हैं कि देश में भ्रूण हत्याएं व्यापक स्तर पर हो रही हैं जो निश्चय ही आने वाले समय में विकट सामाजिक परिस्थिति उत्पन्न करेगी। कन्या भ्रूण हत्या से जहां समाज में स्त्री-पुरूष अनुपात चिंताजनक होती जा रही है, वहीं बलात्कार, सामाजिक रूप से अस्वीकार्य यौन सम्बन्ध, वैज्ञानिक उपकरण एवं साधनों का दुरूपयोग, चिकित्सकों की अनैतिक संलिप्तता जैसी कुत्सित प्रवृत्तियां भी निरन्तर

तालिका-1 : स्त्री-पुरुष अनुपात

जनगणना वर्ष	स्त्री-पुरुष अनुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं)
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933

बढ़ती जा रही हैं जिसे वर्तमान आधुनिक एवं सभ्य समाज के लिए एक अभिशाप कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

तालिका–1 से स्पष्ट है कि सन् 2001 में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। सन् 2001 में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 933 है जबकि सन् 1991 में प्रति हजार पुरूषों पर 927 महिलाएं ही थी। लेकिन स्त्री–पुरूष अनुपात की यदि दीर्घकालीन प्रवृति पर दृष्टि डालें तो पाते हैं कि इसमें निश्चय ही ह्रास हुआ है क्योंकि बीसवीं सदी के प्रारम्भ (सन् 1901) में प्रति हजार पुरूषों पर जहां 972 महिलाएं थी, वहीं सौ वर्षों के बाद (सन् 2001 में) मात्र 933 अर्थात 39 महिलाओं की कमी हो गई।

तालिका–2 : राज्यवार स्त्री–पुरुष अनुपात

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं)
1	केरल	1058
2	पांडिचेरी	1001
3	छत्तीसगढ़	989
4	तमिलनाडु	987
5	मणिपुर	978
6	आंध्रप्रदेश	978
7	उड़ीसा	972
8	मेघालय	972
9	हिमाचल प्रदेश	968
10	कर्नाटक	965
11	उत्तरांचल	962
12	गोआ	961
13	लक्षद्वीप	948
14	त्रिपुरा	948
15	झारखण्ड	941
16	मिजोरम	935
17	असम	935
18	पश्चिम बंगाल	934
19	महाराष्ट्र	922
20	राजस्थान	921
21	गुजरात	920
22	मध्य प्रदेश	919
23	बिहार	919
24	नागालैंड	900
25	उत्तर प्रदेश	893
26	अरुणाचल प्रदेश	893
27	जम्मू–कश्मीर	892
28	पंजाब	876
29	सिक्किम	876
30	हरियाणा	861
31	अंडमान–निकोबार द्वीप समूह	846
32	दिल्ली	821
33	दादरा–नगर हवेली	812
34	चंडीगढ़	777
35	दमन एवं दीव	710

इतना ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों, सामाजिक समूहों और विभिन्न धर्मों के सन्दर्भ में भी देखा जाए तो देश भर में महिला–पुरूष अनुपात में अत्याधिक विषमता है। तालिका–2 से स्पष्ट है कि जहां देश के दक्षिणी राज्यों यथा तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक में और पूर्वी राज्य उड़ीसा में सबसे बेहतर–पुरूष अनुपात यानि 950 से अधिक है, वहीं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे कम यानी 900 से भी कम महिला–पुरूष अनुपात है। बिहार में महिला–पुरूष अनुपात 919 है जो कि राष्ट्रीय औसत 933 की तुलना में काफी कम है।

तालिका–3 : धर्मानुसार स्त्री–पुरुष अनुपात

धर्म	स्त्री–पुरुष अनुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं)
ईसाई	1009
मुस्लिम	936
हिन्दू	931
सिक्ख	893

तालिका–3 विभिन्न धर्मों में पाई जाने वाली महिला–पुरूष अनुपात को दर्शाता है। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि महिला–पुरूष अनुपात की सबसे सुखद स्थिति ईसाईयों में जहां प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 1009 है जबकि सबसे दुःखद स्थिति सिखों की है जहां प्रति हजार पुरूषों पर मात्र 893 महिलाएं हैं। इसी तरह मुस्लिम और हिन्दू सम्प्रदायों में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या क्रमशः 936 और 931 है जो निश्चय ही चिन्ताजनक है।

उपरोक्त विश्लेषण यह इंगित करता है कि भ्रूण हत्या जैसी कुकृत्य ही समाज में स्त्री–पुरूष अनुपात के संतुलन को भंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जिसके कारण ही महिलाओं के साथ आये दिन बलात्कार, यौन–शोषण, छेड़–छाड़ जैसे दुर्व्यवहारों में बेतहाशा वृद्धि हुई है और समस्या चिंताजनक हो गई है। इन घटनाओं से निःसंदेह जहां महिलाओं की आभा, उनकी सहनशीलता और स्वतंत्रता प्रभावित हुई है, वहीं इसके प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव ने लोगों को भ्रूण हत्या के लिए प्रेरित किया है।

कारण

देश में भ्रूण हत्या की समस्या वास्तव में हमारी आर्थिक–सामाजिक और धार्मिक जटिलताओं का मिला–जुला प्रतिफल है। हिन्दू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई सभी सम्प्रदायों में विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। इसीलिए समाज के प्रत्येक परिवार द्वारा इस संस्कार का निर्वाह किया जाना अनिवार्य–सा हो गया है। विवाह जहां एक धार्मिक अनुष्ठान है, वहीं दहेज भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रथा बन गई है। पुत्री के जन्म लेते ही परिवार वालों को दहेज की चिंता सताने लगती है क्योंकि बेटी की शादी करना एक अनिवार्य सामाजिक–धार्मिक संस्कार है। लेकिन बिना

दहेज के विवाह का सम्पन्न होना भी काफी कठिन है। इस दहेज–प्रथा के कारण ही वधु पक्ष के परिवार की आर्थिक दशा काफी दयनीय हो जाती है। यही कारण है कि पुत्री के जन्म पर परिवार में मायूसी छा जाती है जैसे कोई विपत्ति आ गई हो। इस विपदा से मुक्ति के लिए ही गर्भस्थ शिशु के लिंग की पहचान अल्ट्रासाउण्ड द्वारा करवाने की प्रवृति एक आम बात हो गई है। एक दम्पत्ति को जैसे ही कन्या–भ्रूण होने का पता चलता है वह उसे प्रायः मौत के हवाले कर देते हैं।

यद्यपि हम इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और मंगल ग्रह पर दुनिया बसाने की बात कर रहे हैं, तथापि हमारे भारतीय समाज में धार्मिक मान्यताओं और अंधविश्वासों का वर्चस्व अब भी कायम है। यही कारण है कि प्रत्येक दम्पत्ति और परिवार के प्रधान में यह लालसा होती है कि उसे एक पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो जो उसके कुल का नाम रोशन कर सके, उसका वंश चला सके और उसके व्यवसाय एवं सम्पत्ति को उसके मृत्यु के बाद संभाल सके। दूसरी ओर लोगों में यह आम धारणा बनी हुई है कि मरणोपरान्त पुत्र, पौत्र या फिर प्रपौत्र के हाथों मुखाग्नि पाने से मृतक की आत्मा को मोक्ष मिलता है और उसे 'स्वर्ग' और 'वैकुण्ठ लोक' की प्राप्ति होती है। इन्हीं अवधारणाओं ने समाज में पुत्र की लालसा को प्रबल बनाया है जबकि पुत्री के प्रति नाकारात्मक और द्वेषपूर्ण सोच उत्पन्न की है जिसका परिणाम बढ़ती कन्या–भ्रूण की हत्या है।

हमारे समाज की एक अवधारणा यह भी है कि पुत्र ही मां–बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है क्योंकि पुत्री तो विवाहोपरान्त पराए घर चली जाती है जबकि पुत्र जीवनपर्यन्त साथ रहता है। इसीलिए परिवार में पुत्र को एक बीमा के रूप में स्थान मिला है। एक आर्थिक पहलू भी है और वह यह कि पुत्र विवाह कर अपने साथ दहेज भी लाता है जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। वास्तव में दहेज एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत परिवार में अधिक संख्या में पुत्र होने पर धन प्राप्ति की संभावना अधिक होती है जबकि एक से अधिक पुत्री होने पर धन की हानि की संभावना उतनी ही अधिक रहती है। ऐसी धारणाएं और मान्यताओं ने ही एक दम्पत्ति को पुत्र के लिए ज्यादा लालायित किया है और पुत्री के प्रति उनके उपेक्षापूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित किया है जो कन्या भ्रूण हत्या जैसी जघन्य कुकृत्य के रूप में उभर कर सामने आया है।

आज भी हमारे देश की जनसंख्या का दो–तिहाई भाग गांवों में निवास कर रही है जहां शिक्षा की समुचित व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी है और साक्षरता का प्रतिशत विशेषकर महिलाओं में काफी कम है। ऐसे ग्रामीण पिछड़े समाज में प्रायः यह देखा गया है कि पुत्र प्राप्ति की लालसा में अधिकांश महिलाएं ही पुरूषों को प्रोत्साहित करती हैं अर्थात् महिलाएं भी पुत्र प्राप्ति की लालसा से मुक्त नहीं है। अन्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एक नारी में भी पुत्री के प्रति सकारात्मक सोच का सर्वथा अभाव है जो बेहिचक भ्रूण हत्या में सहायक सिद्ध हो रही है।

लेकिन शहरों में भी स्थिति कुछ सुखद नहीं है। शहरों के शिक्षित दम्पत्ति भी लड़का–लड़की में व्याप्त भेदभाव से अपने को अलग नहीं कर पाये हैं और फिर शहरों में चिकित्सा सुविधाएं और साधन सर्वत्र सहज सुलभ है, फलतः ऐसे दम्पत्ति के लिए आज गर्भपात (भ्रूण हत्या) कराना एक साधारण सी बात हो गई है। इसके अतिरिक्त शहरों में भी ऐसे दम्पत्तियों की संख्या न्यून है जो अपने सुनियोजित योजना और अपनी प्राथमिकता के आधार पर मां–बाप बनने की तैयारी करते हैं। इसीलिए प्रायः गर्भधारण की घटना को प्राकृतिक संयोग या फिर अपनी विवशता ही लोग मानते हैं और ऐसी स्थिति में गर्भपात यानी भ्रूण हत्या लोगों की विवशता बन गई है।

पहल

यह निर्विवाद सत्य है कि भारतीय समाज में पुत्र की प्राप्ति एक बड़ा साध्य रहा है जिसके चलते परिवार में पुत्री की उपेक्षा, उसके प्रति रोषपूर्ण व्यवहार और यहां तक कि उसकी हत्या प्रारम्भ से ही होती रही है। लेकिन अल्ट्रासाउण्ड तकनीक के प्रचलन ने पिछले दो–तीन दशकों से कन्या–भ्रूण हत्या की गति को तीव्रता प्रदान की है। इस तकनीक का मूल उद्देश्य गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास और उसकी स्थिति का पता लगाना था। परन्तु हमारे देश में इसका व्यापक दुरुपयोग ही हुआ है।

भ्रूण हत्या की रोकथाम और उस पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर कुछ पहल की गई है। सरकार द्वारा सन् 1974 में पारित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रिग्नेन्सी (एम.टी.पी.) एक्ट के अनुसार यह प्रावधान है कि यदि गर्भस्थ शिशु के बारे में यह पता चल जाए कि वह असामान्य है और परिवार नियोजन के साधनों के उपयोग के बावजूद गर्भ में ठहर गया हो तो ऐसी स्थिति में गर्भपात कराना गैर–कानूनी नहीं होगा बशर्ते कि यह सारी प्रक्रियाएं 20 सप्ताह के भीतर हो जाए।

सरकार ने सन् 1994 में एक और पहल करते हुए लिंग–परीक्षण हेतु अल्ट्रासाउण्ड के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बालिका भ्रूण हत्या निषेध कानून द्वारा भ्रूण हत्या को प्रतिबंधित करने की पहल हुई है। संक्षेप में, सरकार द्वारा उठाये गए कुछ दण्डात्मक कदम निम्नांकित हैः

- गर्भस्थ शिशु के लिंग की पहचान हेतु जांच कराना कानूनन अपराध है,
- इस कानून के प्रथम बार उल्लंघन करने वाले डॉक्टर अथवा व्यक्ति (पुरूष हो या महिला) को 50 हजार रूपये तक के आर्थिक दण्ड के साथ–साथ तीन वर्ष कारावास की सजा दी जा सकती है।
- इसी तरह द्वितीय बार उल्लंघन करने पर एक लाख रूपये का दण्ड और साथ ही पांच वर्ष तक कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है।
- गर्भवती महिला को लिंग परीक्षण हेतु बाध्य करने वाले पुरूष अथवा महिला को भी दण्ड दिया जा सकता है।

इस प्रकार उपरोक्त प्रावधानों की व्यवस्था कर सरकार ने भ्रूण हत्या को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है।

मूल्यांकन

भ्रूण हत्या वास्तव में एक सामाजिक कुकृत्य है। इस कुकृत्य के पीछे समाज में व्याप्त पुत्र और पुत्रियों के बीच भेदभाव एक महत्वपूर्ण कारक है जिसका प्रभाव समाज के लगभग सभी वर्गों एवं सम्प्रदायों

पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि सरकारी स्तर पर भ्रूण हत्या को नियंत्रण करने हेतु प्रयास तो किए गए हैं, फिर भी गर्भपात कराने की प्रवृति में कोई विशेष कमी नहीं हुई है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में केवल दस प्रतिशत ही मामले ऐसे हैं जिसमें गर्भस्थ शिशु के विकास और उसके समुचित देख–भाल के उद्देश्य से अल्ट्रासाउण्ड कराया जाता है जबकि 90 प्रतिशत मामलों में अल्ट्रासाउण्ड यह पता लगाने के लिए कराया जाता है कि गर्भ में नर भ्रूण है या मादा और मादा भ्रूण होने पर उसे तत्काल नष्ट कर देने का प्रयास आरम्भ हो जाता है। फलतः एक अजन्मे शिशु को जीवन के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इस प्रकार एक पुत्र की लालसा में न जाने कितनी पुत्रियों की मौत इस धरती पर आने से पहले ही हो जाती है।

समाधान

हमारे देश में पितृ–सत्तात्मक समाज की जड़ें काफी मजबूत हैं। इसीलिए सभी सामाजिक व्यवस्था पुरूषों के पक्ष में जबकि महिलाओं के प्रतिकूल है। शिक्षा का मामला हो या स्वास्थ्य का, सम्पत्ति का मामला हो या रोजगार के अवसरों या फिर सत्ता में भागीदारी का, सभी जगहों पर भेदभाव की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। अतः इस असमानता को दूर करना होगा तभी लड़का और लड़की के बीच व्याप्त भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध करायें जाएं। शिक्षा, रोजगार, शासन–सत्ता सभी में महिलाओं को पुरूषों के समान ही अवसर मिलना चाहिए। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से कम नही हैं। चाहे अंतरिक्ष में जाने की बात हो या युद्ध का मैदान, हवाई जहाज उड़ाना हो या फिर हिमालय की चोटी पर चढ़ना सभी जगहों पर महिलाओं ने अपनी क्षमता सिद्ध कर दिखाई है। केवल अवसर प्रदान करने की बात है जो अपने संकीर्ण सोच, दकियानूसी एवं रूढ़िवादी विचारों के कारण समाज अब तक महिलाओं को उदार भाव से नहीं दे पाया है।

ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी जिस परिवार में महिलाएं शिक्षित हैं, नौकरी में हैं और आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी हैं वह परिवार प्रगतिशील विचारोंवाला बना है, उसकी सामाजिक सोच विस्तृत हुई है और आर्थिक दशा भी बेहतर हुई है। अतः ऐसे परिवारों में भ्रूण हत्या जैसी समस्या नगण्य है। यह तथ्य दर्शाता है कि समतामूलक और भेदभाव रहित समाज की स्थापना से भ्रूण हत्या की समस्या नियंत्रित ही नहीं होगी बल्कि स्वतः समाप्त हो जाएगी।

हमारे देश में पुरूष–महिला साक्षरता का अनुपात 70:21 है जो बताता है कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं काफी पिछड़ी हुई हैं। अतः जरूरत इस बात की है कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए ताकि वे सामर्थ्यवान और आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बन सकें। आई.ए.एस., आई.पी.एस., बैंक अधिकारी, डाक्टर और शिक्षिका इत्यादि के रूप में कार्यरत प्रायः सभी लड़कियों का विवाह बिना किसी दहेज के ही इसी समाज में सम्पन्न हुआ है और आज भी हो रहा है। इसलिए दहेज जैसी कुप्रथा जो कन्या भ्रूण हत्या का एक प्रमुख कारण है, को समाप्त करने के लिए महिला शिक्षा और आर्थिक स्वावलम्बन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जिससे कन्या भ्रूण हत्या की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

परम्परा और धार्मिक जटिलताओं की दुहाई देकर पुत्र के वर्चस्व को कायम रखना पुरुष प्रधान समाज की विशेषता है जो अविवेकपूर्ण सोच पर आधारित है। वंश केवल पुत्र से ही नहीं चलता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक पुत्र को जन्म देने वाली मां भी किसी की पुत्री ही होती है जिसके बिना पुत्र का जन्म संभव नहीं है। यदि समाज कन्या विहीन हो जाए जैसा कि कन्या भ्रूण हत्या की गति से प्रतीत होता है, तो क्या वंश चल पायेगा– यह सोचने की बात है!

अतः परम्परा और धार्मिक अंधविश्वासों का त्याग करना होगा और समाज को भी थोड़ा बदलना होगा। हमारे समाज को इस मान्यता का त्याग कर देना चाहिए कि पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र द्वारा ही मुखाग्नि दी जाए और ऐसा करने पर मृतक की आत्मा को मोक्ष मिलेगी। आज 'पुत्र' के स्थान पर 'संतान' द्वारा मुखाग्नि को सही मानने की जरूरत है और यही समय की मांग भी है, तभी हम कन्या भ्रूण हत्या के सिलसिले को समाप्त कर सकेंगे।

यह सच है कि शिक्षा और आधुनिकता लिंग भेद मिटाने का प्रबल साधन है। लेकिन हमारे समाज में यह असफल साबित हो रहा है क्योंकि शहरी क्षेत्र जो कि शिक्षा एवं आधुनिकता का केन्द्र है, भ्रूण हत्या के मामले में ज्यादा सक्रिय हैं। समाज की मानसिकता एवं सोच पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि शिक्षा मानव को केवल साक्षर ही बना पायी है और एक ऐसे भोगवादी एवं असंवेदनशील समाज का निर्माण किया है जिसमें नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। अतः जरूरत इस बात की है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जाए और मानवीय मूल्यों को स्थान दिया जाए, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए जिससे कि मानव में मानवीय चेतना जागृत हो सके और एक संवेदनशील एवं सृजनात्मक समाज का निर्माण हो सके, तभी हम भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक जघन्य कृत्य से मुक्ति पा सकेंगे।

निष्कर्ष

इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि भ्रूण हत्या प्रकृति के साथ एक खिलवाड़ है। प्रकृति का अपना नियम होता है जिसे नकारने का परिणाम प्रायः भयंकर होता है। भ्रूण हत्या से समाज में कई विसंगतियां पैदा हुई हैं जिसकी अनदेखी कतई संभव नहीं है। इससे जहां समाज को विषम महिला–पुरूष अनुपात का दंश झेलना पड़ रहा है, वहीं समाज में महिलाओं से प्रति असंवेदनशीलता और हिंसक प्रवृतियां इत्यादि कदम–कदम पर दृष्टिगोचर हो रही हैं।

यद्यपि सरकार इस समस्या के प्रति सजग है और कानून बनाकर इसे नियंत्रण करने की पहल भी की है तथापि भ्रूण हत्या की गति अप्रभावित है। वास्तव में यह आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि इतना बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष भ्रूण हत्याओं के बावजूद आज तक न तो कोई डाक्टर और न ही कोई दम्पत्ति गिरफ्तार हुआ है। यहां तक कि इस आरोप में कोई क्लीनिक भी बंद नहीं हुआ है। अतः स्पष्ट है कि इस सामाजिक अभिशाप का अन्त केवल कानून द्वारा संभव नहीं है बल्कि लोगों की विचारधारा में परिवर्तन लाकर ही इस समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। ❑

(लेखक द्वय क्रमशः टीएस कालेज, हिसुआ (नवादा) के अर्थशास्त्र विभाग में व्याख्याता तथा समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं)

लिंग निर्धारण : गुम होती कन्याएं

मनीषा

प्रकृति ने स्त्री व पुरुष को समभाव से धरती पर विकसित किया। आरम्भ में मानव ने भी अपने प्रयासों से विकास के पायदान में मीलों का सफर तय करके वर्तमान में विज्ञान और तकनीकी की बुलन्दियों को छुआ है। ये सभी प्रयास मानव ने अपने जीवन की उत्तरजीविका तथा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किए हैं। परन्तु अज्ञानतावश विकास की प्रक्रिया के दौरान स्वयं की गतिविधियों से अपने ही भविष्य को खतरे में डाल रहा है। इसके ज्वलंत उदाहरण पर्यावरणीय समस्या अथवा प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, लिंग विभेद आदि कई ऐसे खतरे हैं जो मानव जीवन के भविष्य के लिए एक प्रश्नचिन्ह हैं।

यदि हम भारत के संदर्भ में विचार करें तो यहां की संस्कृति में आदिकाल से ही नारी की स्थिति पूजनीय है तथा उसे देवी स्वरूप माना जाता है। परन्तु पाश्चात्य देशों के अनुकरण, आधुनिकीकरण के कारण वर्तमान भारत में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारे समाज में अभी भी कई ऐसी परम्पराएं विद्यमान हैं जिनके द्वारा किसी स्त्री के सन्तान न हो तो उसे समाज में स्त्री का दर्जा नहीं मिलता। यदि कोई स्त्री बेटी पैदा करती है तो उसे अधूरा माना जाता है इसके विपरीत यदि कोई स्त्री पुत्र पैदा करती है तो उसका कद समाज में ऊंचा हो जाता है। आज भी यदि कोई स्त्री संत, महात्मा, ऋषि–मुनि या पुजारी के पास आशीर्वाद लेने जाती है तो उसे जो आशीर्वाद मिलता है वह है – "पुत्रवती भव" ना कि पुत्रीवती भव। आज भी समाज में यह धारणा है कि स्त्री को मोक्ष पाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है जबकि पुरुष को मोक्ष की तभी प्राप्ति होती है जब उसका बेटा उसे मुखाग्नि दे।

समाज में स्त्री–पुरुष को लेकर भेदभाव की प्रक्रिया गर्भावस्था से ही लिंग विभेद को अनुभव के द्वारा जानने का प्रयास करते थे। आज भी भारत के कुछ आदिम समाज में परम्परागत विधियों से गर्भपात के तरीकों का प्रामाणिक अध्ययन किया गया है। उदाहरणतः परम्परागत भारतीय समाज में आज भी यह मान्यता है कि यदि गर्भवती महिला के पेट में दाईं तरफ हलचल है तो उसके पुत्र तथा बाईं तरफ हलचल है तो उसके पुत्री पैदा करने की सम्भावना रहती है। इस आधार पर बच्चे को जन्म देता है या नहीं, इस विषय पर भी विचार किया जाता है। इस प्रकार पता चलता है कि गर्भपात को प्रभावित करने वाले कारक बहुविषयक है। जिनमें सास की भूमिका, मां की भूमिका, पति की भूमिका, घर की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, समाज–विशेष की मान्यताएं प्रमुख हैं। इन सबके आधार पर किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना अनुचित है। क्योंकि एक स्त्री अपने शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से को अथवा अपने गर्भ में पल रहे शिशु को नष्ट करने में शारीरिक, मानसिक दबाव के दौर से गुजरती है। अतः यह प्रक्रिया किसी भी सामान्य नारी के लिए अत्यन्त दुःखदायी है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 23 अगस्त को एक भाषण में कहा था – "नारी उत्थान उनके

मनुष्य में लिंग निर्धारण

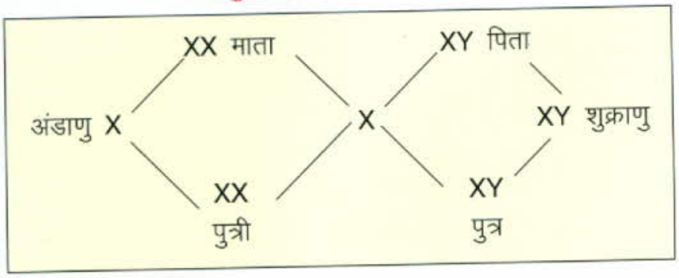

जन्म से पहले से ही शुरू करना होगा और यह कराई स्वीकार नहीं है कि किसी बेटी की भ्रूण हत्या कराया जाए।"

महिलाओं में महीने के दौरान सामान्यतया एक अंडाणु निकलता है जिसमें X गुणसूत्र पाया जाता है जबकि पुरुषों में दो तरह के शुक्राणु बनते हैं जिनमें X तथा Y गुणसूत्र अलग–अलग शुक्राणुओं में पाए जाते हैं। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचित करता है तो इससे कन्या का जन्म होता है जबकि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचन करता है तो पुत्र पैदा होता है। सामान्यतया लड़के तथा लड़कियों का अनुपात समाज में बराबर होता है। यदि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या ज्यादा है तो अन्यत्र किसी दूसरे परिवार में लड़कों की संख्या ज्यादा होती है। इस प्रकार प्रकृति लड़के तथा लड़कियों का अनुपात निर्धारित करती है। लेकिन विज्ञान तथा तकनीकी विकास हो जाने के कारण मनुष्य लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को अल्ट्रासोनोग्राफी की सहायता से गर्भावस्था में ही जान लेता है। अल्ट्रासोनोग्राफी सबसे आसान, सस्ती तथा अधिकांश जगह उपलब्ध तकनीक होने से आज यह आम लोगों की पसन्द बन गई है। इस तरह यदि गर्भ में कन्या पल रही होती है तो उसका गर्भपात करवा दिया

राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	सामान्य अनुपात (1991)	छह वर्ष के बच्चों में अनुपात (1991)	(2001)
पंजाब	857	875	793
दिल्ली	821	915	865
हरियाणा	857	875	793
हिमाचल प्रदेश	821	915	865
मध्य प्रदेश	861	879	820
महाराष्ट्र	970	951	897
बिहार	921	953	938
चंडीगढ़	773	899	845
गुजरात	921	928	878
उत्तर प्रदेश	898	927	916
झारखंड	941	979	966
छत्तीसगढ़	990	984	975
लक्षद्वीप	947	941	974
केरल	1058	958	963
सिक्किम	875	965	986
त्रिपुरा	950	967	965
मिजोरम	938	969	971

जाता है। पहली जनगणना में प्रति हजार पुरुष पर स्त्रियों की संख्या 972 थी, जो वर्ष 2001 जनगणना में घटकर 933 हो गई। गर्भ में लिंग जांच पर रोक लगाने वाले कानून का संशोधित रूप पीसीपीएनडीटी 2002, 14 फरवरी 2003 को देशभर में लागू हो गया है। अधिनियम के उल्लंघन पर दोषी को पांच साल की जेल और एक लाख जुर्माने का प्रावधान है। देश के अपेक्षाकृत समृद्ध पश्चिमी राज्यों–पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में जहां आर्थिक विकासदर, साक्षरतादर, आदि पूर्वी राज्यों की तुलना में अधिक है पिछली दो जनगणनाओं के मुकाबले लिंग अनुपात में भारी गिरावट आई है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्य जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत कम समृद्ध है पिछली दो जनगणनाओं के मुकाबले कम गिरावट आई है। इसका ज्वलन्त उदाहरण भारत के कई राज्यों जैसेः हरियाणा, पंजाब, यू.पी., बिहार में लड़कियों की घटती हुई संख्या है जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है।

भारत में तेजी से गिरते हुए लिंग अनुपात के पीछे कई धारणाएं जैसे कि यदि लड़की पैदा होती है तो वह घर के छप्पर को भी ले जाती है। विवाह में होने वाला खर्च, दहेज देना, शादी के बाद समय–समय पर ससुराल वालों द्वारा पैसे की मांग आदि समाज में फैली ये प्रथाएं लोगों को बेटी के बजाए बेटा पैदा करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर धीरे–धीरे यही सिलसिला चलता रहा तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त मनुष्य के लिंग निर्धारण में असन्तुलन आ जाएगा और इसका परिणाम यह होगा कि मानव–जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा और यह विलुप्त होती नारियां सरकार एवं समाज के लिए चुनौती बन जाएंगी।

समाज में फैली हुई यह धारणा कि लड़की या लड़के का पैदा होना मां पर निर्भर करता है, गलत है। यदि हम इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें तो हमे कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें यदि किसी

वर्ष	प्रतिहजार लड़कों के अनुपात में
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933

परिवार मे निरन्तर कन्याएं पैदा हो रही थीं तो वह राजा किसी दूसरी स्त्री से विवाह इसलिए करता था कि उसे अपना उत्तराधिकारी मिल सके। लेकिन आज विज्ञान तथा तकनीकी विकास ने यह साबित कर दिया है कि लड़की या लड़के का पैदा होना उसके पिता पर निर्भर करता है, मां पर नहीं। आधुनिक समाज में ऐसी कुरीतियां अभी भी व्याप्त हैं जिनमें कन्या के पैदा होने पर परिवार के लोग खुश नहीं होते। उसके पालन–पोषण में पुत्र जैसा व्यवहार नहीं किया जाता और इस तरह परिवार में जन्मी, पली–बढ़ी कन्या शारीरिक तथा मानसिक तौर पर कमजोर हो जाती है।

अतः यदि हम अपने देश के विकास के प्रति चिन्तित हैं तो सर्वप्रथम हमें समाज में लड़कियों के गिरते हुए अनुपात तथा उनके साथ किए जा रहे भेदभाव पर चिन्तन करना चाहिए। यह एक जघन्य अपराध है। समाज के सभी वर्गों को मिलजुल कर इस बीमारी का निराकरण करना चाहिए। चिकित्सक समुदाय को जागृत कर हमें इस मुहिम को सफल बनाने में अपना योगदान देना होगा। लड़की को समान भाव से समाज में स्थान दिलाना चाहिए तथा वो सारी सुविधाएं जो पुत्र को समाज मे दी जाती हैं, पुत्री को भी मुहैया करानी चाहिए। अन्त में यही कहा जा सकता है कि गर्भस्थ शिशु को मारने में प्रथा पूरे भारतीय समाज के लिए अभिशाप है, इस अविलम्ब बन्द किए जाने की आवश्यकता है। ❑

(लेखिका राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, मुनीरका, नई दिल्ली में अनुसंधान सहायक है)

गर्भ में लिंग जांच पर रोक लगाने वाले कानून पीसीपीएनडीटी 2002

लिंग निर्धारण परीक्षण में भ्रूण के बालिका या बालक शिशु में तब्दील होने से पहले और बाद में दोनों को शामिल किया गया है। **अल्ट्रासाउंड** मशीन का पंजीकरण और जांच का प्रमाण रखा जाए। **सचल** अल्ट्रासाउंड मशीनों पर नियंत्रण। **अधिनियम** के उल्लंघन पर दोषी को पांच साल की जेल और एक लाख जुर्माना के साथ मशीन जब्त। **लिंग** निर्धारण के लिए गई मां निर्दोष। **गर्भधारण** के उन दशाओं का उल्लेख, जिसमें अल्ट्रासाउंड किया जाना जरूरी है। **कानून** के उल्लंघन की स्थिति में शिकायत कहां और कैसे की जाए–जानकारी। **राज्य** स्तर पर बहुसदस्यीय अधिकारियों की टीम जिसमें महिला संगठनों के प्रतिनिधि के साथ–साथ कानून। **सिविल** कोर्ट के अधिकारों वाले अधिकारी की नियुक्ति। **पुलिस** से मुक्त कानून। ❑

अब ऑन लाइन से भ्रूण हत्याओं पर नियंत्रण

अरुण आनंद

आप किसी ऐसे गर्भपात क्लीनिक के बारे में शिकायत करना चाहते हैं जो बालिका शिशु की गर्भ में ही हत्या का माध्यम बन रहा है?

इंटरनेट पर जाकर लॉग इन कीजिए वेबसाईट "डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडाट इंडियनफीमेलफीटीसाईडडाटओआरजी" पर। दिल्ली स्थित एक गैर–सरकारी संगठन डॉटामेशन फाउंडेशन द्वारा इस आनलाईन शिकायत फोरम की परिकल्पना की गई है जिससे गर्भस्थ बालिका शिशुओं की हत्या को रोकने में मदद मिल सके। इस फोरम में आप घर बैठे उन निजी अस्पतालों, क्लीनिकों आदि की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायतकर्ता चाहे तो अपनी पहचान गुप्त रख सकता है। फाउंडेशन के संस्थापक चेतन शर्मा बताते हैं, "पिछले चार सालों में 750 ऐसी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार के संबद्ध विभागों को ये शिकयतें भेज दी जाती हैं जो इन पर आवश्यक कार्रवाई करते हैं।" शर्मा के अनुसार चूंकि ऐसे मामलों में अभी भी ज्यादातर पीड़ित महिलाओं के पास इंटरनेट आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है इसलिए अक्सर पीड़ित महिलाएं खुद अपने साथ हुई ज्यादती की शिकायत दर्ज नहीं करवा पाती हैं। "लेकिन हम इस विषय में बढ़ रही जागरूकता के चलते परिदृश्य में बदलाव आने की उम्मीद कर रहे हैं।"

इस ऑनलाइन फोरम पर अब तक मिली शिकायतों में बड़ी संख्या में शिकायतकर्ताओं ने अपनी पहचान गुप्त रखी है। एक समस्या यह भी है कि ऐसे मामलों में अंततः दोषी अल्ट्रासाउंड क्लीनिक तथा गर्भपात क्लीनिक के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कंधों पर होती है। फाउंडेशन द्वारा संबद्ध विभागों को शिकायतें भेज दी जाती है जो इसे जांच और कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर भेज देते हैं। अंततः जिला स्तर के अधिकारियों को ही इस मामले में अंतिम कार्रवाई करनी होती है।

अक्सर ऐसा होता है कि हिम्मत जुटा कर शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की जाती है लेकिन अफसरशाही की जटिल प्रक्रियाओं में ये शिकायतें उलझ कर रह जाती हैं। शायद यही कारण है कि स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के एक बड़े वर्ग का मानना है कि गैर–सरकारी संगठनों को सरकार द्वारा इस प्रकार के अधिकार दिए जाने चाहिए जिससे ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ वे अपने स्तर पर कुछ कार्रवाई कर सकें। इस बीच गर्भस्थ बालिका शिशु की हत्याओं को रोकने के लिए यह ऑनलाइन शिकायत फोरम इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार सूचना व संचार टेक्नोलॉजी का कल्पनाशील उपयोग सामाजिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। इन प्रयासों की अनुशंसा भी हुई है और इनके महत्व की पहचान भी हुई है। हाल ही में देश भर में सर्वश्रेष्ठ ई–कंटेंट के लिए दिए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मंथन पुरस्कार 2005 में इस प्रयास का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। इससे पहले डॉटामेशन फाउंडेशन को इस साल जनवरी में

'बालिका शिशु की सुरक्षा' कार्यक्रम के लिए रजत प्रतिमा प्रदान की गई। यह पुरस्कार भी बालिका शिशु की गर्भ में हत्या को रोकने के लिए आरंभ किए गए ऑनलाइन शिकायत फोरम के लिए ही दिया गया था। पुरस्कार के प्रशस्ति पत्र में कहा गया है, "डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडाट इंडियनफीमेलफीटीसाईडडाटओआरजी पर ई–प्रशासन से जुड़ी विशेषताएं उसी ई–प्रचार अभियान का हिस्सा है जो देश में 60 लाख घरों में पहुंच चुका है।" बालिका शिशु की सुरक्षा के लिए किए जा रहे इस ऑनलाइन 'हस्तक्षेप' की कई अन्य विशेषताएं भी हैं। मसलन इस वेबसाइट पर वेब रेडियो उपलब्ध है जिसमें आप इस विषय पर कार्यक्रम सुन सकते हैं साथ ही अपनी 'प्रतिबद्धता' दर्ज करवा सकते हैं। युवाओं के लिए इस संदर्भ में एक अलग खंड बनाया गया है। शर्मा के अनुसार ऑनलाइन प्रयासों के पूरक के तौर पर ही आफ लाइन प्रयास भी किए जा रहे हैं। फाउंडेशन ने देश भर में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 40 सामुदायिक केंद्र खोले हैं। इन केंद्रों के माध्यम से उन्हें बालिका शिशु को बचाने के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। ये केंद्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश के सात जिलों और तमिलनाडु में काम कर रहे हैं। इन केंद्रों पर महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। करीबन 40 अलग–अलग विधाओं में प्रशिक्षण के विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। पापड़ से लेकर मोमबत्ती बनाने तक जैसी विभिन्न विधाओं में इन महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान ही सूचना व संचार टेक्नोलॉजी के औजारों का भी इस्तेमाल किया जाता है। निर्माण की तकनीक समझाने के लिए अक्सर प्रशिक्षकों द्वारा मल्टीमीडिया पैकेज इस्तेमाल किये जाते हैं। ऐसे पैकेजों की मदद से जनसाधारण को भी महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा जैसे विषयों पर और संवेदनशील बनाया जा रहा है। इस प्रकार ऑनलाइन और आफलाइन तरीकों की मदद से ई–मेल, इंटरनेट व अन्य सूचना तकनीकों का उपयोग कर गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण में लगे कानूनी प्रतिबंधों को

और प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद की जा रही है। गौरतलब है कि इस प्रकार के परीक्षणों के बाद अक्सर अगला कदम गर्भपात द्वारा गर्भस्थ बालिका शिशु की हत्या होता है। इस वेबसाइट की स्थापना फाउंडेशन द्वारा 'बालिका शिशु की सुरक्षा' के लिए की गई थी। इस अभियान के तहत इस पोर्टल को आरंभ करने में उसे यूनिसेफ, यूएनएफपीए, पापुलेशन काउंसिल, केंद्र सरकार के संचार व सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय और प्लान इंटरनेशनल से तकनीकी मदद मिली थी। इस वेबसाइट का एक उद्देश्य गर्भ में बालिका शिशु का जीवन समाप्त करने से हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध विभागों की सूची भी है जो इस मामले में कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम हैं। जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है उनके लिए, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, दृश्य–श्रव्य माध्यमों की मदद से लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। एक पोर्टबल कंप्यूटर को लेकर 'कंप्यूटर ठेला' बनाया गया है जिसे पंचायत स्तर पर ले जाकर लोगों के इन मुद्दों के बारे में जानकारी दी जा रही है। शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः सूचना व संचार टेक्नोलॉजी को जानकारी देने का माध्यम बनाया जा रहा है। युवाओं को इंटरनेट केंद्रों व साइबर कैफे के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही विभिन्न अस्पतालों और नर्सिंग होम के आस–पास पोस्टर लगाए गए हैं। गर्भस्थ बालिका शिशु को जन्म से पहले ही समाप्त कर देने की कुरीति देश में लंबे समय से चली आ रही है। पर अब वह ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर निकल कर बड़ी तेजी से शहरों के उच्च वर्ग में भी फैल रही है। शर्मा के अनुसार "हमारा मानना है कि सांसद सदस्यों या विधायकों को प्रभावित करके नहीं बल्कि जनसाधारण को इस संबंध में जागरूक कर इस समस्या से निपटा जा सकता है। विशेष रूप से युवाओं को अपने साथ लेना होगा, इसके लिए हम नुक्कड़ नाटक और स्कूलों तथा कालेजों में कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं।" वास्तव में स्वास्थ्य की दृष्टि से तथा जानबूझकर बालिका शिशु को गर्भपात के द्वारा मार देने के बीच की विभाजन रेखा बहुत धुंधली है। सत्तर और अस्सी के दशक में जानबूझकर गर्भपात करवाने की घटनाओं में वृद्धि हुई जिससे देश में लिंग अनुपात बुरी तरह से बिगड़ गया। भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में आ गया है जहां यह अनुपात बहुत असंतुलित है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सन् 1901 में यह अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाओं का था जबकि सन् 2001 में यह अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 933 तक आ गया। दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में खासतौर से यह अनुपात बिगड़ा हुआ है। समाजशास्त्रियों का कहना है कि इस प्रकार के असंतुलन से बलात्कार, विवाहेतर संबंध और अपहरण में वृद्धि होती है तथा महिलाओं की स्वतंत्रता बाधित होती है। शर्मा कहते हैं, "इन समस्याओं के मद्देनजर हम इस मुद्दे पर खासतौर से दिल्ली और हरियाणा पर अपना ध्यान केंद्रित करने वाले हैं।" यह इस बात पर भी जोर देते हैं कि शिकायतों पर होने वाली कार्रवाई पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

यह ठीक है कि इस समस्या का कोई त्वरित और आसान समाधान उपलब्ध नहीं है। पर स्त्री–पुरुष असमानता को दूर करने के लिए लिंग अनुपात को ठीक करना होगा। इस संदर्भ में गर्भस्थ बालिका शिशु को बचाना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए सबसे पहला कदम है पुरुषों का समाज पर प्रभुत्व समाप्त करना और उस मानसिक प्रवृति को बदलना जिसके कारण इन लड़कों को लड़कियों से बेहतर मानते हैं। ❑

(साभार : ग्रासरूट)

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

.... पिन ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली–110 066

*कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर **निदेशक, प्रकाशन विभाग** को नई दिल्ली में देय हो।*

ग्रामीण विकास में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका और दायित्व

बलकार सिंह पूनिया

हमारे देश की अधिकतम जनसंख्या गांवों में निवास करती है इसलिए भारत को गांवों का देश कहा गया है। भारत को विकसित देश बनाने के लिए गांवों का विकास करना आवश्यक है। प्राचीन समय से लेकर भारत की आजादी तक गांव के विकास के लिए कुछ छोटे–मोटे प्रयास किए गए परंतु ठोस नीति एवं व्यवस्थित ढंग से न होने के कारण लोगों को इन प्रयासों का ज्यादा लाभ नहीं मिल सका। आजादी से पहले महात्मा गांधी, रवीन्द्र नाथ टैगोर आदि अनेक समाज सेवियों ने ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कुछ प्रयास किए हैं परंतु सीमित क्षेत्र में होने के कारण ज्यादा लोगों को इसका फायदा नहीं मिला।

देश में इन संगठनों के इतिहास पर नजर डालें तो विदित होता है कि प्राचीन काल से ही स्वैच्छिक कार्य और समाज सेवा की गौरवशाली परंपरा रही है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि परोपकार, गरीबों, दुखीजनों की सेवा और जरूरतमंदों की सहायता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है और समाज में धर्म–कर्म की भाषा में इसे पुण्य की संज्ञा दी गई है।

आजादी के बाद देश में मुख्य सबसे बड़ी समस्या गांवों में आधारभूत सुविधाओं की कमी होना था, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार गांवों में हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं (शिक्षा–स्वास्थ्य, आवास, पानी) के लिए प्रयास करती रही है। देश के अलग–अलग क्षेत्रों के विकास के लिए क्षेत्र आधारित योजनाएं तथा विभिन्न प्रकार के लक्ष्य समूह आधारित कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। हांलाकि आजादी के बाद गावों की तस्वीर काफी हद तक बदली है, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, सड़क सुविधाओं का विकास हुआ है परंतु जो लक्ष्य एक निश्चित अवधि में प्राप्त होने चाहिए थे, हम उसमें सफल नहीं हुए हैं।

ज्यादातार योजनाओं एवं कार्यक्रमों की असफलता का प्रमुख कारण यही रहा है कि योजनाओं एवं कार्यक्रमों को बनाते समय वहां के स्थानीय लोगों की समस्या एवं उनकी रुचि व भागीदारी की अनदेखी की गई है। अधिकतर योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लक्ष्य पूरा न करने का प्रमुख कारण लोगों को इनकी जानकारी का अभाव एवं अधिकारियों की उदासीनता रही है।

नियोजित विकास के प्रारंभ से ही समाजवादी दर्शन के अनुरूप विकास कार्यक्रमों के नियोजन और संचालन का दायित्व मुख्य रूप से सरकारी तंत्र यानी नौकरशाही को सौंपा गया है। लगभग चार दशक के अनुभव के बाद यह महसूस किया जाने लगा है कि जनसाधारण की भागीदारी के बिना स्थानीय संसाधनों का उपयोग अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता है और न ही जनसाधरण की सहायता और रुचि के बिना कोई योजना एवं कार्यक्रम सफल हो सकता है। लंबे समय तक सरकार पंचायतीराज संस्थाओं को जनसाधारण की भागीदारी का प्रमुख अंग मानती रही है, परंतु पंचायती राज व्यवस्था में अधिकार न मिलने एवं जानकारी के अभाव के कारण स्थानीय लोगों के विकास में एक हद तक ही सफल रही है। कई जगह तो 73वें व 74वें संविधान संशोधन से पहले पंचायती राज व्यवस्थाओं पर एक जाति विशेष का कब्जा रहा है। 73वें व 74वें संविधान संशोधन का मुख्य कारण व उद्देश्य समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा एवं सूचना के प्रसार की बदौलत ही स्वयंसेवी संस्थाओं एवं गैर–सरकारी संगठनों ने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हुए अनेक सरकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में हर संभव योगदान देती रही है। परंतु इनमें से अधिकतर का कार्य क्षेत्र महानगरों एवं शहरों में ही रहा है।

ग्रामीण विकास में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका और दायित्व

गैर–सरकारी संगठन स्थानीय लोगों के साथ ही मिलकर बनते हैं वे अपनी स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। गांव में साक्षरता का अभाव एवं गरीबी के कारण लोग सरकार की योजनाओं एवं ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में रुचि नहीं लेते हैं। योजनाओं को ठीक ढंग से लागू करने, ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध करवाने, उन्हें तथा गरीबों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। गैर–सरकारी संगठन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यापक भूमिका निभा सकते हैं। विदेशी वित्तीय संस्थान एवं दानदाता संस्थाएं भी गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से ग्रामीण विकास में रुचि दिखा रही हैं। विश्व बैंक तथा उसकी समकक्ष की संस्थाए निरंतर गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से अधिकाधिक वित्त

प्रदान कर रही हैं। विश्वव्यापी गरीबी की समस्या को देखते हुए विश्व स्तर पर गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से गरीबी निवारण एवं ग्रामीण कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। विभिन्न देशों में संचालित गरीबी निवारण परियोजनाओं में गैर–सरकारी संगठनों के योगदान को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने एक औपचारिक तंत्र का गठन किया है, जो सीधे गैर–सरकारी संगठनों से संपर्क रखता है।

ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण परियोजनाओं में गैर–सरकारी संगठन अधिक कुशलता से कार्य कर सकते हैं क्योंकि इन कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर सरकरी तंत्र की कमी देखी गई है। दक्षिणी एशिया में 1990–2000 के दशक में गरीबों की संख्या 47.4 करोड़ से बढ़कर 52.2 करोड़ हो गई है। यद्यपि यह प्रतिशत के रूप में 45 से घटकर 40 रह गया है। भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए और गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जहां सरकारी व निजी क्षेत्र की सेवा प्रदान करने की क्षमता अपर्याप्त एवं अकुशल है वहां गैर–सरकारी संगठन सरकारी प्रयासों को ज्यादा कुशलता से लागू कर सकते हैं।

ग्रामीण विकास में किसी भी योजना एवं कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन्न संगठनों में लोगों की सक्रिय भागीदारी कितनी रही। विकास के कार्यों में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर कार्य किये जाते हैं। ये संगठन सरकारी प्रयासों तथा विकास के कार्यों को ग्रामीण विकास के साथ जोड़कर करते हैं। आज गैर–सरकारी संगठनों का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। आज हर कार्य में गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी ली जा रही है और हर प्रकार के कार्य में गैर–सरकारी संगठन सक्रिय हैं।

आज कई गैर–सरकारी संगठनों ने कई क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी से ऐसे कार्य किये जो सरकारी प्रयासों के 50 वर्ष बाद भी नहीं हासिल किए हैं। राजस्थान में पीने और सिंचाई के पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तालाब बनाकर ग्रामीणा क्षेत्रों का कायापलट करने में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया हैं। और इसको सफल देखकर देश में 'वाटरशैड' के प्रोजेक्ट चलाये जा रहे है। बिहार में उठा सुलभ शौचालय आंदोलन देश भर में फैल कर स्वच्छता को बढ़ावा देकर ऐतिहासिक काम कर रहा है। इसने ग्रामीणों के साथ मिलकर स्थानीय आवश्यकताओं एवं संसाधनों के अनुरूप कई प्रकार के शौचालय विकसित कर पर्यावरण सुधार के साथ समाज सुधार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज अनेक क्षेत्रों में कई गैर–सरकारी संगठन उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। "सेवा" जो महिलाओं द्वारा चलाया गया एक गैर–सरकारी संगठन है, जो गरीब महिला सदस्यों के पतियों के लिए जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा तथा संपत्ति बीमा की योजनाएं चलाता है। इसमें गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार पर्यावरणविद् की सुनीता नारायण ने पेय पदार्थों में निर्धारित मानक से अधिक कीटनाशकों की जानकारी देकर जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को चेतावनी दी है।

इसके अलावा एड्स जैसी बीमारी पर भी विदेशी व देशी सहायता से अनेक गैर–सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं आज भी बाल शिक्षा, बाल मजदूरी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, महिला साक्षरता, लिंग अनुपात, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, एड्स जैसी अनेक समस्याएं हैं जो कि गैर–सरकारी संगठनों के सहयोग से ही काफी हद तक दूर हो सकती हैं।

भारत में गैर–सरकारी संगठनों का उभरता परिदृश्य

आठवीं से लेकर दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं में गैर–सरकारी संगठनों को काफी महत्व दिया गया है। शिक्षा और सूचना के प्रसार के कारण इनकी संख्या में वृद्धि के साथ–साथ इनका कार्य क्षेत्र एवं जिम्मेवारियां भी बढ़ गई है। भारत देश में ज्यादातर योजनाओं में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में नाबार्ड और कापार्ट के माध्यम से गैर–सरकारी संगठनों के साथ मिलकर चलाई जा रही हैं। बढ़ती बेरोजगारी एवं घटते रोजगार के कारण ग्रामीण क्षेत्र में निम्न आय वर्ग की वित्त की मांग बढ़ रही है जबकि औपचारिक क्षेत्र की संस्थाए इनकी पूर्ति नहीं कर पा रही हैं। इस बात को ध्यान में रखकर नाबार्ड में लघु वित्त की नई योजना प्रारंभ की है जो कि वित्तीय संस्थाओं की वित्त पूर्ति की पूरक व सहायक के रूप में काम करेगी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की वित्त की मांग एवं पूर्ति में अंतर को कम करने का कार्य करेगी तथा इससे ग्रामीण गरीबी को दूर करने में सहयोग मिलेगा।

1992 में लघु वित्त सेवा को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के बाद इस क्षेत्र में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका बढ़ गई है। समुदायों को संगठित करने उनकी बचत क्षमता बढ़ाने तथा साख प्रदान करने में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका स्वीकार करने के बाद नाबार्ड ने भी इनके सहयोग को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। नाबार्ड इन संगठनों का सहयोग क्षमता का निर्माण, प्रशिक्षण तथा स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन देने एवं वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाने में ले रहा है।

गैर–सरकारी संगठन सामाजिक समूह बनाकर सामाजिक पूंजी निर्माण में विशेष योगदान दे रहे हैं इससे सदस्यों की साख में वृद्धि हुई है तथा वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के प्रति इनका विश्वास बढ़ा है। इस प्रकार गैर–सरकारी संगठन लाभार्थियों को उधार लेने वालों में बदलने में सफल रहे हैं। इस प्रकार से गरीबों एवं वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के बीच कड़ी का काम करते हुए इन्हें जोड़ने में सफल हुए हैं। गैर–सरकारी संगठन स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण भी देते हैं ताकि वे बैंकों से समान शर्तों पर लेन–देन कर सकें।

गैर–सरकारी संगठनों के वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाने के बाद बैंकों से गरीबों को पर्याप्त ऋण मिलने लगा है। आर्थिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थाओं जैसे नाबार्ड, सिडनी, आई.डी.बी.आई. आदि ने गैर–सरकारी संगठनों की सहायता के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। ये बैंक बिना ब्याज या कम ब्याज या अनुदान के रूप में वित्त देकर इनकी सहायता करते हैं।

गांवों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के मामले में गैर–सरकारी संगठन समाज के साथ मिलकर उल्लेखनीय योगदान दे सकते हैं। समूचे देश में अपनी अभिन्न गतिविधियां चलाने वाले सुलभ इंटरनेशनल

के प्रयासों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। केंद्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को राज्य सरकारें स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से चलाती हैं। इस कार्यक्रम में गांव के लोगों, विशेषकर महिलाओं की गरिमा और व्यक्तिगत गोपनीयता बनाए रखने के लिए घरों में सामुदायिक शौचालय के निर्माण के साथ–साथ वातावरण की स्वच्छता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाले पहलू भी शामिल किए गए हैं।

अवलोकन

एक तरफ गैर–सरकारी संगठनों को अपने कार्यों का सिंहावलोकन करने की आवश्यकता है तो दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी सतत यह मानते हैं कि विकास का अंतिम दायित्व उन पर है तथा इस उद्देश्य के लिए गैर–सरकारी संगठन केवल सरकार की बाह्य एजेंसी की भूमिका निभाती है। गैर–सरकारी संगठन गरीबों के हित की रक्षा ही नहीं करते बल्कि वे ऐसे कार्यक्रमों को प्रारंभ करने में भी सक्षम हैं जिससे लोगों की आजीविका चल सके। गरीब लोगों की संगठनात्मक शक्ति बढ़ाने के साथ ही ऐसा वातावरण बना सकती है जो योजनाओं के कार्यान्वयन में गरीबों से सहयोग ले सकती है।

अभी तक इस बात पर जोर दिया गया है कि गैर–सरकारी संगठनों को भूमिका को नजरअंदाज नही किया जा सकता है, गैर–सरकारी संगठनों का एक महत्वपूर्ण कार्य मानव संसाधन परियोजनाओं तथा लोगों के हितों के लिए संसाधन जुटाना है। सहकारी समिति, युवा क्लब, ग्राम विकास समितियां और ग्राम कल्याण संगठनों के द्वारा स्थानीय संसाधनों को संघटित कर ग्रामीण वातावरण को सुधारने तथा परिवर्तित करने में गैर–सरकारी संगठन अहम भूमिका निभा सकते हैं। स्वयंसेवी संगठनों की विविधता सरकारी एजेंसियों से विभिन्न कार्यों में सहायक सिद्ध होंगी।

जहां तक पंचायती राज संस्थाओं की सफलता का प्रश्न है, यह माना गया है कि ज्यादातर स्थानीय स्तर या गैर–सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी से संभव है। अपने अनुभव एवं प्रवीणता के कारण वे निपुण और प्रेरक की भूमिका अदा कर सकते हैं। पंचायत स्तर पर गैर–सरकारी संस्थाएं शिक्षक, प्रशिक्षक, प्रोत्साहक तथा सहायक की भूमिका निभाने का काम कर सकती हैं। कई पंचायती राज के प्रतिनिधि अनपढ़ व कम पढ़े लिखे होते हैं। वहां पर गैर–सरकारी संगठन नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को विकास योजनाओं की जानकारी देना, प्रशिक्षण, संस्थापन व्यावसायिकी में सहयोग एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों से विचार–विमर्श करके योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सही तरीके से लागू करवाने में सहायक सिद्ध सकते हैं।

गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका और उसकी उपयोगिता का उल्लेख करते समय कापार्ट की भूमिका उल्लेखनीय है। कापार्ट एक ऐसी संस्था है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र विशेषज्ञ रोजगार मंत्रालय के अधिकारी, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये विभिन्न कार्यक्रमों के लिए दिशा–निर्देश तैयार करती है।

एक अनुमान के अनुसार इस समय देश में लगभग 6 लाख स्वयंसेवी संगठन कार्यरत हैं परंतु अधिकतर संगठन तो कुछ समय सक्रिय रहकर दम तोड़ देते हैं और कुछ संगठन तो ऐसे हैं जो समाज सुधार के लिए बनाए गए हैं जो भ्रष्टाचार जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए प्रयास करते हैं।

आज गैर–सरकारी संगठनों का दायरा बहुत बढ़ गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवन संरक्षण आदि अनेक क्षेत्रों में देश–विदेश के अनेक भागों में अनेक संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, और काफी हद तक अपने मिशन में सफल भी रहे हैं। वैश्वीकरण एवं निजीकरण की दौड़ में गैर–सरकारी संगठन ही विश्व व्यापार बाजार संगठन जैसी संस्थाओं की अव्यावहारिक नीतियों को जनता के सामने उजागर कर रहे हैं।

गैर–सरकारी संगठन और सरकारी अधिकारी यदि तालमेल के साथ योजनाएं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करें तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नही होगा कि जो प्राप्त नही किया जा सकता।

सही मत तो यह है कि आज सामाजिक, आर्थिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या नहीं है जिसमें गैर–सरकारी संगठन काम नहीं कर रहे हों, विशेषकर ग्रामीण विकास, पर्यावरण सरंक्षण, जनसंख्या नियंत्रण एवं जनचेतना जागरण कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्र हैं जहां इनकी उपलब्धियां सरकारी क्षेत्र से कहीं अधिक हैं। चूंकि ये संगठन जन सहयोग, जनसहभागिता, जनसंपर्क पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए लोगों के बीच रहकर कार्य करते हैं इसलिए इनकी पहुंच और विश्वसनीयता आम लोगों में सरकारी अधिकरियों एवं कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक है। एक दूसरी विशेषता इनकी कार्यविधि एवं कार्यनीति में लचीलापन एवं तीव्र निर्णय की प्रक्रिया है। अधिक स्वतंत्र होने के कारण ये संगठन नए कार्यक्रमों के प्रयोग एवं परीक्षणों के लिए अधिक योग्य एवं सक्षम हैं।

निस्संदेह ही इन संगठनों को अधिक से अधिक दायित्व और अवसर उपलब्ध कराकर, विशेष रूप से ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सकता है। ❑

(लेखक इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र राजकीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा के काउंसलर हैं)

समन्वित बाल विकास योजना

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के क्रियान्वयन की दिशा में समन्वित बाल विकास योजना को व्यापक बनाने हेतु राज्य सरकारों द्वारा जरूरी 467 अतिरिक्त परियोजनाओं और 1,88,168 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी देते हुए योजना के विस्तार के लिए प्रस्ताव की प्रक्रिया जारी है। योजना की वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासन उनके अपने संसाधनों से पूरक पोषाहार प्रदान करना होता है। बहुत से राज्य संसाधनों की कमी के कारण पर्याप्त पूरक पोषाहार उपलब्ध नहीं कराते थे, इसलिए 2005–06 के योजना आबंटन में राज्यों को पोषाहार पर आने वाली लागत 50 प्रतिशत भाग की सहायता देने का प्रस्ताव है। समन्वित बाल विकास योजना के लिए 3,685.30 करोड़ रुपये शामिल हैं। वर्ष 2005–06 के लिए योजना आबंटन में वृद्धि की गई, क्योंकि बजट में समन्वित बाल विकास योजना के अधीन राज्य सरकारों के साथ पूरक पोषाहार के खर्च में हिस्सेदारी के लिए 1,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ❑

(साभार : प्रेस सूचना कार्यालय)

RAU'S IAS
WHERE WINNERS LEARN

Amazing Success

Our 2004 Exam Results : Seven positions secured by our students in first 20 and 41 in first 100 with overall 181 total selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS & PCS coaching.

Unbeatable Strategy

Answers that matter : The most crucial fact about coaching is that it should improve the quality of your answers in the minimum possible time. It is precisely this training on which we focus on at Rau's to give an extra edge to the answers you give / write in the Civil Services Examination.

Be Sure

We have no branches or associates any where in India. Our name which has become a legend among students for the highest standards in teaching, and hence has been copied by a lot of centres across India, but it can never be equalled.

Programme Highlights

Civil Service Exam, 2006

- Personal Guidance (English Medium) is available for -

  General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.

- **पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -**

  सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन एवं भूगोल में उपलब्ध।

- Postal Guidance in English Medium available for -

  General Studies, History, Sociology, Public Administration and Geography.

- Postal Guidance in Hindi Medium available for **General Studies** only.
- Hostel facility arranged.

कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं ।
जीता वही जो डरा नहीं ।।

New batches for 2006 Exam, start from 11th November, 2005

Contact personally or write for prospectus with a DD/MO for Rs. 50/- favouring

RAU'S IAS STUDY CIRCLE

309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001.
Phone : 39448880-81, 55391202, 23318135-36, 23738906-07, Fax: 23317153
For full details on fast-track log-on our website: www.rauias.com

The Original Rau's / Rao's - Since 1953

KH 11/05/01

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. 12057/2003-05
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.) -55/2003-5

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL 12057/2003-05
ISSN 0971-8451, *Licenced under U (DN)-55/2003-05*
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रो. उमाकांत मिश्र, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया-II, नई दिल्ली-20 : संपादक : स्नेह राय